

JOTI JOURNAL
SUBJECT- INDEX
FEBRUARY – DECEMBER – 2021

Editorial	1
Editorial	31
Editorial	89
Editorial	129
Editorial	181
Editorial	239

PART-I
(ARTICLES & MISC.)

1. Address of Hon'ble the Chief Justice	99
2. Appointment of Judges in High Court of Madhya Pradesh	94
3. Appointment of Hon'ble Shri Justice Pranay Verma as Judge of High Court of Madhya Pradesh	137
4. Appointment of Hon'ble Shri Justice Purushaindra Kumar Kaurav as Judge of High Court of Madhya Pradesh.	188
5. Welcome to Hon'ble the Chief Justice Shri Mohammad Rafiq	3
6. Welcome to Hon'ble the Chief Justice Shri Ravi Malimath	183
7. Hon'ble Shri Justice Vivek Agarwal assumes charge as Judge of High Court of Madhya Pradesh.	187
8. Hon'ble Shri Justice Satish Kumar Sharma assumes charge as Judge of High Court of Madhya Pradesh	246
9. Transfer of Hon'ble Shri Justice Sanjay Yadav to High Court of Judicature at Allahabad.	4
10. Transfer of Hon'ble Shri Justice Satish Chandra Sharma to Karnataka High Court.	5
11. Farewell to Hon'ble Shri Justice Mohammad Rafiq on His Lordship's transfer to High Court of Himachal Pradesh as Chief Justice	185
12. Farewell to Hon'ble Shri Justice Prakash Shrivastava on His Lordship's appointment as Chief Justice of Calcutta High Court	186
13. Hon'ble Shri Justice Sunil Kumar Awasthi demits office	6
14. Hon'ble Shri Justice Vishnu Pratap Singh Chauhan, Hon'ble Shri Justice Jagdish Prasad Gupta and Hon'ble Shri Justice Mohammad Fahim Anwar demit office	41
15. Hon'ble Shri Justice B.K. Shrivastava demits office	98
16. Hon'ble Shri Justice Akhil Kumar Srivastava demits office	138

17. Hon'ble Shri Justice Shailendra Shukla demits office	247
18. Hon'ble Shri Justice Rejendra Kumar Srivastava demits office	248
19. Obituary	44
20. Photographs	7
21. Photographs	33
22. Photographs	91
23. Photographs	131
24. Photographs	190
25. Photographs	241
26. <i>A Supplementary Note on: Extension of Period of Limitation during Lockdown</i>	202
27. Award of Lok Adalat : Effect and Execution	249
28. Compromise in Civil Cases – Various Aspects	259
29. Conditions that can be imposed on bail	271
30. Connotation of “Formal Arrest” and “Custody”	17
31. Domestic Violence Act : Key Issues and Emerging Trends	55
32. Extension of Period of Limitation during Lockdown : Legal Perspective	24
33. Just Compensation: Duty of Tribunal	13
34. Law relating to Counter-claim : Practice & Procedure.	167
35. Law of Adverse Possession: Contemporary Developments	214
36. Paradigm Shift in Role of Courts in Arbitration Proceedings	205
37. Probative Value of Land Records	225
38. Procedure for Trial of Counter Cases	162
39. Registration of Decrees & Orders of Court: An Analysis	117
40. Reverse Burden with respect to Dishonour of Cheque.	139
41. Section 156 (3) Cr.P.C. : New Contours	280
42. Ways for Expeditious Execution Proceedings	103
43. अर्थदण्ड की वसूली एवं व्यतिक्रम में कारावास के दण्ड का निष्पादन	193
44. आयुध (संशोधन) अधिनियम, 2019 : प्रभाव एवं प्रक्रिया	145
45. न्यायालय फीस की वापसी	109
46. मानसिक स्वास्थ्य एवं देखरेख अधिनियम, 2017 : संक्षिप्त परिचय	45
47. बालकों का पुनर्वास : एक बहुआयामी दृष्टिकोण	67
48. विधिक समस्याएँ एवं समाधान :	
(1) क्या आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अपराध जमानतीय प्रकृति के हैं?	27
(2) क्या आदेशिका शुल्क के अभाव में परिवाद खारिज करने के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रचलन योग्य है?	28

- (3) क्या वरिष्ठ न्यायालय द्वारा प्रतिभूति पर मुक्त व्यक्ति को उसी घटनाक्रम में प्रकट होने वाले अधिक गंभीर अपराध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है अथवा मजिस्ट्रेट द्वारा अभिरक्षा में लिया जा सकता है? 28
- (4) क्या पुनरीक्षण न्यायालय धारा 203 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरस्त परिवाद के विरुद्ध प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में मजिस्ट्रेट को विनिर्दिष्ट अपराध में संज्ञान लेने हेतु निर्देशित कर सकता है? 29
- (5) क्या धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत चेक अनादरण के अपराध से संबंधित परिवाद पर संस्थित प्रकरण में विचारण कार्यवाही धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत रोकी अथवा समाप्त की जा सकती है? 85
- (6) क्या विचारण न्यायालय ऐसे दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा 389(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जमानत पर मुक्त कर सकता है जिसकी सजा का भुगताया जाना प्रारंभ हो चुका हो? 86
- (7) क्या मध्यस्थ (मीडिएटर) द्वारा न्यायालय को प्रेषित प्रतिवेदन निष्पादन योग्य होता है? 87
- (8) क्या (निजी परिवाद से भिन्न) किसी दाण्डिक विचारण में निजी व्यक्ति अथवा पीड़ित की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता को सीधे किसी साक्षी का परीक्षण करने का अधिकार है? 88
- (9) क्या समन की तामीली व्हाट्सएप के माध्यम से की जा सकती है? 127
- (10) क्या धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के प्रकरणों में अंतरिम प्रतिकर दिलाया जाना प्रत्येक मामले में आवश्यक है? यदि हाँ, तो क्या अभियुक्त को आवेदन पर सुना जाना आवश्यक है? 127
- (11) क्या किसी जमानतदार अथवा अभियुक्त के द्वारा प्रस्तुत क्रमशः प्रतिभूति – पत्र अथवा बंधपत्र का समपहरण होने पर न्यायालय द्वारा अधिरोपित शास्ति की राशि का पश्चात्कर्ती प्रक्रम पर परिहार किया जा सकता है? 128
- (12) क्या हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अंतर्गत धारा 13-ख में आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु उल्लेखित छह माह की विहित प्रतीक्षा अवधि को कम किया जा सकता है? 176
- (13) (अ) क्या धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Suo Motu Writ Petition (Civil) No. 03 of 2020, In Re : Cognizance for Extension of Limitation में दिये गये निर्देश परिवादी द्वारा अभियुक्त को प्रेषित मांग संबंधी 177

- सूचना पत्र मिलने के पश्चात् आरोपी को भुगतान हेतु नियत पंद्रह दिन की अवधि से अतिरिक्त समय प्रदान करते हैं?
- (ब) क्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Suo Motu Writ Petition (Civil) No.03 of 2020 In Re : Cognizance for Extension of Limitation में पारित आदेश दिनांक 27.04.2021 के अनुसार परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अधीन विलम्ब क्षमा करने के उपरांत ही कोई वाद/आवेदन/अपील/पुनरीक्षण/याचिका आदि सुनवाई में ली जा सकती है? 178
- (14) क्या वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार व्यादेश तथा निष्कासन के वादों के सम्बंध में भी वर्जित है? 179
- (15) धारा 195(1)(ए) दं.प्र.सं. के अन्तर्गत उल्लेखित अपराध के सम्बंध में अभियोजन संस्थित करने की विधिक अपेक्षा क्या है तथा क्या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रख्यापित आदेश की अवहेलना पर गठित अपराध के सम्बंध में अपर जिला मजिस्ट्रेट परिवाद प्रस्तुत कर सकता है? 234
- (16) खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित करने पर अपील की प्रक्रिया क्या होगी? 236
- (17) म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(2) के अधीन दण्डनीय अपराध में आबकारी अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर संस्थित मामले में विचारण हेतु प्रयोज्य प्रक्रिया क्या होगी? 237
- (18) क्या मृतक के विवाहित और आय अर्जित कर रहे वयस्क पुत्र/पुत्रों के द्वारा मोटरयान अधिनियम, 1988 के अंतर्गत प्रतिकर का दावा किया जा सकता है? 289
- (19) क्या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक के संबंध में जमानत का निराकरण करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 5ए (5) लागू होगी? 290
- (20) क्या किशोर न्याय बोर्ड आदेश दिनांक को इक्कीस वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने वाले बालक के द्वारा विधि का उल्लंघन करना पाए जाने पर, उसे जेल भेजने का निर्देश दे सकेगा? 291
- (21) धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत अपराध का शमन अपील न्यायालय के समक्ष होता है। इस स्थिति में क्या परिवादी विचारण न्यायालय के समक्ष भुगतान किया गया न्यायालय शुल्क प्राप्त करने का अधिकारी है? 293

PART-II
(NOTES ON IMPORTANT JUDGMENTS)

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
ACCOMMODATION CONTROL ACT, 1961 (M.P.)		
स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (म.प्र.)		
Section 12 – (i) Landlord-tenant relationship; proof of – In case of oral agreement of tenancy.		
(ii) Signing of a document; effect of.		
धारा 12 – (i) मौखिक किराएदारी के करार के मामले में भवन स्वामी-किराएदार के संबंध साबित किया जाना।		
(ii) किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का प्रभाव।	216	273
Section 12 (1)(f) – Effect of death of plaintiff for whom the <i>bona fide</i> need has been established.		
धारा 12 (1)(च) – वादी, जिसकी सद्भाविक आवश्यकता स्थापित की गई थी, की मृत्यु का प्रभाव।	1	1
ADVOCATES ACT, 1961		
अधिवक्ता अधिनियम, 1961		
Sections 24, 30 and 49(1)(ah) – Advocate – Eligibility for practice – Bar examination shall be mandatory for all law students graduating from academic year 2009-2010.		
धाराएं 24, 30 एवं 49(1)(कज) – अधिवक्ता – वकालत के लिए पात्रता – सभी विधि शिक्षार्थी जो शैक्षणिक वर्ष 2009–10 एवं उसके बाद स्नातक हुए हैं, के लिए बार की परीक्षा आदेशात्मक है।	110	131
Section 35 – See Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 35 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 11।	6*	7
ALL INDIA BAR EXAMINATION RULES, 2010		
अखिल भारतीय बार परीक्षा नियम, 2010		
Rule 9 – See Sections 24, 30 and 49(1)(ah) of the Advocates Act, 1961.		
नियम 9 – देखें अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धाराएं 24, 30 एवं 49(1)(कज)।	110	131
APPRECIATION OF EVIDENCE:		
साक्ष्य का मूल्यांकन:		
– Benefit of doubt – In absence of sufficient evidence.		
– संदेह का लाभ – पर्याप्त साक्ष्य का अभाव।	305 (ii)	378

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
– Benefit of doubt – Wrong acquittal of co-accused.		
– संदेह का लाभ – सह-अभियुक्त की त्रुटिपूर्ण दोषमुक्ति।	25* (ii)	25
– (i) Capacity of witnesses to identify accused in night.		
(ii) Contradiction in medical and ocular evidence; appreciation of.		
– (i) साक्षियों की रात्रि में अभियुक्त को पहचानने की क्षमता।		
(ii) चिकित्सीय एवं मौखिक साक्ष्य में विरोधाभास का मूल्यांकन।	309	384
– Cruelty; determination of – When allegations against accused were generalized in nature.		
– क्रूरता का निर्धारण – जब अभियुक्तगण के विरुद्ध आक्षेप सामान्य प्रकृति के थे।	315	393
– Cruelty; determination of – When allegation against accused were generalized in nature.		
– क्रूरता का निर्धारण – जब अभियुक्तगण के विरुद्ध आक्षेप सामान्य प्रकृति के थे।	315	393
– (i) Police witnesses – Evidentiary value of – Effect of non-corroboration.		
(ii) Panch witness turning hostile – Effect of.		
(i) पुलिस साक्षी – साक्ष्यिक मूल्य – सम्पोषण न होने का प्रभाव।		
(ii) पंच साक्षी का पक्षद्रोही हो जाना – प्रभाव।	51 (i) & (ii)	54
– See Criminal Practice.		
– देखें आपराधिक प्रथा।	67	68
– See Section 3 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3।	195	250
– See Section 3 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3।	300	370
– See Sections 3 and 8 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 8।	194	249
– See Sections 3, 8 and 9 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8 एवं 9।	91	104
– See Sections 3, 8 and 134 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8 एवं 134।	196	251
– See Sections 3 and 45 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 45।	254	314

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
– See Sections 3 and 118 of the Evidence Act, 1872 and Section 376 of the Indian Penal Code, 1860		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 118 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376।	181	229
– See Sections 3 and 134 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 134।	243	305
– See Section 12 of the Accommodation Control Act, 1961 (M.P.).		
– देखें स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (म.प्र.) की धारा 12।	216	273
– See Section 32 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32।	184	232
– See Section 32 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32।	185	236
– See Sections 34, 107 and 302 of the Indian Penal Code, 1860 and Section 3 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 34, 107 एवं 302 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3।	304	377
– See Section 106 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106।	244	305
– See Sections 120-B and 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 120–ख एवं 302।	193	246
– See Sections 154 and 313 of the Criminal Procedure Code, 1973, Sections 90 and 376 of the Indian Penal Code, 1860 and Section 6 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.		
– देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154 एवं 313, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 90 एवं 376 तथा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 6।	71	75
– See Section 302 of the Indian Penal Code, 1860 and Section 157 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 157।	310	386
– See Sections 302 and 304 of the Indian Penal Code, 1860		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 एवं 304।	34	36

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
– See Sections 306 and 498-A of the Indian Penal Code, 1860 and Sections 3 and 113-A of the Evidence Act, 1872.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 306 एवं 498—क एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 113—क।	312	389
– (i) Sexual offences – False implication.		
(ii) Delay in registration of FIR – Effect – Sexual offences.		
– (i) लैंगिक अपराध – मिथ्या आरोपण।		
(ii) प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीयन में विलंब – प्रभाव – लैंगिक अपराध।	14 (i)	
	& (ii)	12
– (i) Sole eye witness – Evidentiary value of.		
(ii) Identification of accused in dark night (<i>Amavasya</i>).		
(iii) Conviction of original assailant relying upon the deposition of sole eye witness – Effect on the case of other co-accused.		
(i) एकल चक्षुदर्शी साक्षी – साक्ष्यिक मूल्य।		
(ii) अंधेरी रात (अमावस्या) में अभियुक्त की पहचान।		
(iii) एकल चक्षुदर्शी साक्षी की साक्ष्य के आधार पर मूल हमलावर की दोषसिद्धि – अन्य सह-अभियुक्तगण के मामले पर प्रभाव।	33	33

ARBITRATION AND CONCILIATION ACT, 1996

माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996

Sections 2(1) (e), 9, 14, 34 and 36 – Jurisdiction – Court – Commercial disputes involving an arbitration dispute – Only Commercial Court of the status of District Judge or Additional District Judge would be the competent Court to entertain matters u/s 9, 14, 34 and 36 of the Arbitration Act and Civil Judge Class I is excluded to hear such matters.

धाराएं 2(1) (ख), 9, 14, 34 एवं 36 – क्षेत्राधिकार – न्यायालय – ऐसे वाणिज्यिक विवाद जिनमें माध्यस्थम विवाद शामिल है, के संबंध में माध्यस्थम अधिनियम की धाराएं 9, 14, 34 एवं 36 से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई के लिये मात्र जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश के स्तर का ही वाणिज्यिक न्यायालय सक्षम न्यायालय होता है और कोई व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 का न्यायालय ऐसे प्रकरणों की सुनवाई नहीं कर सकता है।

60 63

Sections 2(1)(f), 2(2), 9, 28, 44 and 47 – Seat of arbitration – Choice of parties – Whether two Indian nationals may choose a seat of arbitration outside India? Held, yes.

Foreign award – Ingredients of – Explained – Whether award by an Arbitral Tribunal situated outside India to which New York Convention applies in a dispute, referred by two Indian nationals, would be a foreign award enforceable in India? Held, yes.

“International commercial arbitration” – As defined in Section 2(1)(f) and used in Section 2(2) of the Act of 1996 – Distinction.

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
<p>धाराएं 2(1)(च), 2(2), 9, 28, 44 एवं 47 – मध्यस्थता का स्थान – पक्षकारों की पसंद – क्या दो भारतीय नागरिक भारत के बाहर मध्यस्थता के स्थान का चुनाव कर सकते हैं? अवधारित, हाँ।</p> <p>विदेशी पंचाट – आवश्यक तत्व – समझाए गए – क्या भारत के बाहर स्थित एक माध्यस्थम अधिकरण द्वारा दो भारतीय नागरिकों द्वारा निर्दिष्ट विवाद में दिया गया पंचाट, जिसमें न्यूयॉर्क कन्वेंशन लागू होता है, भारत में प्रवर्तन योग्य विदेशी पंचाट होगा? अवधारित, हाँ।</p> <p>“अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम” – जैसा कि धारा 2(1)(च) में परिभाषित है और 1996 के अधिनियम की धारा 2(2) में उपयोग किया गया है – विभेद।</p>	<p>162 (i) to (iii) 207</p>	
<p>Sections 8 and 11 – Arbitration agreement – Enforceability – Whether an arbitration agreement containing in an instrument which is unstamped be enforced when the instrument itself cannot proceed unless the deficit stamp duty is paid?</p> <p>धाराएं 8 एवं 11 – माध्यस्थम अनुबंध – प्रवर्तनीयता – क्या एक अस्टांपित लिखत में अंतर्विष्ट माध्यस्थम अनुबंध प्रवर्तनीय होगा, जब कि ऐसा लिखत ही उचित स्टाम्प शुल्क का भुगतान किए बिना अनुसरित नहीं किया जा सकता है?</p>	<p>217* 274</p>	
<p>Sections 8, 11 and 16 – Arbitrability of dispute – Whether dispute as to specific performance of contract relating to sale of immovable property is arbitrable?</p> <p>धाराएं 8, 11 एवं 16 – विवाद का माध्यस्थम योग्य होना – क्या अचल संपत्ति के विक्रय के अनुबंध के विनिर्दिष्ट अनुपालन का विवाद माध्यस्थम योग्य है?</p>	<p>271 (i) 332</p>	
<p>Sections 8, 11, 17 and 34 – Dispute relating to tenancy and eviction – Arbitrability of – Held, where the tenant enjoys statutory protection under special law, the dispute is non-arbitrable – But where tenancy is governed under TP Act and not under special law, the dispute is arbitrable.</p> <p>धाराएं 8, 11, 17 एवं 34 – किराएदारी और निष्कासन का विवाद – माध्यस्थम योग्य होना – अभिनिर्धारित, जहां किराएदार को विशेष विधि के अधीन वैधानिक संरक्षण प्राप्त हो, वहां विवाद माध्यस्थम योग्य नहीं होगा – परन्तु जहां किराएदारी संपत्ति अंतरण अधिनियम से शासित हो न कि विशेष विधि के अधीन, विवाद माध्यस्थम योग्य होगा।</p>	<p>111* 131</p>	
<p>Sections 8, 11 and 34 – (i) Non-arbitrability of disputes – How to determine? Four-fold test propounded.</p> <p>(ii) Landlord tenant disputes – Whether arbitrable? Such disputes, if governed by TP Act, are arbitrable – But where such disputes are governed by rent control legislation, the dispute is non-arbitrable. [<i>Himangni Enterprises v. Kamaljeet Singh Ahluwalia</i>, (2017) 10 SCC 706 overruled]</p> <p>(iii) Non-arbitrability of disputes – Who can decide? Discussed in detail – Scope of interference by Courts explained.</p> <p>धाराएं 8, 11 एवं 34 – (i) विवादों का गैर-माध्यस्थम योग्य होना – कैसे निर्धारित करें? चार सूत्रीय परीक्षण प्रतिपादित।</p>		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(ii) भवन स्वामी व किराएदार का विवाद – क्या माध्यस्थम योग्य है? ऐसे विवाद, यदि संपत्ति अंतरण अधिनियम द्वारा शासित होते हैं तो माध्यस्थम योग्य होते हैं – परन्तु जहां ऐसे विवाद स्थान नियंत्रण विधि द्वारा शासित होते हैं, वहां गैर-माध्यस्थम योग्य होते हैं। [हिमांगनी एंटरप्राइजेज वि. कमलजीत सिंह अहलूवालिया, (2017) 10 एससीसी 706 उलट दिया गया]		
(iii) विवादों का गैर-माध्यस्थम योग्य होना – कौन निर्धारित कर सकता है? विस्तार में चर्चा की गई – न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का विस्तार समझाया गया।	112	132
Sections 9 and 17 – (i) Interim measures by Court – Bar – When applies?		
(ii) Interim measures by Court – Bar – Inefficacy of remedy u/s 17 to obtain interim measures from Arbitral Tribunal – Consideration of.		
(iii) Inefficacy of remedy u/s 17 – Instances of.		
धाराएं 9 एवं 17 – (i) न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय – वर्जन – कब लागू होता है?		
(ii) न्यायालय द्वारा अंतरिम उपाय – वर्जन – माध्यस्थम अधिकरण से अंतरिम उपचार प्राप्त करने के लिए धारा 17 के अधीन अनुतोष के प्रभावहीन होने की मीमांसा।		
(iii) धारा 17 के अधीन उपचार का प्रभावहीन होना – उदाहरण।	276	343
Section 11 – Limitation – The limitation for filing an application for appointment of arbitrator is three years from the date when the right to apply accrues.		
धारा 11 – परिसीमा – मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमा ऐसा आवेदन करने का अधिकार उत्पन्न होने के दिनांक से तीन वर्ष है।	218	275
Section 11 – Parties had entered on agreement and there was consensus <i>ad idem</i> to the terms and conditions contained therein – In that condition, it would not be appropriate for the applicant to invoke clause 7 of the purchase order more particularly when the arbitration clause contained in the agreement dated 31.03.2018 has been invoked.		
धारा 11 – पक्षकारों ने अनुबंध किया और उसमें निहित नियम एवं शर्तों पर परस्पर सहमति थी – तब ऐसी स्थिति में आवेदक के लिए यह युक्तियुक्त नहीं होगा कि वह क्रय आदेश की कंडिका 7 का अवलंब ले विशिष्ट रूप से तब जबकि दिनांक 31.03.2018 के अनुबंध के माध्यस्थम खण्ड का अवलंब लिया जा चुका हो।	113	135
Sections 34 and 37 (1) (c) – Whether an appeal u/s 37 (1) (c) of the Act would be maintainable against an order refusing to condone delay in filing an application u/s 34 of the Act to set aside an award? Held, yes.		
धाराएं 34 एवं 37 (1) (ग) – क्या अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत अवार्ड को अपास्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने से इंकार करने के आदेश के विरुद्ध अधिनियम की धारा 37 (1) (ग) के अन्तर्गत अपील प्रचलनशील है? अभिनिर्धारित, हाँ।	114	136

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
CEILING ON AGRICULTURAL HOLDINGS ACT, 1960 (M.P.)		
कृषि जोत पर अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (म.प्र.)		
Sections 11 and 46 – Jurisdiction of Civil Court – Suit against order of Competent Authority.		
धाराएं 11 एवं 46 – सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार – सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध वाद ।	219*	276
CIVIL PRACTICE:		
सिविल प्रथा:		
– Date of hearing – Discretion of Court – Complete discretion can be used by the Presiding Officer of the Court for fixing the date of hearing/ proceedings and he is the best person to decide how to use his judicial time.		
– सुनवाई की तिथि – न्यायालय का विवेकाधिकार – सुनवाई/ कार्यवाही हेतु तिथि निर्धारण के लिये न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा संपूर्ण विवेकाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है और वह अपने न्यायिक समय के उपयोग की प्रक्रिया निर्धारण के लिये सर्वोत्तम व्यक्ति होता है ।	61	64
– Rectification of order sheet (record of court) – Assertion of facts contrary to order sheet is impermissible.		
– आदेश पत्रिका (न्यायालय के अभिलेख) का सुधार – आदेश पत्रिका के विपरीत तथ्यों का दावा अनुज्ञेय नहीं है ।	220	276
– See Section 9, Order 7 Rule 1 and Order 22 Rules 4 and 11 of the Civil Procedure Code, 1908.		
– देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9, आदेश 7 नियम 1 एवं आदेश 22 नियम 4 ।	223	281
– See Section 10 of the Family Courts Act, 1984.		
– देखें कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 10 ।	245	307
– See Section 12 of the Accommodation Control Act, 1961 (M.P.).		
– देखें स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (म.प्र.) की धारा 12 ।	216	273
– See Section 100 of the Civil Procedure Code, 1908 and Section 3 of the Limitation Act, 1963.		
– देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 एवं परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 ।	278	346
– See Articles 226 and 227 of the Constitution of India.		
– देखें भारत का संविधान का अनुच्छेद 226 एवं 227 ।	119	141
JOTI JOURNAL - 2021		XI

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
– See Order 6 Rule 2, Order 7 Rule 14 and Order 18 Rule 2 of the Civil Procedure Code, 1908.		
– देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 6 नियम 2, आदेश 7 नियम 14 एवं आदेश 18 नियम 2।	65*	67
– Will – Doctrine of election and doctrine of estoppel – Remaining portion of the Will cannot be challenged by a person who has taken benefit of a particular portion of the Will because of doctrine of election – After taking benefits of any instrument/document, validity of the instrument/document cannot be challenged.		
– वसीयत – चुनाव का सिद्धान्त एवं विबन्ध का सिद्धान्त – एक व्यक्ति जिसने वसीयत के किसी भाग विशेष का लाभ प्राप्त कर लिया है, वह चुनाव के सिद्धान्त के कारण वसीयत के शेष भाग को चुनौती नहीं दे सकता है – किसी लिखत/दस्तावेज का लाभ लेने के पश्चात् उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती।	62	65
CIVIL PROCEDURE CODE, 1908		
सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908		
Sections 2(2), 96 and Order 7 Rule 11 – (i) Rejection of plaint; remedy against.		
(ii) Rejection of plaint – Applicability of proviso to O.7 R.11 in case of rejection of plaint under O.7 R.11 (d).		
धाराएं 2(2), 96 एवं आदेश 7 नियम 11 – (i) वादपत्र नामंजूर किए जाने के आदेश के विरुद्ध अनुतोष।		
(ii) वादपत्र नामंजूर किया जाना – आदेश 7 नियम 11 (घ) के अंतर्गत वादपत्र नामंजूर किए जाने के मामले में आदेश 7 नियम 11 के परंतुक की प्रयोज्यता।	221	277
Section 5 – See Sections 109 and 110 of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.).		
धारा 5 – देखें भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) की धाराएं 109 एवं 110।	256*	317
Section 9 – Determination of title – Jurisdiction of Civil Court – Whenever the question of title is raised or is involved.		
धारा 9 – स्वत्व का निर्धारण – सिविल न्यायालय की अधिकारिता – जब कभी स्वत्व का प्रश्न उठाया जाता है या अंतर्ग्रस्त होता है।	222 (i)	279
Section 9 – Jurisdiction of Civil Court – Boundary dispute – Suit for injunction simpliciter based on possession of property – Jurisdiction of Civil Courts is not barred in respect of boundary disputes.		
धारा 9 – सिविल न्यायालय की अधिकारिता – सीमा विवाद – संपत्ति पर आधिपत्य के आधार पर मात्र निषेधाज्ञा का वाद – सीमा विवाद के संबंध में सिविल न्यायालयों की अधिकारिता बाधित नहीं है।	115	138

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 9 – See Sections 11 and 46 of the Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1960 (M.P.).		
धारा 9 – देखें कृषि जोत पर अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (म.प्र.) की धाराएं 11 एवं 46।	219*	276
Section 9, Order 7 Rule 1 and Order 22 Rules 4 and 11 – (i) Partition suit; nature of – Three main issues in partition suit.		
(ii) Partition suit; maintainability of.		
(iii) Death of respondent-plaintiff during pendency of appeal – Effect of not bringing LRs. on record.		
धारा 9, आदेश 7 नियम 1 एवं आदेश 22 नियम 4 एवं 11 – (i) विभाजन के वाद की प्रकृति – विभाजन के वाद के तीन मुख्य विवादक।		
(ii) विभाजन के वाद की पोषणीयता।		
(iii) अपील के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी-वादी की मृत्यु – विधिक प्रतिनिधिगण को अभिलेख पर नहीं लाने का प्रभाव।	223	281
Section 11 – Decision operates as <i>res judicata</i> and not the reasons given in support of finding by the Court.		
– Any finding given by a Reference Court in a land acquisition case about apportionment of compensation cannot be binding on the parties in a suit for possession based on title.		
धारा 11 – निर्णय, <i>पूर्व न्याय</i> के रूप में प्रवर्तित होता है न कि विनिश्चय के समर्थन में न्यायालय द्वारा दिये गये कारण।		
– निर्देश न्यायालय द्वारा भू-अर्जन प्रकरण में प्रतिकर के प्रभाजन के बारे में दिया गया निष्कर्ष, स्वामित्व पर आधारित वाद में पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं हो सकता है।	2 (i)	2
	& (ii)	
Section 11 and Order 7 Rule 11(d) – Rejection of plaint – Application under Order 7 Rule 11 must be decided within the four corners of the plaint.		
धारा 11 एवं आदेश 7 नियम 11(घ) – वादपत्र का नामंजूर किया जाना – आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत आवेदन को वादपत्र की समग्रता के आधार पर निराकृत किया जाना चाहिए।		
	277	344
Section 11 and Order 23 Rule 1 – <i>Res judicata</i> and waiver of rights – Principle of <i>res judicata</i> and principle of waiver of rights are totally different principles – If any plaintiff withdraws his suit without permission of court then a new suit about same subject-matter cannot be filed by him.		
धारा 11 एवं आदेश 23 नियम 1 – <i>पूर्व न्याय</i> एवं अधिकारों का अधित्यजन – <i>पूर्व न्याय</i> का सिद्धान्त एवं अधिकारों के अधित्यजन का सिद्धान्त पूर्णतः भिन्न-भिन्न सिद्धान्त हैं – यदि कोई		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
वादी न्यायालय की अनुमति के बिना अपना वाद प्रत्यादृत करता है तो वह समान विषय वस्तु के बारे में नवीन वाद प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।	63	65
Section 20 – Territorial Jurisdiction – Ordinary jurisdiction lies where cause of action arises but by valid contract the parties may submit themselves to the jurisdiction of any other specific court.		
धारा 20 – प्रादेशिक क्षेत्राधिकार – जहां वाद हेतुक उत्पन्न होता है वहां सामान्यतः क्षेत्राधिकार होता है किन्तु पक्षकार स्वयं को किसी वैधानिक अनुबंध के माध्यम से किसी अन्य न्यायालय विशेष के क्षेत्राधिकार के अधीन होना स्वीकार कर सकते हैं।	224	286
Section 21 and Order 7 Rule 10 – Jurisdiction of courts – Factors governing determination of – Explained – Difference between jurisdiction of civil and criminal courts and objection as to jurisdiction explained.		
धारा 21 एवं आदेश 7 नियम 10 – न्यायालयों का क्षेत्राधिकार – निर्धारण करने वाले कारक – स्पष्टीकृत – सिविल और आपराधिक न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर और क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति स्पष्ट की गई।	69 (i)	69
Sections 47, 122 and Order 21 Rules 11, 97 and 98 – Execution proceedings – Delay – Trouble of decree holders in not being able to enjoy the fruits of litigation – Supreme Court issued remedial measures to reduce the delay in disposal of execution petitions in the form of mandatory directions.		
धाराएं 47, 122 एवं आदेश 21 नियम 11, 97 एवं 98 – निष्पादन कार्यवाही – विलंब – वाद के फल का लाभ प्राप्त करने में आज्ञापितधारियों की परेशानी – सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्पादन याचिकाओं के निराकरण में विलंब को कम करने के लिए उपचारात्मक उपाय के रूप में अनिवार्य निर्देश जारी किए गए।	163	209
Section 80 – See Section 401 of the Municipal Corporation Act, 1956 (M.P.) and Section 117 of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.).		
धारा 80 – देखें नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (म.प्र.) की धारा 401 और भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) की धारा 117।	205	261
Section 89 – See Section 16 of the Court Fees Act, 1870.		
धारा 89 – देखें न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 16।	167*	215
Section 96 – (i) Appeal against decree – Persons who can file appeal – Right of stranger. (ii) “Aggrieved person” – Meaning of.		
धारा 96 – (i) मूल आज्ञापति के विरुद्ध अपील – व्यक्ति जो अपील प्रस्तुत कर सकते हैं – अपरिचित व्यक्ति का अधिकार।		
(ii) “व्यथित व्यक्ति” – तात्पर्य।	3	3

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 96 – See Sections 9, 13(1)(i-a) and 13(1)(i-b) of the Hindu Marriage Act, 1955. धारा 96 – देखें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धाराएं 9, 13(1)(i-क) एवं 13(1) (i-ख)।	303	374
Section 96, Order 21 Rules 90 and 92, Order 23 Rules 3 and 3-A, Order 41 Rule 27 and Order 43 Rule 1-A – (i) Taking additional evidence in appeal; permissibility of. (ii) Appeal against consent or compromise decree – Whether maintainable? (iii) Auction-sale; setting aside of.		
धारा 96, आदेश 21 नियम 90 एवं 92, आदेश 23 नियम 3 एवं 3-क, आदेश 41 नियम 27 एवं आदेश 43 नियम 1-क – (i) अपील में अतिरिक्त साक्ष्य लेना; अनुज्ञेयता। (ii) सहमतिपूर्ण या समझौता आज्ञापति के विरुद्ध अपील – क्या संधारणीय है? (iii) नीलामी-विक्रय को अपास्त करना।	225	287
Section 100 – Legal Maxim – Possession follows title – When applies. धारा 100 – विधिक सूक्ति – आधिपत्य स्वत्व का अनुसरण करता है – कब लागू होती है।		
	278 (ii)	346
Section 114 and Order 47 Rule 1 – Power of review; nature of – Explained – Power of review is neither an inherent power nor appeal in disguise – It is a creation of statute. धारा 114 एवं आदेश 47 नियम 1 – पुनर्विलोकन की शक्ति की प्रकृति – व्याख्या की गई – पुनर्विलोकन की शक्ति न तो अंतर्निहित शक्ति है और न ही अपीलीय – यह विधि द्वारा सृजित है।	116	138
Section 114 r/w Order 47 Rule 1 – Review – Scope – Appellate power cannot be exercised in the guise of power of review and the power of review is not an inherent power. धारा 114 सहपठित आदेश 47 नियम 1 – पुनर्विलोकन – विस्तार – पुनर्विलोकन की शक्ति के रूप में अपीलीय शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता एवं पुनर्विलोकन की शक्ति अंतर्निहित शक्ति नहीं है।	164	212
Section 151 – See Articles 226 and 227 of the Constitution of India. धारा 151 – देखें भारत का संविधान का अनुच्छेद 226 एवं 227।	119	141
Section 151 and Order 12 Rule 6 – Consent decree; modification of – When permissible? Explained. धारा 151 एवं आदेश 12 नियम 6 – सहमतिपूर्ण आज्ञापति का संशोधन – जब अनुज्ञेय है? समझाया गया।	165	213
Order 1 Rule 10 – Joinder of necessary party – If as per the agreement it can be shown that the relief can be claimed against a particular party, whether or not he is signatory to the said agreement, he can be treated as a “necessary party”.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
<p>आदेश 1 नियम 10 – आवश्यक पक्षकार का संयोजन – यदि अनुबंध के अनुसार यह दर्शित किया जा सकता है कि विनिर्दिष्ट पक्षकार के विरुद्ध अनुतोष का दावा किया जा सकता है, तब भले ही वह कथित अनुबंध का हस्ताक्षरकर्ता हो या न हो वह “आवश्यक पक्षकार” के रूप में मान्य किया जा सकता है।</p>	166	214
<p>Order 1 Rule 10 – Without giving an opportunity to plaintiff for impleadment of a necessary party, suit cannot be dismissed on the ground of non-joinder of necessary party.</p>		
<p>आदेश 1 नियम 10 – वादी को आवश्यक पक्षकार के संयोजन का अवसर दिये बिना वाद आवश्यक पक्षकार के असंयोजन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।</p>	226	290
<p>Order 2 Rule 2 – Bar to suit – Suits based on same cause of action – Right to claim damages was available to plaintiff in first suit – Effect.</p>		
<p>आदेश 2 नियम 2 – वाद का वर्जन – एक ही वाद-कारण के आधार पर दावे – पहले वाद में वादी को प्रतिकर का दावा करने का अधिकार उपलब्ध था – प्रभाव।</p>	279	347
<p>Order 2 Rule 2 (3) and Order 7 Rule 11 – Maintainability of suit – Objections – Objections under Order 2 Rule 2 (3) do not come under Order 7 Rule 11 CPC and such objections cannot be considered before trial.</p>		
<p>आदेश 2 नियम 2 (3) एवं आदेश 7 नियम 11 – वाद की पोषणीयता – आक्षेप – आदेश 2 नियम 2 (3) के अंतर्गत आक्षेप, आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत नहीं आते हैं और ऐसे आक्षेपों को विचारण से पूर्व विचार में नहीं लिया जा सकता।</p>	64	66
<p>Order 3 Rule 1 – Power of cross-examination – Any handwriting expert holding power of attorney from plaintiff can cross-examine any other handwriting expert, who is a witness of the opposite party.</p>		
<p>आदेश 3 नियम 1 – प्रतिपरीक्षण की शक्ति – वादी की ओर से मुख्तारनामा धारक कोई हस्तलेख विशेषज्ञ किसी अन्य हस्तलेख विशेषज्ञ, जो कि विरोधी पक्ष का एक साक्षी है, का प्रतिपरीक्षण कर सकता है।</p>	4	5
<p>Order 6 Rule 2, Order 7 Rule 14 and Order 18 Rule 2 – Application to summon records – After conclusion of evidence when case fixed for final arguments – Absence of pleadings on issue in which evidence was sought – Held, such an application is not maintainable – In absence of pleading, no amount of evidence will help the party.</p>		
<p>आदेश 6 नियम 2, आदेश 7 नियम 14 एवं आदेश 18 नियम 2 – अभिलेख आहूत करने संबंधी आवेदन – साक्ष्य पूर्ण होने के उपरांत जब मामला अंतिम तर्क हेतु नियत था – जिस विवाद्यक पर साक्ष्य प्रस्तावित थी उस पर कोई अभिवचन नहीं था – अभिनिर्धारित, ऐसा आवेदन पोषणीय नहीं है – अभिवचन के अभाव में कितनी भी साक्ष्य हो पक्षकार की सहायता नहीं कर सकती।</p>	65*	67

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Order 7 Rules 10 and 10A – After return of plaint for presentation in court of competent jurisdiction, proceeding has to commence <i>de novo</i> .		
आदेश 7 नियम 10 एवं 10क – सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में प्रस्तुति के लिए वादपत्र के लौटाये जाने की दशा में, कार्यवाही नए सिरे से प्रारंभ होगी।	5	6
Order 7 Rule 11 – Professional misconduct of a lawyer – Jurisdiction of Civil Court – It is within the exclusive domain of the Bar Council to consider the question of professional misconduct.		
आदेश 7 नियम 11 – अधिवक्ता का व्यावसायिक कदाचार – व्यवहार न्यायालय का क्षेत्राधिकार – व्यावसायिक कदाचार के बिन्दु पर विचार करना अधिवक्ता परिषद के अनन्य क्षेत्राधिकार में है।	6*	7
Order 7 Rule 11 – (i) Rejection of plaint – Court must see that the bar in law of the suit is not camouflaged by devious and clever drafting of the plaint.		
(ii) Power of attorney – In a suit based on an agreement executed through a power of attorney, it is open to the court to read the terms of the power of attorney along with the plaint in the same manner as document appended to the plaint which form part of the plaint.		
आदेश 7 नियम 11 – (i) वादपत्र का नामंजूर किया जाना – न्यायालय को देखना चाहिए कि वाद के विधि द्वारा वर्जित होने को कुटिल एवं चतुराई पूर्ण आलेखन द्वारा छुपाया न गया हो।		
(ii) मुख्तारनामा – मुख्तार द्वारा निष्पादित करार आधारित वाद में न्यायालय मुख्तारनामा की शर्तों को भी उसी तरह पढ़ सकता है जिस तरह वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज को उसके भाग के रूप में पढ़ा जाता है।	117*	140
Order 7 Rule 14 and Order 8 Rule 1-A – Production of documents at later stage of trial – Approach expected of courts explained.		
आदेश 7 नियम 14 एवं आदेश 8 नियम 1-क – विचारण के पश्चातवर्ती चरणों में दस्तावेजों की प्रस्तुति – न्यायालयों से अपेक्षित दृष्टिकोण समझाया गया।	66*	67
Order 7 Rule 14 and Order 11 Rule 1 (as applicable to Commercial Courts) – Production of documents during trial – When claimed to be voluminous.		
आदेश 7 नियम 14 एवं आदेश 11 नियम 1 (जैसा वाणिज्यिक न्यायालयों को लागू है) – विचारण के दौरान दस्तावेजों की प्रस्तुति – जहां बहुत विस्तीर्ण होने का दावा किया गया हो।	280*	348
Order 18 Rule 4 – Examination-in-chief by way of affidavit – Withdrawal not permissible – Deponent may file an affidavit subsequent to it and to add or supplement the facts.		
आदेश 18 नियम 4 – शपथ-पत्र के माध्यम से मुख्य परीक्षण – वापस लिया जाना अनुमत नहीं – इसके उपरान्त शपथकर्ता अन्य शपथ-पत्र प्रस्तुत कर तथ्यों का समावेश कर कमी पूरी कर सकता है।	281	348

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Order 20 Rule 4 – Judgment and order writing – Tendency of “cut-copy-paste” deprecated. आदेश 20 नियम 4 – निर्णय और आदेश लेखन – “कट-कॉपी-पेस्ट” की प्रवृत्ति निरुत्साहित की गई।	227	290
Order 21 Rules 22(2) and 34(2) – Execution – Requirement of notice. आदेश 21 नियम 22(2) एवं 34(2) – निष्पादन – सूचना-पत्र की आवश्यकता।	282	349
Order 21 Rule 29 and Order 41 Rules 3-A and 5 – Stay of execution – Unless and until, a stay order is passed by the Appellate Court, appeal shall not operate as stay of proceedings. आदेश 21 नियम 29 एवं आदेश 41 नियम 3-क एवं 5 – निष्पादन का रोका जाना – जब तक कि, अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया हो, कार्यवाहियों को स्थगित करने के संदर्भ में अपील प्रवर्तित नहीं होगी।	283	351
Order 22 Rule 3 – See Section 166 of the Motor Vehicles Act, 1988. आदेश 22 नियम 3 – देखें मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 166।	264	323
Order 23 Rule 3 – See Sections 17(1) and 17(2) of the Registration Act, 1908. आदेश 23 नियम 3 – देखें रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धाराएं 17(1) एवं 17(2)।	7*	7
Order 41 Rule 3A – First appeal – Condonation of delay – Before deciding appeal on merits, Appellate Court is required to decide first the application for condonation of delay in favour of the appellant. आदेश 41 नियम 3क – प्रथम अपील – विलम्ब का क्षमा किया जाना – अपीलीय न्यायालय द्वारा अपील का गुणदोष पर निराकरण करने से पूर्व अपीलार्थी के पक्ष में विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रस्तुत आवेदन का निराकरण किया जाना आवश्यक है।	118*	141
Order 41 Rules 23-A and 24 – Remand – When occasion would arise. आदेश 41 नियम 23-क एवं 24 – प्रतिप्रेषण – अवसर कब उत्पन्न होगा।	58 (ii)	60
COMMERCIAL COURTS ACT, 2015		
वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015		
Section 2(c)(xvii) – Commercial dispute – Jurisdiction – Disputes pertaining to intellectual property rights. धारा 2(ग)(xvii) – वाणिज्यिक विवाद – क्षेत्राधिकार – अभिकल्पन संबंधी बौद्धिक संपदा के अधिकार से संबंधित विवाद।	228	291
Section 10 – Enforcement of foreign award – Such an award will be enforceable only in High Court u/s 10(1) of Commercial Courts Act and not in District Courts. धारा 10 – विदेशी पंचाट का प्रवर्तन – ऐसा पंचाट मात्र वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम की धारा 10(1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय में प्रवर्तनीय होगा न कि जिला न्यायालयों में।	162 (iv)	207

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 11 – See Sections 2 (1) (e), 9, 14, 34 and 36 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.		
धारा 11 – देखें माध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धाराएं 2 (1) (ड), 9, 14, 34 एवं 36।	60	63
Section 16 – See Order 7 Rule 14 and Order 11 Rule 1 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 16 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 14 एवं आदेश 11 नियम 1।	280*	348

COMPANIES ACT, 2013

कम्पनी अधिनियम, 2013

Sections 241 and 242 – See Section 8 of the Hindu Succession Act, 1956.

धाराएं 241 एवं 242 – देखें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8।

190 243

CONSTITUTION OF INDIA:

भारत का संविधान:

Articles 14, 19 and 21 – See Sections 2(r), 2(s) and 20 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016.

अनुच्छेद 14, 19 एवं 21 – देखें दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धाराएं 2(द), 2(ध) एवं 20।

267 325

Articles 14 and 21 – See Sections 156, 169 and 173 of the Criminal Procedure Code, 1973

अनुच्छेद 14 एवं 21 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 156, 169 एवं 173।

125 154

Article 20 (1) – See Sections 300 Fourthly, 376 (2) and 376-A of the Indian Penal Code, 1860.

अनुच्छेद 20(1) – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 चतुर्थ, 376 (2) एवं 376-क।

139 172

Articles 20 (3) and 21 – See Sections 2(xxix), 41(2), 42(1), 43, 44, 48, 49, 53 and 67 of the N.D.P.S. ACT, 1985.

अनुच्छेद 20 (3) एवं 21 – देखें स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धाराएं 2(xxix), 41(2), 42(1), 43, 44, 48, 49, 53 एवं 67।

101 117

Article 21 – See Section 167 of the Criminal Procedure Code, 1973.

अनुच्छेद 21 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167।

236 298

Article 21 – See Section 167(2), Proviso (a), Explanation I (as inserted by Act 45 of 1978) of the Criminal Procedure Code, 1973.

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
अनुच्छेद 21 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167(2), परन्तुक (क) स्पष्टीकरण। (1978 के अधिनियम सं. 45 के द्वारा अन्तःस्थापित)।	76	87
Article 21 – See Section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
अनुच्छेद 21 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439।	179	227
Article 141 – See Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988 and Section 311 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
अनुच्छेद 141 – देखें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311।	266	324
Article 142 – See Sections 438 and 482 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
अनुच्छेद 142 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 438 एवं 482।	229	292
Article 226 – See Sections 2(2), 96 and Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908.		
अनुच्छेद 226 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धाराएं 2(2), 96 तथा आदेश 7 नियम 11।	221	277
Articles 226 and 227 – Steep rise in Covid cases – Noticing the difficulties faced by litigants in approaching Courts, all kind of interim orders, directions, interim protection, interim bail etc. passed by all kinds of Courts or tribunals ordered to be extended till 15 th June, 2021.		
अनुच्छेद 226 एवं 227 – कोविड मामलों में तेजी से वृद्धि – पक्षकारों को न्यायालय तक पहुंचने में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए सभी प्रकार के न्यायालयों अथवा न्यायाधिकरणों द्वारा पारित सभी प्रकार के अंतरिम आदेश, निर्देश, अंतरिम सुरक्षा, अंतरिम जमानत आदि को 15 जून, 2021 तक विस्तारित करने संबंधी आदेश किया गया।	119	141
Article 233 – Appointment to the post of District Judge (Entry Level) – Suitability.		
अनुच्छेद 233 – जिला न्यायाधीश (प्रवेश-स्तर) के पद पर नियुक्ति – योग्यता।	120	144
Article 300-A – Right to property – Not fundamental right but still is constitutional and human right.		
अनुच्छेद 300-क – संपत्ति का अधिकार – मौलिक अधिकार नहीं है, परन्तु अभी भी संवैधानिक एवं मानवाधिकार है।	8	8
CONTEMPT OF COURTS ACT, 1971		
न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971		
Section 2(a) – Contempt of Court – Misleading the Court.		
धारा 2(क) – न्यायालय की अवमानना – न्यायालय को भ्रमित करना।	230*	294

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
CONTRACT ACT, 1872		
संविदा अधिनियम, 1872		
Section 25 – (i) Dishonour of cheque – Question whether debt was time-barred or not – When to be decided?		
(ii) Acknowledgment of debt in writing in the balance sheet – Effect on period of limitation.		
धारा 25 – (i) चेक का अनादरण – प्रश्न कि क्या ऋण कालातीत था अथवा नहीं – कब विनिश्चित किया जाए?		
(ii) वित्तीय स्थिति विवरण में ऋण की लिखित अभिस्वीकृति – परिसीमा की अवधि पर प्रभाव।		
	284	351
COURT FEES ACT, 1870		
न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870		
Section 7 (iv) – In a suit for declaring sale deed void – Alleging that the same was got executed by playing fraud – <i>Ad valorem</i> court fees has to be paid.		
धारा 7(iv) – विक्रय विलेख को शून्य घोषित किए जाने के लिये वाद – कपट करते हुए निष्पादित करवाए जाने का आक्षेप – मूल्यानुसार न्याय-शुल्क अदा किया जाना होगा।		
	9	9
Sections 7 (iv)(c) and 7 (v)(a) – <i>Ad valorem</i> court fees – When the cancellation of sale deed is sought by the executant to avoid the sale deed, <i>ad valorem</i> court fees should be paid.		
धाराएं 7 (iv)(ग) एवं 7(अ)(क) – मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क – जब निष्पादक द्वारा विक्रय विलेख से बचने हेतु विक्रय विलेख का निरस्तीकरण चाहा जाता है तब मूल्यानुसार न्यायालय शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।		
	10*	9
Section 16 – Refund of court fees – Settlement of disputes out of court – Whether parties are entitled to refund of court fees in case of out-of-court settlement of dispute? Held, yes.		
धारा 16 – न्यायालय शुल्क की वापसी – विवादों का न्यायालय के बाहर समाधान – क्या विवाद के न्यायालय के बाहर समाधान होने पर पक्षकार न्यायालय शुल्क वापस प्राप्त करने के अधिकारी हैं? अभिनिर्धारित, हाँ।		
	167*	215
CRIMINAL LAW (AMENDMENT) ACT, 2013		
आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013		
– See Sections 300 Fourthly, 376 (2) and 376-A of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 चतुर्थ, 376 (2) एवं 376-क।		
	139	172
– See Sections 376 (2) and 376-D of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 – धाराएं 376 (2) एवं 376-घ।		
	144	182
JOTI JOURNAL - 2021		XXI

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
CRIMINAL LAW (AMENDMENT) ORDINANCE, 2013		
आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश, 20113		
– See Section 300 fourthly, 376(2) and 376- A of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराएं 300 चतुर्थ, 376 (2) एवं 376–क।		
	139	172
CRIMINAL PRACTICE:		
आपराधिक प्रथा:		
– Absconding – Mere Abscondance of an accused is not an incriminating evidence against such accused but it may assume importance when considered along with other circumstances.		
– फरारी – किसी अभियुक्त की फरारी मात्र उस अभियुक्त के विरुद्ध आपत्तिजनक साक्ष्य नहीं है किंतु अन्य परिस्थितियों के साथ विचार किये जाने पर यह महत्व ग्रहण कर सकती है।		
	182*	231
– Appearance of accused as defence witness <i>vis-a-vis</i> right to remain silent.		
– अभियुक्त का बचाव साक्षी के रूप में उपस्थित होना और उसका मौन रहने का अधिकार।		
	11*	10
– See Section 279 and 338 of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 279 एवं 338।		
	308	384
– Benefit of doubt – Conviction should not be based on probability.		
– संदेह का लाभ – दोषसिद्धि संभाव्यता के आधार पर आधारित नहीं होना चाहिए।		
	315	393
– Delay in trial – Compensation – if trial is delayed because of continuous non-appearance of police witnesses then accused should be compensated from the State.		
– विचारण में विलंब – क्षतिपूर्ति – यदि विचारण पुलिस साक्षियों की लगातार अनुपस्थिति के कारण विलंबित होता है तो अभियुक्त को राज्य से क्षतिपूर्ति दिलवाना चाहिए।		
	231	294
– Order sheets – Facts mentioned in order sheets should be treated as <i>prima facie</i> true and its sanctity should not be doubted.		
– आदेश पत्रिकाएं – आदेश पत्रिकाओं में वर्णित तथ्यों को प्रथम दृष्टया सत्य माना जाना चाहिए एवं उसकी शुद्धता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए।		
	68*	69
– Reasonable doubt – It refers to the degree of certainty required of a court before it can make a legally valid determination of the guilt of an accused.		
– युक्तियुक्त संदेह – यह न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त के अपराध की वैधानिक प्रमाणिकता का निर्धारण कर सकने के पूर्व की वांछित निश्चितता की मात्रा को संदर्भित करता है।		
	67	68
JOTI JOURNAL - 2021		XXII

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
– Rectification of order sheet (record of court) – Assertion of facts contrary to order sheet is impermissible.		
– आदेश पत्रिका (न्यायालय के अभिलेख) का सुधार – आदेश पत्रिका के विपरीत तथ्यों का दावा अनुज्ञेय नहीं है।	220	276
– Scope and effect of suggestions extented in defence.		
– बचाव में दिए गए सुझावों का विस्तार व प्रभाव।	12	10
– See Articles 226 and 227 of the Constitution of India.		
– देखें भारत का संविधान का अनुच्छेद 226 एवं 227।	119	141
– See Sections 3, 8 and 9 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8 एवं 9।	91	104
– Sentence – Determination of – Sentence should be determined with human approach		
– Factors irrelevant to decide the guilt of the accused, may also be considered while determining the sentence.		
– दण्डादेश– निर्धारण – दण्डादेश मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्धारित किया जाना चाहिए		
– दण्डादेश के निर्धारण हेतु ऐसे तथ्यों पर भी विचार किया जा सकता है जो अभियुक्त को दोषी निर्धारित करने हेतु सुसंगत नहीं थे।	168	215
– See Sections 279 and 338 of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 279 एवं 338।	278	346
– See Section 323 of the Indian Penal Code, 1860.		
– देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 323।	313	391

CRIMINAL PROCEDURE CODE, 1973

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

Sections 4(2), 5, 173, 190 and 193 – See Sections 2(xxix), 41(2), 42(1), 43, 44, 48, 49, 53 and 67 of the N.D.P.S. ACT, 1985.

धाराएं 4(2), 5, 173, 190 एवं 193 – देखें स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धाराएं 2(xxix), 41(2), 42(1), 43, 44, 48, 49, 53 एवं 67। 101 117

Sections 26, 27, 177 to 184, 461 and 462 – Territorial jurisdiction of criminal courts – Determination of – Principles summarized.

– Irregularities as to territorial jurisdiction – Effect of – Explained.

– Objection as to competency of criminal court and territorial jurisdiction.

धाराएं 26, 27, 177 से 184, 461 एवं 462 – आपराधिक न्यायालयों का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार – निर्धारण – सिद्धांत समेकित किए गए।

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
– प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में अनियमितताएं – प्रभाव – व्याख्या की गई।		
– आपराधिक न्यायालय की अधिकारिता और प्रादेशिक क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति।		
	69 (ii), (iii) & (iv)	69
Section 31 – (i) Awarding multiple sentences of imprisonment at one trial – Obligation of trial court.		
(ii) Concurrent or consecutive running of sentences – Omission to specify; effect of.		
धारा 31 – (i) एक विचारण में कारावास के कई दण्ड अधिरोपित किया जाना – विचारण न्यायालय का दायित्व।		
(ii) दण्डादेशों का समवर्ती या क्रमानुगत रीति से भुगताया जाना – निर्दिष्ट करने में लोप का प्रभाव।		
	232	295
Section 41(1)(b) (ii) – See Sections 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va), 18 and 18-A of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.		
धारा 41(1)(ख)(ii) – देखें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराएं 3(1)(द), 3(1)(घ), 3(1)(अ.क), 18 एवं 18-क।	268	328
Sections 41, 41-A, 167 and 437 – (i) Arrest – Offences punishable with imprisonment of seven years or less – Held, recording of satisfaction by police as mandated by Section 41 is condition precedent for arrest.		
(ii) Arrest – Non-compliance of Sections 41 and 41-A CrPC – Effect of.		
धाराएं 41, 41-क, 167 एवं 437 – (i) गिरफ्तारी – सात वर्ष अथवा उससे कम के कारावास से दण्डनीय अपराध – अभिनिर्धारित, पुलिस द्वारा धारा 41 द्वारा प्राविधित संतुष्टि लेखबद्ध किया जाना गिरफ्तारी के लिए पुरोभाव्य शर्त है।		
(ii) गिरफ्तारी – धारा 41 और 41-क द.प्र.सं. का पालन न करने का प्रभाव।		
	121	145
Sections 41, 41-A and 437 – (i) Arrest; necessity of – Offence punishable for imprisonment of seven years or less – Fresh directions issued to the Police Officers and Judicial Magistrates to scrupulously implement the directions given by the Supreme Court in <i>Arnesh Kumar v. State of Bihar, (2014) 8 SCC 273</i> .		
(ii) Bail – Importance of role of District Judiciary while exercising bail jurisdiction explained – Factors to be considered while deciding bail application delineated.		
धाराएं 41, 41-क एवं 437 – (i) गिरफ्तारी की आवश्यकता – सात वर्ष तक अथवा उससे कम अवधि के कारावास से दण्डनीय अपराध – अर्नेश कुमार वि. बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का कठोरता से पालन करने के लिए पुलिस अधिकारियों और न्यायिक मजिस्ट्रेटों को नवीन निर्देश जारी किए गए।		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(ii) जमानत – जमानत के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में जिला न्यायपालिका की भूमिका का महत्व समझाया गया – जमानत आवेदन निराकृत करते समय विचार में लिए जाने वाले कारक रेखांकित किए गए।	122	147
Sections 53-A, 311 and 374 – Direction to conduct DNA test u/s 311 CrPC.		
धाराएं 53-क, 311 एवं 374 – द.प्र.सं. की धारा 311 के अन्तर्गत डीएनए परीक्षण कराने का निर्देश।	285*	353
Sections 87, 170, 437 and 439 – (i) Bail – Whether an accused of non-bailable offence whose custody was not required during investigation be released on bail on filing of chargesheet?		
(ii) Issue of process on taking cognizance – Accused of non-bailable offence – In such cases, invariably summons should be issued and not non-bailable warrant.		
धाराएं 87, 170, 437 एवं 439 – (i) जमानत – क्या गैर-जमानतीय अपराध के अभियुक्त को, जिसकी अनुसंधान के दौरान अभिरक्षा की आवश्यकता नहीं थी, अभियोग-पत्र प्रस्तुत होने पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है?		
(ii) संज्ञान लेने पर आदेशिका जारी करना – गैर-जमानतीय अपराध का अभियुक्त – ऐसे मामलों में अनिवार्य रूप से समन जारी किया जाना चाहिए न कि गैर-जमानतीय वारंट।	286	354
Sections 91 and 233 – Right of accused to render evidence in his defence – Application u/s 91 CrPC.		
धाराएं 91 एवं 233 – अभियुक्त का अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अधिकार – दं.प्र.सं. की धारा 91 के अंतर्गत आवेदन।	287	357
Section 98 – Jurisdiction – Order for the restoration of any male child to his mother cannot be passed u/s 98.		
धारा 98 – क्षेत्राधिकार – किसी बालक को उसकी मां को वापस किये जाने का आदेश धारा 98 के अंतर्गत पारित नहीं किया जा सकता।	233	296
Sections 100 and 166 – Seizure during investigation – Non-compliance of statutory provisions contained u/s 100(4), 166(3) and 166(4) – Effect of – Held, non-compliance of aforesaid provisions alone may not be a ground to acquit the accused – But in a case where recovery is seriously doubted, non-compliance of aforesaid provisions play an important role.		
धाराएं 100 एवं 166 – अनुसंधान के दौरान जप्ती – धारा 100(4), 166(3) और 166(4) के वैधानिक प्रावधानों का पालन न करना – प्रभाव – अभिनिर्धारित, मात्र उपरोक्त प्रावधानों का पालन न करना, अभियुक्त की दोषमुक्ति का आधार नहीं हो सकता है – परन्तु ऐसे मामले में जहां जप्ती गंभीर संदेह युक्त हो, उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन न करना महत्वपूर्ण हो जाता है।	70 (i)	74

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 102 – See Sections 2(v), 2(w), 17 and 17(1A) of the Prevention of Money Laundering Act, 2002.		
धारा 102 – देखें धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धाराएं 2(फ), 2(ब), 17 एवं 17(1क)।	212	269
Section 125 – Maintenance – Separate residence by wife – When justified?		
धारा 125 – भरण-पोषण – पत्नी द्वारा पृथक निवास – कब उचित है?	288	357
Section 125 – Maintenance claimed by unmarried daughter.		
धारा 125 – अविवाहित पुत्री द्वारा भरण-पोषण का दावा।	13*	11
Section 154 – Consolidated FIR – In case of several victims in case of cheating.		
धारा 154 – समेकित प्रथम सूचना प्रतिवेदन – छल के एक प्रकरण में अनेक पीड़ित होने के मामले में।	37	38
Section 154 – FIR – Ingredients – Offence must be clearly specified in FIR and precise location of incident should also be mentioned – Any cryptic information is not equivalent to FIR.		
धारा 154 – प्रथम सूचना प्रतिवेदन – तत्व – प्रथम सूचना प्रतिवेदन में अपराध का स्पष्ट विवरण होना चाहिए और घटना के स्थान का भी उल्लेख किया जाना चाहिए – कोई भी गुप्त सूचना प्रथम सूचना प्रतिवेदन के समतुल्य नहीं होती।	169	216
Sections 154, 156 and 157 – Investigation by an officer who himself is informant/complainant – Effect of – Merely because informant is the investigator, by that itself investigation will not suffer from unfairness or bias – Reference made to Constitution Bench answered. [<i>Mohan Lal v. State of Punjab, (2018) 17 SCC 627</i> and <i>Varinder Kumar v. State of H.P., (2020) 3 SCC 321</i> overruled]		
धाराएं 154, 156 एवं 157 – ऐसे अधिकारी द्वारा किया गया अनुसंधान जो स्वयं सूचनाकर्ता/परिवादी हो – प्रभाव – मात्र इसलिए कि सूचनाकर्ता ही अनुसंधानकर्ता है, स्वयमेव अनुसंधान को अन्यायपूर्ण अथवा पक्षपातपूर्ण नहीं बना देगा – संविधान पीठ को प्रेषित संदर्भ निराकृत किया गया। [<i>मोहन लाल वि. पंजाब राज्य, (2018) 17 एससीसी 627</i> एवं <i>वरिंदर कुमार वि. हिमाचल प्रदेश राज्य, (2020) 3 एससीसी 321</i> उलट दिए गए]	103	120
Sections 154, 156, 162 and 179 – Territorial jurisdiction – Place where consequence of act ensued.		
– Multiple FIRs of the same incident – Validity of – Held, there can be no second FIR – In such cases, FIR registered first in point of time should be treated as main FIR and all others as statement u/s 162 CrPC.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 154, 156, 162 एवं 179 – प्रादेशिक क्षेत्राधिकार – वह स्थान जहां कृत्य का परिणाम उत्पन्न हुआ।		
– एक ही घटना की कई प्रथम सूचना रिपोर्ट – वैधता – अभिनिर्धारित, कोई दूसरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं हो सकती है – ऐसे मामलों में, पहले दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट को मुख्य प्रथम सूचना रिपोर्ट और अन्य सभी को धारा 162 द.प्र.सं. के अधीन बयान माना जाना चाहिए।		
	137 (i) & (ii)	168
Sections 154, 156 and 200 – Information/complaint of offences to police – How should be proceeded with? Directions issued.		
धाराएं 154, 156 एवं 200 – पुलिस को अपराधों की सूचना/शिकायत – कैसे कार्यवाही की जानी चाहिए? निर्देश जारी किए गए।		
	123	151
Sections 154, 156(3) and 210 – Registration of FIR during pendency of application u/s 156(3) CrPC or complaint – Permissibility of.		
धाराएं 154, 156(3) एवं 210 – द.प्र.सं. की धारा 156(3) के अधीन आवेदन अथवा परिवाद के लंबित रहने के दौरान प्रथम सूचना प्रतिवेदन पंजीबद्ध किया जाना – अनुज्ञेयता।		
	234	297
Sections 154, 167, 173, 178 to 185, 190, 200 and 202 – See Sections 22, 22(1)(d), 23, 25, 27, 32 and 36AC of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.		
धाराएं 154, 167, 173, 178 से 185, 190, 200 एवं 202 – देखें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धाराएं 22, 22(1)(घ), 23, 25, 27, 32 एवं 36कग।	87	98
Sections 154 and 313 – Examination of accused – Failure to put circumstances against accused in his examination u/s 313 CrPC – Effect of – Such circumstances must be excluded from consideration by courts.		
– Delay in lodging FIR – Effect of – Sexual offences – Prosecutrix and accused belonged to different religions – Both were known to each other – Letters exchanged between them show that their love for each other grew and matured over time – Their physical relations were not sporadic but, regular over the years – FIR was lodged at an opportune time of seven days prior to accused's marriage with another girl – All these facts raise serious doubt about truthfulness of allegations.		
धाराएं 154 एवं 313 – अभियुक्त का परीक्षण – अभियुक्त के विरुद्ध आई परिस्थितियों को धारा 313 द.प्र.सं. के अधीन उसके परीक्षण में प्रस्तुत करने में विफलता – प्रभाव – अभिनिर्धारित, ऐसी परिस्थितियों पर न्यायालय द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए।		
– प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराने में विलंब – प्रभाव – लैंगिक अपराध – अभियोक्त्री व अभियुक्त अलग-अलग धर्मों के थे – दोनों एक – दूसरे से परिचित थे – उनके बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों से प्रकट होता है कि एक-दूसरे के लिए उनका प्रेम समय के साथ बढ़ा और परिपक्व		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
हुआ – शारीरिक संबंध छिटपुट नहीं थे, अपितु वर्षों तक नियमित थे – प्रथम सूचना रिपोर्ट एक उपयुक्त समय पर दर्ज कराई गई थी, जब सात दिवस उपरांत दूसरी लड़की से अभियुक्त का विवाह तय था – ये सभी तथ्य आरोपों की सत्यता पर गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं।	71 (ii) & (iii)	75
Sections 154 and 313 – Examination of accused – Duty of trial Court – Evidentiary value of such statement.		
धाराएं 154 एवं 313 – अभियुक्त का परीक्षण – विचारण न्यायालय का कर्तव्य – ऐसे कथनों का साक्ष्यिक मूल्य।	14 (iv)	12
Sections 154 and 438 – (i) Second FIR – Maintainability of.		
(ii) Anticipatory bail – As a rule of thumb, it cannot be said that an absconder against whom a proclamation u/s 82 of CrPC is not issued, is not entitled to get anticipatory bail.		
धाराएं 154 एवं 438 – (i) द्वितीय एफ.आई.आर. – प्रचलनशीलता।		
(ii) अग्रिम जमानत – अनुभवसिद्ध नियम के रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि एक फरार अभियुक्त जिसके विरुद्ध द.प्र.सं. की धारा 82 के अंतर्गत उद्घोषणा जारी नहीं की गई, अग्रिम जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।	124	152
Sections 156, 169 and 173 – Investigation – Direction by Court – Whether amounts to interference? If the court gives any direction to ensure that the investigation is conducted within the contours of the law, it cannot amount to interference with investigation.		
धाराएं 156, 169 एवं 173 – अन्वेषण – न्यायालय द्वारा निर्देश – क्या हस्तक्षेप के समान है? यदि न्यायालय इसके लिए कोई निर्देश देता है कि अन्वेषण विधि के अनुसार संचालित हो तो इसे अन्वेषण में हस्तक्षेप के समान नहीं माना जा सकता।	125	154
Sections 156(3) and 173 – Delay in investigation – In case of undue delay, petitioner may approach the concerned Magistrate u/s 156(3) of CrPC.		
धाराएं 156(3) एवं 173 – अनुसंधान में विलंब – अनावश्यक विलंब की स्थिति में याचिकाकर्ता धारा 156(3) द.प्र.सं. के अंतर्गत संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष जा सकता है।	235	298
Sections 156 (3), 173 and 190 – Illegal sand mining – Power of Magistrate – Cognizance – Magistrate, u/s 156 (3) CrPC can direct the concerned SHO of the police station to register FIR for the offences under IPC and the MMDR Act, 1957 also – However, cognizance for the offence of MMDR Act can be taken on complaint filed by the authorized officer only.		
धाराएं 156 (3), 173 एवं 190 – अवैध रेत खनन – मजिस्ट्रेट की शक्तियां – संज्ञान – मजिस्ट्रेट दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के अंतर्गत पुलिस स्टेशन के संबंधित भारसाधक अधिकारी को भारतीय दण्ड संहिता के साथ खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
के अपराधों हेतु भी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करने हेतु निर्देशित कर सकता है यद्यपि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 के अपराधों का संज्ञान केवल प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर ही लिया जा सकता है।	72	80
Section 157 – Investigation – Failure to show crime scene in rough sketch; effect of. धारा 157 – अनुसंधान – कच्चे मानचित्र में घटनास्थल को दर्शाने में विफलता का प्रभाव।	310 (ii)	386
Section 162 – See Sections 3, 8 and 9 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 162 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8 एवं 9।	91	104
Sections 162, 227 and 228 – (i) Framing of charge – Requirement of – Court must be satisfied that with the material available, a case is made out for the accused to stand trial – Material must be such that can be translated into evidence at the stage of trial. (ii) Bar under Section 162 CrPC – Admission made in the course of investigation to a Police Officer will not be admissible u/s 162 of the CrPC.		
धाराएं 162, 227 एवं 228 – (i) आरोप की विरचना – आवश्यकता – न्यायालय को उपलब्ध विषय-वस्तु के आधार पर संतुष्ट होना चाहिए कि अभियुक्त का विचारण किए जाने के लिए प्रकरण बनता है – सामग्री निश्चित रूप से ऐसी हो जिसे विचारण के स्तर पर साक्ष्य में परिवर्तित किया जा सके। (ii) दं.प्र.सं. की धारा 162 के अंतर्गत प्रतिबंध – अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी से की गई स्वीकृति धारा 162 दं.प्र.सं. के अंतर्गत ग्राह्य नहीं होगी।	73	82
Sections 164, 207 and 208 – Only after taking of the cognizance and issuance of process in terms of sections 207 and 208 accused becomes entitled to copies of any of the relevant documents.		
धाराएं 164, 207 एवं 208 – संज्ञान लिये जाने के पश्चात् एवं आदेशिकायें जारी किये जाने के पश्चात् ही अभियुक्त धारा 207 एवं 208 के अनुसार सुसंगत प्रलेखों की प्रतिलिपियों को प्राप्त करने का अधिकारी होता है।	15	15
Sections 164 and 307 – Substantive evidence – Is the evidence rendered in Court – It would be impermissible to convict the accused on the basis of the statement made u/s 164 CrPC.		
धाराएं 164 एवं 307 – तात्विक साक्ष्य – न्यायालय में दिया गया साक्ष्य ही है – दं.प्र.सं. की धारा 164 के तहत किये गये कथन के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराना अनुमत नहीं होगा।	90 (i)	101
Section 167 – (i) Further remand – Whether formal application is necessary? (ii) Extension of further remand – Whether order of Magistrate is compulsory? (iii) Illegal detention – Appropriate remedy.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 167 – (i) पश्चात्पूर्ती अभिरक्षा – क्या औपचारिक आवेदन आवश्यक है?		
(ii) पश्चात्पूर्ती अभिरक्षा का बढ़ाया जाना – क्या मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य है?		
(iii) अवैध निरोध – उचित उपचार।	236	298
Section 167 – (i) Investigation – Extension of time of investigation from 90 days to 180 days under Special Statutes (UAPA, 1967) – Competency – Held, Special Court constituted under NIA Act, 2008 or in absence thereof, Court of Sessions alone is competent to extend time – Magistrate has no jurisdiction to extend such time period.		
(ii) Default bail – Indefeasible right of accused to be released on bail after expiry of stipulated period is not affected if application is not disposed of or is wrongly disposed of.		
धारा 167 – (i) अनुसंधान – विशेष विधि (यूएपीए, 1967) के अंतर्गत अनुसंधान का समय 90 दिवस से 180 दिवस तक बढ़ाना – सक्षमता – अभिनिर्धारित, राष्ट्रीय अनुसंधान एजेन्सी अधिनियम, 2008 के अधीन गठित विशेष न्यायालय अथवा उसके अभाव में, सत्र न्यायालय ही समय बढ़ाने के लिए सक्षम है – मजिस्ट्रेट को ऐसी समयावधि बढ़ाने की कोई अधिकारिता नहीं है।		
(ii) व्यतिक्रम जमानत – निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद जमानत पर रिहा किए जाने का अभियुक्त का अजेय अधिकार आवेदन का निराकरण नहीं किए जाने अथवा आवेदन त्रुटिपूर्ण तरीके से निराकृत किए जाने से प्रभावित नहीं होता है।	74	83
Sections 167 and 439(2) – Cancellation of default bail – If a person is illegally or erroneously released on bail u/s 167(2) CrPC his bail can be cancelled by passing appropriate order u/s 439(2) CrPC.		
धाराएं 167 एवं 439(2) – व्यतिकारी जमानत का निरस्तीकरण – यदि एक व्यक्ति अवैध या त्रुटिपूर्ण रूप से दं.प्र.सं. की धारा 167(2) के अंतर्गत जमानत पर रिहा किया जाता है तो उसकी जमानत दं.प्र.सं. की धारा 439(2) के अंतर्गत युक्तियुक्त आदेश पारित कर निरस्त की जा सकती है।	170	216
Section 167(2) – Compulsory bail – Indefeasible right – Neither the Supreme Court in its order nor the restrictions imposed during the lockdown announced by the Government shall operate as any restriction on the rights of an accused regarding his indefeasible right to get a default bail.		
धारा 167(2) – अनिवार्य जमानत – अजेय अधिकार – न ही उच्चतम न्यायालय अपने आदेश में धारा 167(2) दं.प्र.सं. के अधीन विहित अवधि को आच्छादित करना अवधारित कर सकता है, न ही सरकार द्वारा उद्घोषित लॉकडाउन के दौरान अधिरोपित कोई सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध, अभियुक्त के धारा 167(2) के अधीन जमानत प्राप्त करने के अधिकार पर किसी प्रतिबंध के रूप में लागू होते हैं।	16	16

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
------------	-------------	-------------

Section 167 (2) – (i) Default bail – Accrual of right – Only requirement for getting default bail u/s 167 (2) CrPC is that the investigation was not completed and no chargesheet is filed within 60/90 days.

(ii) Imposing of condition – Whether necessary? Held, No – High Court while releasing the appellant on default bail has imposed the condition to deposit ₹ 8,00,000/- – Imposing condition of depositing the alleged amount while releasing the accused would frustrate the very object and purpose of default bail.

धारा 167 (2) – (i) व्यतिक्रम जमानत – अधिकार का उत्पन्न होना – व्यतिक्रम जमानत प्राप्त करने के लिए आवश्यकता केवल यह है कि धारा 167(2) के अंतर्गत 60 अथवा 90 दिवस में अन्वेषण पूर्ण नहीं हुआ हो और न ही अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

(ii) शर्त अधिरोपित किया जाना – क्या आवश्यक है? अभिनिर्धारित, नहीं – उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को व्यतिक्रम जमानत पर रिहा किए जाते समय ₹ 8,00,000/- रुपये निक्षिप्त करने की शर्त अधिरोपित की गई – अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाते समय राशि निक्षिप्त करने की कथित शर्त अधिरोपित करना, अनिवार्य जमानत के उद्देश्य एवं प्रयोजन को निरुत्साहित करना होगा।

75 86

Section 167 (2), Proviso (a), Explanation I (as inserted by Act 45 of 1978) – (i) Default bail – Indefeasible right availing of – Once the accused files an application for bail u/s 167 (2) CrPC r/w/s 36 A (4) NDPS Act upon expiry of 180 days or the extended period, he is deemed to have 'availed of' or enforced his rights to be released on default bail.

(ii) Right of default bail – When will be extinguished? If the accused fails to apply for default bail and subsequently chargesheet, additional complaint or application for seeking extension of time is filed, the right of default bail would be extinguished.

(iii) Purpose of issuance of notice – Its only purpose is that Public Prosecutor can satisfy the court that the prosecution has already obtained an order of extension of time or challan has been filed or prescribed period has not expired.

धारा 167 (2), परन्तुक (क) स्पष्टीकरण। (1978 के अधिनियम सं. 45 के द्वारा यथा अन्तःस्थापित) – (i) व्यतिक्रम जमानत – अजेय अधिकार का प्रयोग करना – एक बार अभियुक्त धारा 167 (2) द.प्र.सं. सहपठित धारा 36क (4) एनडीपीएस एक्ट के तहत 180 दिनों की समाप्ति के बाद अथवा विस्तारित समय अवधि के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत कर देता है तो यह माना जावेगा कि उसके द्वारा व्यतिक्रम जमानत पर रिहा होने के अधिकार का उपयोग अथवा प्रयोग कर लिया गया है।

(ii) व्यतिक्रम जमानत का अधिकार – कब निर्वापित होगा? यदि अभियुक्त अनिवार्य जमानत के लिए आवेदन करने में असफल रहता है और इसके बाद अभियोग पत्र, अतिरिक्त परिवाद या समय को विस्तारित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तब व्यतिकारी जमानत का अधिकार निर्वापित होगा।

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(iii) सूचना पत्र जारी किये जाने का प्रयोजन – इसका मात्र यह उद्देश्य है कि लोक अभियोजक न्यायालय को संतुष्ट करा सके कि अभियोजन पूर्व से ही समय को विस्तारित करने का आदेश प्राप्त कर चुका है अथवा अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है अथवा निर्धारित समय पूर्ण नहीं हुआ है।	76	87
Sections 167(2) and 397 – Revision – Maintainability – Revision is maintainable against an order passed upon the application for default bail.		
धाराएं 167(2) एवं 397 – पुनरीक्षण – पोषणीयता – व्यतिक्रम जमानत आवेदन पर पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रचलन योग्य होती है।	237	300
Sections 167 (2), 436-A, 437 and 439 – (i) Default bail – Duty of Magistrate – Guidelines issued – Magistrate is duty bound to bring to the notice of the undertrial that he has a right to statutory bail – Further, in the event of indigency and financial breakdown of accused, it is the duty of Magistrate to bring it to the notice of DLSA for assistance.		
(ii) Bail – Proviso to section 436A Cr.P.C. gives extraordinary power to the Court and it is the duty of the court to examine the applicability of this section in each and every case.		
धाराएं 167 (2), 436-क, 437 एवं 439 – (i) व्यतिक्रम जमानत – मजिस्ट्रेट का कर्तव्य – दिशानिर्देश जारी किए गए – मजिस्ट्रेट विचाराधीन को यह संसूचित करने के लिए कर्तव्यबंध है कि उसे विधितः जमानत प्राप्त करने का अधिकार है – यह भी, कि अभियुक्त के निर्धन होने अथवा आर्थिक रूप से पिछड़े होने की दशा में सहायता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करना मजिस्ट्रेट का कर्तव्य है।		
(ii) जमानत – धारा 436-क दं.प्र.सं. का परन्तुक न्यायालय को असाधारण शक्तियाँ प्रदान करता है और प्रत्येक प्रकरण में इस प्रावधान की प्रयोज्यता का परीक्षण करना न्यायालय का कर्तव्य है।	77	89
Sections 173 and 190 – Further investigation – Closure report filed on the basis that death was homicidal but there was no clue of offenders – Closure report lacks bonafide – Setting aside closure report, <i>de novo</i> investigation directed by the Apex Court.		
धाराएं 173 एवं 190 – आगामी अन्वेषण – खात्मा प्रतिवेदन इस आधार पर प्रस्तुत किया गया कि मृत्यु मानव-वध स्वरूप की थी परंतु अभियुक्तगण के संबंध में कोई सुराग नहीं मिला – खात्मा प्रतिवेदन में सद्भावना का अभाव – उच्चतम न्यायालय द्वारा खात्मा प्रतिवेदन अपास्त किया गया, नवीन अन्वेषण निर्देशित।	78	90
Section 173(8) – Investigation during trial.		
धारा 173(8) – विचारण के दौरान अन्वेषण।	17	17
Section 190 – (i) Closure Report – Notice – Must be issued by the Court to the complainant whenever closure report is filed.		
(ii) Notice – Proposed accused should be noticed whenever complainant challenges order of dismissal of complaint.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 190 – (1) खात्मा प्रतिवेदन – सूचना पत्र – खात्मा प्रतिवेदन प्रस्तुत होने पर न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता को सूचना पत्र अवश्यमेव जारी करना चाहिये।		
(2) सूचना पत्र – शिकायतकर्ता द्वारा परिवाद निरस्तगी के आदेश को चुनौती देने पर प्रस्तावित अभियुक्त को सूचना दिया जाना चाहिये।	79	92
Section 190 – See Section 28(1) of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.		
धारा 190 – देखें गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 28(1)।	18*	18
Sections 190, 468 and 469 – See Sections 29 and 33 of the Insecticides Act, 1968.		
धाराएं 190, 468 एवं 469 – देखें कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धाराएं 29 एवं 33।	316	394
Section 195 – There is no bar u/s 195 of CrPC in respect of registration of FIR – What is barred u/s 195 of CrPC is that after investigating an offence u/s 188 of IPC, Police Officer cannot file a final report in Court and Court cannot take cognizance on that final report, as at that stage bar contained in Section 195 of CrPC comes into operation.		
धारा 195 – धारा 195 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीयन पर कोई रोक नहीं है – धारा 195 द.प्र.सं. के अन्तर्गत रोक यह है कि धारा 188 भा.द.सं. के अन्तर्गत अनुसंधान के उपरांत पुलिस अधिकारी न्यायालय में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता है और न्यायालय उक्त अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर संज्ञान नहीं ले सकता है क्योंकि उक्त चरण पर धारा 195 द.प्र.सं. में उल्लेखित बाधा क्रियाशील हो जाती है।	93	108
Sections 195 and 340 – Offences against lawful authority of public servants and offences against public justice – Composite offences for some of which section 195 CrPC is not attracted – Procedure to be followed.		
धाराएं 195 एवं 340 – लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार एवं लोक न्याय के विरुद्ध अपराध – समग्र अपराध जिनमें कुछ के लिए धारा 195 द.प्र.सं. के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं – अपनाई जाने वाली प्रक्रिया।	19 (i)	18
Sections 195(1)(b)(i), 195(1)(b)(ii) and 340 – (i) Whether bar u/s 195(1)(b)(i) CrPC applies to offence of giving false evidence committed during the stage of investigation prior to production of such evidence before trial court? Held, no.		
(ii) Whether “stage of a judicial proceeding” under Explanation 2 to Section 193 IPC is synonymous with “proceeding in any Court” u/s 195(1)(b)(i) CrPC? Held, no.		
धाराएं 195(1)(ख)(i), 195(1)(ख)(ii) एवं 340 – (i) क्या धारा 195(1)(ख)(i) द.प्र.सं. की बाधा विचारण न्यायालय के समक्ष ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने के पूर्व अनुसंधान के दौरान किए गए मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध पर लागू होती है? अवधारित, नहीं।		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(ii) क्या भा.द.सं. की धारा 193 के स्पष्टीकरण 2 में “न्यायिक कार्यवाही के चरण” धारा 195(1)(ख)(i) द.प्र.सं. के “किसी भी न्यायालय में कार्यवाही” का पर्याय है? अभिनिर्धारित, नहीं।	171	218
Section 197 – Sanction for prosecution – Shield of Section 197 of CrPC protects a public servant from malicious prosecution but it should not be used to protect corrupt officers.		
धारा 197 – अभियोजन हेतु स्वीकृति – धारा 197 द.प्र.सं. का कवच लोकसेवकों का विद्वेषपूर्ण अभियोजन से बचाव करता है किंतु इसका उपयोग भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिये नहीं करना चाहिए।	289	358
Section 197 – Sanction for prosecution – When material.		
धारा 197 – अभियोजन के लिए स्वीकृति – कब महत्वपूर्ण है।	20*	21
Sections 204 (4) and 378 (4) – Dismissal of complaint – Appeal or revision – Appeal u/s 378 (4) is not maintainable in case of dismissal of private complaint for non-payment of process fee as such order does not amount to acquittal of accused.		
धाराएं 204 (4) एवं 378 (4) – परिवाद का खारिज किया जाना – अपील अथवा पुनरीक्षण – आदेशिका फीस का भुगतान न होने के कारण निजी परिवाद खारिज हो जाने के प्रकरण के संबंध में धारा 378(4) के अंतर्गत अपील पोषणीय नहीं है क्योंकि ऐसे आदेश का परिणाम अभियुक्त की दोषमुक्ति नहीं होता है।	80*	93
Sections 227 and 228 – Framing of charges – Only on the basis of memorandum of co-accused.		
धाराएं 227 एवं 228 – आरोप की विरचना – केवल सह – अभियुक्त के ज्ञापन के आधार पर।	21	21
Sections 227, 239 and 397 – Revision petition – Maintainability of – Whether a revision lies against order of framing charge or refusal to discharge? Held, yes.		
धाराएं 227, 239 एवं 397 – पुनरीक्षण याचिका – पोषणीयता – क्या आरोप विरचित करने अथवा आरोपमुक्त करने से इंकार करने के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण पोषणीय है? अभिनिर्धारित, हाँ।	172*	222
Section 228 – Abetment to suicide – Framing of charge.		
धारा 228 – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – आरोप की विरचना।	238	300
Sections 232 and 233 – See Section 304-B of the Indian Penal Code, 1860 and Section 113-B of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 232 एवं 233 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304-ख एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-ख।	250	310

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 258 and 322 – See Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881. धाराएं 258 एवं 322 – देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138।	208	264
Section 309 – Adjournment – Should not be in routine manner and provisions of Section 309 CrPC should be strictly complied in sensitive cases. धारा 309 – स्थगन – सामान्य अनुक्रम में नहीं करना चाहिए और संवेदनशील प्रकरणों में धारा 309 दं.प्र.सं. के प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाना चाहिए।	290	359
Section 311 – Power to summon material witness – Exercise of – Deceased died of unnatural death – Medical officer who conducted first post-mortem turned hostile – Material on record revealed that second post-mortem on deceased's body was also conducted – At the fag end of trial, application filed by Public Prosecutor to summon the medical officer who conducted second post-mortem along with relevant records – Held, application deserves to be allowed to uphold the truth. धारा 311 – महत्वपूर्ण साक्षी को आहूत करने की शक्ति का प्रयोग – मृतक की अप्राकृतिक मृत्यु हुई – पहला शव परीक्षण करने वाले चिकित्साधिकारी पक्षद्रोही हो गए – अभिलेख से प्रकट हुआ कि मृतक के शरीर का दोबारा शव परीक्षण भी किया गया था – विचारण के अंतिम चरण पर, लोक अभियोजक द्वारा दूसरा शव परीक्षण करने वाले चिकित्साधिकारी को सुसंगत अभिलेख के साथ आहूत करने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया – अभिनिर्धारित, सत्य प्रकट करने के लिए आवेदन स्वीकार योग्य है।	173*	222
Section 311 – Recalling of witness – The person, whose evidence appears to be essential for the just decision of the case, may be recalled by the court at any stage. धारा 311 – साक्षी को पुनः बुलाया जाना – वह व्यक्ति, जिसकी साक्ष्य मामले के न्यायसंगत विनिश्चय हेतु आवश्यक प्रतीत होती है, न्यायालय द्वारा किसी भी प्रक्रम पर पुनः साक्ष्य हेतु बुलाया जा सकता है।	81	93
Section 311 – See Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988. धारा 311 – देखें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19।	266	324
Section 313 – Examination of accused – Principles of natural justice – Effect of absence of any question having been put to accused. धारा 313 – अभियुक्त परीक्षण – नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत – अभियुक्त के समक्ष कोई प्रश्न ना रखे जाने का प्रभाव।	305 (i)	378
Section 313 – See Section 106 of the Evidence Act, 1872. धारा 313 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106।	244	305
Section 313 – See Sections 118, 138 and 139 of the Negotiable Instruments Act, 1881. धारा 313 – देखें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धाराएं 118, 138 एवं 139।	104	123

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 319 – Summon to a person as an additional accused – Accused can be summoned on the basis of even examination-in-chief of witness and court need not wait till his cross-examination.		
धारा 319 – अतिरिक्त अभियुक्त के रूप में व्यक्ति को समन – अभियुक्त को मात्र मुख्य परीक्षण के आधार पर भी समन किया जा सकता है और न्यायालय को प्रतिपरीक्षण तक इंतजार करना आवश्यक नहीं है।	126	155
Section 319 – (i) Summoning of additional accused – Whether power u/s 319 CrPC be exercised only on the basis of examination-in-chief of a witness?		
(ii) Summoning of additional accused – At this stage, Court is not required to appreciate the evidence or enter into the merits of the case.		
(iii) Summoning of additional accused – Stage at which power u/s 319 CrPC may be exercised?		
धारा 319 – (i) अतिरिक्त अभियुक्त को समन – क्या धारा 319 द.प्र.सं. की शक्ति का प्रयोग मात्र साक्षी के मुख्य परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है?		
(ii) अतिरिक्त अभियुक्त को समन – इस स्तर पर न्यायालय को साक्ष्य का मूल्यांकन करने अथवा मामले के गुण-दोष पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।		
(iii) अतिरिक्त अभियुक्त को समन – वह चरण जिस पर धारा 319 द.प्र.सं. की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।	291	360
Section 319 – Summoning of additional accused – Exercise of power u/s 319 CrPC – Proposed accused persons were named in FIR registered u/s 376-D IPC as well as in statement of witnesses recorded during investigation – They were also named in court statements.		
धारा 319 – अतिरिक्त अभियुक्त को समन – धारा 319 द.प्र.सं. की शक्ति का प्रयोग – प्रस्तावित अभियुक्तगण का नाम भा.दं.सं. की धारा 376-घ के अधीन पंजीबद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन के साथ-साथ अनुसंधान के दौरान लेखबद्ध साक्षियों के कथनों में था – उन्हें न्यायालय में दिए गए कथनों में भी नामित किया गया।	292*	361
Section 320 – Compounding of offence – Effect of compounding of offence on the parties and on the public should be kept in mind by the Court.		
धारा 320 – अपराधों का शमन – अपराध के शमन का पक्षकारों एवं आम जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए।	293	362
Section 320 – Compounding of offence – Grant of leave by Court – Guiding factors for Court to grant or refuse the leave; explained.		
धारा 320 – अपराध का शमन – न्यायालय द्वारा अनुमति दिया जाना – न्यायालय द्वारा अनुमति देने अथवा न देने के लिए मार्गदर्शक कारक समझाए गए।	198 (ii)	254

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 320 – Compromise between parties – Non-compoundable offences – Effect of.		
धारा 320 – पक्षकारों के मध्य समझौता – अशमनीय अपराध – प्रभाव।	127	156
Section 321 – Withdrawal of prosecution – Duty of the Court.		
धारा 321 – अभियोजन की वापसी – न्यायालय का कर्तव्य।	294	363
Sections 353, 354 and 389 – Judgment; contents of – Process of reaching to conclusion – Explained.		
धाराएं 353, 354 एवं 389 – निर्णय की अंतर्वस्तु – निष्कर्ष तक पहुंचने की प्रक्रिया – समझाई गई।	295	365
Section 354 – See Order 20 Rule 4 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 354 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 20 नियम 4।	227	290
Section 357 – Compensation; release of – Whether compensation ordered u/s 357 CrPC be released during pendency of appeal? Held, no – Such release would lead to multiplicity of proceedings.		
धारा 357 – प्रतिकर का भुगतान – क्या अपील के लंबित रहने के दौरान धारा 357 द.प्र.सं. के अधीन आदेशित प्रतिकर के भुगतान का आदेश दिया जा सकता है? अभिनिर्धारित, नहीं – इस तरह के भुगतान से कार्यवाहियों की बहुलता होगी।	174*	223
Sections 357 and 439 – Compensation – Unnecessary harassment may be prevented by order of compensation to the victim but such compensation should not be determined while granting bail to the accused.		
धाराएं 357 एवं 439 – प्रतिकर – प्रतिकर के आदेश के द्वारा पीड़ित के अनावश्यक उत्पीड़न को रोका जा सकता है किंतु ऐसे प्रतिकर का निर्धारण अभियुक्त को जमानत प्रदान करते समय ही नहीं कर देना चाहिए।	296	366
Sections 362, 437(5), 439, 439(1)(b), 439(2) and 482 – (i) Alteration in conditions of bail order – Power of Magistrate – Since legislature has not expressly given power to Magistrate to change or alter the conditions of bail order, such power cannot be exercised by Magistrate impliedly u/s 437(5) and 439(2) of CrPC.		
(ii) Modification of conditions in bail order – Power of Sessions Court – Section 439(1)(b) of CrPC is enabling provision which gives express power to High Court and Court of Sessions to modify or alter the conditions imposed by Magistrate while granting bail.		
धाराएं 362, 437(5), 439, 439(1)(ख), 439(2) एवं 482 – (i) जमानत आदेश की शर्तों में परिवर्तन – मजिस्ट्रेट की शक्ति – चूंकि विधायिका द्वारा अभिव्यक्त रूप से मजिस्ट्रेट को जमानत आदेश की शर्तों को उपांतरित या परिवर्तित करने की शक्ति प्रदत्त नहीं की गई है, ऐसी शक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437(5) एवं 439(2) के अंतर्गत विवक्षित रूप से प्रयुक्त नहीं की जा सकती।		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(ii) जमानत आदेश की शर्तों में परिवर्तन – सत्र न्यायालय की शक्ति – दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(1) (ख) समर्थकारी प्रावधान है जो उच्च न्यायालय एवं सत्र न्यायालय को अभिव्यक्त शक्ति देता है कि वह मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत प्रदान किए जाते समय अधिरोपित शर्तों को संशोधित या परिवर्तित कर सके।	175	223
Sections 372 and 377 – Maintainability – Appeal for enhancement of sentence by victim. धाराएं 372 एवं 377 – पोषणीयता – पीड़ित द्वारा दण्डादेश में वृद्धि करने हेतु अपील।	22	22
Sections 374 and 386 – Appeal against conviction – Whether non-appealing accused may also be given benefit of conclusion in appeal preferred by co-accused? धाराएं 374 एवं 386 – दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील – क्या अपील न करने वाले अभियुक्त को भी सह-अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत अपील में निष्कर्ष का लाभ दिया जा सकता है?	297*	367
Section 378 – Appeal against acquittal – Interference when not warranted. धारा 378 – दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील – कब हस्तक्षेप उचित नहीं।	239	301
Section 378 – Appeal against acquittal – Power – There is no difference of power, scope, jurisdiction or limitation under the CrPC between appeal against judgments of conviction or of acquittal – Appellate Court can reconsider questions of both law and fact and re-appreciate evidence on record. धारा 378 – दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील – शक्ति – दं.प्र.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील में शक्ति, विस्तार, क्षेत्राधिकार या परिसीमा का कोई अंतर नहीं है – अपीलीय न्यायालय विधि एवं तथ्य दोनों प्रश्नों को पुनर्विचारित कर सकता है और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को पुनर्मूल्यांकित कर सकता है।	102 (i)	118
Section 389 – Stay of execution of sentence – Power of Appellate Court – While considering application u/s 389 CrPC to release a convict on bail, it is not open to a court to re-asses or re-analyze the evidence and take a different view. धारा 389 – दण्डादेश के निष्पादन का स्थगन – अपीलीय न्यायालय की शक्ति – धारा 389, दं.प्र.सं. के तहत दोषसिद्ध को जमानत पर रिहा किये जाने संबंधी आवेदन पर विचार किए जाते समय न्यायालय के लिए यह अनुमत नहीं है कि वह साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनर्विश्लेषण कर भिन्न दृष्टिकोण अपनाये।	94	111
Section 389 – Suspension of Sentence – The Appellate Court can take appropriate decision in the case of non-compliance of the condition of suspension of sentence and the suspension order may be vacated in such circumstances. धारा 389 – दण्डादेश का स्थगन – दण्डादेश स्थगन की शर्तों का पालन नहीं होने की स्थिति में अपील न्यायालय उचित निर्णय ले सकता है और ऐसी परिस्थितियों में स्थगन आदेश रद्द किया जा सकता है।	207*	264

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 406 – Transfer – The prosecution agency i.e. the State may file transfer petition in criminal case because it has a vital interest in Criminal administration.		
धारा 406 – अंतरण – अभियोजन अधिकरण अर्थात् राज्य द्वारा भी दाण्डिक प्रकरण के अंतरण की याचिका प्रस्तुत की जा सकती है क्योंकि दाण्डिक प्रशासन में राज्य का महत्वपूर्ण हित होता है।	176	224
Section 427 – (i) Direction to run the sentence concurrently may be passed by the Trial Court, Appellate Court and the Revisional Court.		
(ii) Purpose of imprisonment.		
धारा 427 – (i) विचारण न्यायालय, अपीलिय न्यायालय और पुनरीक्षण न्यायालय दण्डादेश के समवर्ती चलने के निर्देश दे सकते हैं।		
(ii) दण्डादेश का उद्देश्य।	23	23
Sections 437, 438 and 439 – Bail – Jurisdiction of courts to impose conditions while allowing bail application.		
धाराएं 437, 438 एवं 439 – जमानत – जमानत आवेदन स्वीकार करते समय शर्तें अधिरोपित करने की न्यायालय की अधिकारिता।	128*	156
Sections 437 and 439 – (i) Bail – Conditions that can be imposed while allowing bail applications – Court has discretion to impose “any condition” which must be exercised judiciously and compassionately.		
(ii) Object of imposing conditions is to facilitate the administration of justice, secure the presence of accused and to ensure that liberty of accused is not misused – However, liberty should not become illusory by imposition of conditions which are disproportionate to the above objectives.		
धाराएं 437 एवं 439 – (i) जमानत – जमानत आवेदन स्वीकार करते समय लगाई जाने योग्य शर्तें – न्यायालय को “कोई भी शर्त” अधिरोपित करने का विवेकाधिकार है, परन्तु ऐसे विवेकाधिकार का प्रयोग न्यायसंगत और सहानुभूतिपूर्वक किया जाना चाहिए।		
(ii) शर्तें अधिरोपित करने का उद्देश्य – न्याय प्रशासन को सुविधाजनक बनाना, अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना और यह सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा – तथापि, उपरोक्त उद्देश्यों से अनुपातहीन शर्तें अधिरोपित कर ऐसी स्वतंत्रता भ्रमित या आभासी नहीं बना देनी चाहिए।	82	94
Sections 437 and 439 – (i) Bail; grant of – Offence of forgery and manipulation of court record.		
(ii) Bail; grant of – Whether filing of chargesheet is a ground to release accused on bail?		
(iii) Cancellation of bail; locus standi to apply for – Whether informant can apply for cancellation of bail granted to accused in absence of challenge of bail order by State?		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 437 एवं 439 – (i) जमानत स्वीकार किया जाना – कूटरचना एवं न्यायालय के अभिलेख में हेरफेर का अपराध।		
(ii) जमानत स्वीकार किया जाना – क्या अभियोग-पत्र प्रस्तुत होना अभियुक्त को जमानत पर उन्मुक्त करने का आधार है?		
(iii) जमानत निरस्त किया जाना – आवेदन करने का अधिकार – क्या राज्य द्वारा जमानत आदेश को चुनौती न दिए जाने पर सूचनाकर्ता अभियुक्त की जमानत को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है?	298	367
Sections 437 and 439 – Bail – Outbreak of COVID-19 – Directions of Supreme Court to release under-trial prisoners to prevent overcrowding of prisons – Applicability of – Held, such directions were issued to release prisoners of minor offences and not those charged with murder.		
धाराएं 437 एवं 439 – जमानत – कोविड-19 का प्रकोप – जेलों में भीड़भाड़ को रोकने के लिए विचाराधीन बंदियों को रिहा करने के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की प्रयोज्यता – अभिनिर्धारित, ऐसे निर्देश छोटे अपराधों के बंदियों को रिहा करने के लिए जारी किए गए थे ना कि हत्या करने के आरोपित बंदियों को।	177	225
Sections 437 and 439 – See Section 27 of the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994.		
धाराएं 437 एवं 439 – देखें गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994 की धारा 27।	209	266
Sections 437 and 439 – Rule of parity; applicability of – Cancellation of bail – Whether bail granted to co-accused persons subsequently on the ground of parity will also be cancelled where bail of original accused stands cancelled?		
धाराएं 437 एवं 439 – समता के नियम की प्रयोज्यता – जमानत रद्द किया जाना – क्या सह-अभियुक्तगण को बाद में समता के आधार पर दी गई जमानत भी रद्द कर दी जाएगी जहां मूल अभियुक्त की जमानत रद्द हो गई हो?	240	302
Section 438 – Anticipatory bail – Maintainability of – Anticipatory bail application is maintainable even if it is filed by an absconding accused.		
धारा 438 – अग्रिम जमानत – पोषणीयता – किसी फरार अभियुक्त द्वारा भी प्रस्तुत अग्रिम जमानत का आवेदन भी पोषणीय होता है।	83	96
Sections 438 – Anticipatory bail – When case diary and status report clearly indicate that the accused is absconding and not co-operating with the investigation, successive anticipatory bail application ought not to be entertained – The specious reason of change in circumstances cannot be invoked for successive anticipatory bail applications, once it is rejected by a speaking order and that too by the same judge.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 438 – अग्रिम जमानत – जब केस डायरी तथा प्रतिवेदन से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त फरार है और अनुसंधान में सहयोग नहीं कर रहा है तब उत्तरवर्ती अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार नहीं करना चाहिए – यदि उसी न्यायाधीश द्वारा विस्तृत आदेश करते हुए एक बार अग्रिम जमानत का आवेदन खारिज कर दिया गया है तब परिस्थितियों में परिवर्तन का विशिष्ट कारण उत्तरवर्ती अग्रिम जमानत आवेदन के लिए लागू नहीं होता है।	84*	96
Section 438 – Anticipatory bail – Where police authority has declared award or prepared Farari Panchnama.		
धारा 438 – अग्रिम जमानत – जब पुलिस द्वारा पुरस्कार घोषित किया गया हो अथवा फरारी पंचनामा तैयार किया गया हो।	24*	24
Section 438 – See Sections 3, 4 and 7 of the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019.		
धारा 438 – देखें मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धाराएं 3, 4 एवं 7।	129	157
Sections 438 and 482 – (i) Anticipatory bail; grant of – For a limited period of time is permissible – However, recording of reasons therefor is mandatory. (ii) Anticipatory bail; rejection of – Whether after rejecting application u/s 438 CrPC, Court can grant relief of protection from arrest to the accused?		
धारा 438 एवं 482 – (i) अग्रिम जमानत स्वीकार किया जाना – सीमित अवधि के लिए अनुज्ञेय है – तथापि, इसके लिए कारणों का लेखबद्ध किया जाना अनिवार्य है। (ii) अग्रिम जमानत अस्वीकार किया जाना – क्या धारा 438 द.प्र.सं. का आवेदन अस्वीकार करने के बाद, न्यायालय अभियुक्त को गिरफ्तारी से सुरक्षा की सहायता प्रदान कर सकती है?	229	292
Section 439 – Bail – Parity – While deciding the bail application on the basis of parity, the role of the accused in offence is most important aspect.		
धारा 439 – जमानत– समानता – समानता के सिद्धांत के आधार पर जमानत आवेदन का निराकरण करते समय अपराध में अभियुक्त की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है।	178	226
Section 439 – Bail application – Parameters applicable while considering – Effect of statutory restrictions – Whether statutory restrictions like Section 43-D of UAPA and Section 37 of NDPS Act oust the ability of courts to grant bail? Held, no.		
धारा 439 – जमानत आवेदन – विचार करते समय लागू मानदण्ड – वैधानिक प्रतिबंधों का प्रभाव – क्या यूएपीए की धारा 43-घ और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 जैसे वैधानिक प्रतिबंध न्यायालयों की जमानत देने की अधिकारिता को बाधित करते हैं? अभिनिर्धारित, नहीं।	179	227
Section 439 – Bail – Imposing of onerous conditions.		
धारा 439 – जमानत – दूर्भर शर्तों का अधिरोपण।	241	303

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 439 – Bail – The applicant, who is arrested solely on the basis of the statement made by the co-accused and his own confessional statement, is entitled to be released on bail.		
धारा 439 – जमानत – अपीलार्थी जिसे केवल सह-अपराधी द्वारा किए गए कथन एवं उसके स्वयं के संस्वीकृति कथन के आधार पर गिरफ्तार किया गया है जमानत पर छोड़े जाने का अधिकारी है।	242	304
Section 439 – See Section 2(a) of the Contempt of Courts Act, 1971.		
धारा 439 – देखें न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 की धारा 2(क)।	230*	294
Section 439 (2) – Cancellation of bail – Correctness of order granting bail is subject to assessment by an appellate or superior Court and it may be set aside on the ground that Court granting bail did not consider material facts or crucial circumstances – Setting aside of an unjustified, illegal or perverse order of granting bail is distinct from cancellation of bail on ground of supervening misconduct of accused or because some new facts have emerged, requiring cancellation.		
धारा 439 (2) – जमानत की निरस्ती – जमानत स्वीकार करने के आदेश की शुद्धता अपीलीय या वरिष्ठ न्यायालय द्वारा मूल्यांकन के अधीन है और उसे इस आधार पर अपास्त किया जा सकता है कि न्यायालय ने जमानत स्वीकार करने में महत्वपूर्ण सामग्री या परिस्थितियों पर विचार नहीं किया है – जमानत स्वीकार करने का एक अनुचित, अवैध या प्रतिकूल आदेश अपास्त करना अभियुक्त के कदाचरण के आधार पर या कुछ नए तथ्य सामने आने से निरस्ती आवश्यक होने से जमानत की निरस्ति से भिन्न हैं।	85*	97
Sections 451 and 457 – Release of seized vehicle – Jurisdiction of Court – Magistrate can release vehicle seized by police u/s 451 CrPC – The ouster of jurisdiction of the Criminal Court would only occur if the proceeding of forfeiture is completed under Rule 53 of the M.P. Minor Mineral Rules, 1996.		
धाराएं 451 एवं 457 – जप्त वाहन की उन्मुक्ति – न्यायालय की अधिकारिता – पुलिस द्वारा जप्त वाहन को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट उन्मुक्त कर सकता है – आपराधिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल तभी वर्जित होगा यदि मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 53 के अंतर्गत समपहरण की कार्यवाही पूर्ण हो जाये।	86	97
Section 457 – Interim custody of vehicle – Vehicle seized under the NDPS Act may be released by the Trial Court in interim custody as the Act does not restrict the power of Trial Court in such matters.		
धारा 457 – वाहन की अंतरिम अभिरक्षा – स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत जप्तशुदा वाहन विचारण न्यायालय द्वारा अंतरिम अभिरक्षा में प्रदान किया जा सकता है क्योंकि यह अधिनियम ऐसे मामलों में विचारण न्यायालय की शक्तियां प्रतिबंधित नहीं करता है।	180	228
Section 483 – See Articles 226 and 227 of the Constitution of India.		
धारा 483 – देखें भारत का संविधान का अनुच्छेद 226 एवं 227।	119	141

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
CRIMINAL TRIAL:		
आपराधिक विचारण:		
– Criminal trial – Duty of prosecution.		
– आपराधिक विचारण – अभियोजन का कर्तव्य ।	14 (iii)	12
– See appreciation of evidence.		
– देखें साक्ष्य का मूल्यांकन ।	33	33
(i) Criminal Trial – Appreciation of evidence – Related witness.		
(ii) Benefit of doubt – If a wrong relief is given to one accused, does not mean that same should be given to co-accused against whom clinching evidence has come on record.		
(i) आपराधिक विचारण – साक्ष्य का मूल्यांकन – सम्बद्ध साक्षी ।		
(ii) संदेह का लाभ – यदि एक अभियुक्त को त्रुटिपूर्ण अनुतोष दिया जाता है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि सह-अभियुक्त जिसके विरुद्ध अभिलेख पर सुदृढ़ साक्ष्य आई हो, को भी वही अनुतोष दिया जाना चाहिए ।	25* (i)	25
– Motive; absence of – Cases based on circumstantial evidence – Effect of – Absence of motive cannot be a ground to reject the prosecution case – However, absence of motive in a case based on circumstantial evidence is a factor that weighs in favour of the accused.		
– हेतुक का अभाव – परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले – प्रभाव – हेतुक का अभाव अभियोजन के मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकता है – तथापि, परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में हेतुक का अभाव एक ऐसा कारक है जो अभियुक्त के पक्ष में जाता है ।	70 (ii)	74
– See Sections 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va), 18 and 18-A of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.		
– देखें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराएं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(1)(अ.क), 18 एवं 18-क ।	268	328
– See Sections 154, 156 and 157 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
– देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154, 156 एवं 157 ।	103	120
– See Sections 3, 8 and 9 of the Evidence Act, 1872.		
– देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8 एवं 9 ।	91	104
– See Section 20 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.		
– देखें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 20 ।	109	129

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
– See Sections 29 and 33 of the Insecticides Act, 1968.		
– देखें कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धाराएं 29 एवं 33।	317	395
– See Sections 353, 354 and 389 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
– देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 353, 354 एवं 389।	295	365
DAKAITI AUR VYAPHARAN PRABHAVIT KSHETRA ADHINIYAM, 1981 (M.P.)		
डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, 1981 (म.प्र.)		
Sections 11 and 13 – See Sections 392 and 397 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 11 एवं 13 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 392 एवं 397।		
	314	392
DOWRY PROHIBITION ACT, 1961		
दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961		
Sections 3 and 4 – See Section 389 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 3 एवं 4 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389।	94	111
DRUGS AND COSMETICS ACT, 1940		
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940		
Sections 22, 22(1)(d), 23, 25, 27, 32 and 36AC – Drugs and Cosmetics Act – Trial of offences – Competency – In view of Section 32 of the Act, Police Officer cannot prosecute offenders in regard to such offences – Only persons mentioned in Section 32 are entitled to do the same – Directions issued by the Apex Court.		
धाराएं 22, 22(1)(घ), 23, 25, 27, 32 एवं 36कग – औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम – अपराधों का विचारण – सक्षमता – अधिनियम की धारा 32 के आलोक में पुलिस अधिकारी ऐसे अपराधों को अभियोजित नहीं कर सकता है – केवल वे ही व्यक्ति जो धारा 32 में वर्णित हैं ऐसा करने के लिए अधिकृत हैं – उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश जारी किए गए।		
	87	98
DRUGS AND COSMETICS RULES, 1945		
औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियम, 1945		
Rules 51, 51(4), 51(5) and 52 – See Sections 22, 22(1)(d), 23, 25, 27, 32 and 36AC of the Drugs and Cosmetics Act, 1940.		
नियम 51, 51(4), 51(5) एवं 52 – देखें औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धाराएं 22, 22(1)(घ), 23, 25, 27, 32 एवं 36कग।	87	98

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
EVIDENCE ACT, 1872		
साक्ष्य अधिनियम, 1872		
Section 3 – (i) Circumstantial evidence – Fact of last seen.		
(ii) Adverse inference – Best evidence not produced by the prosecution – Effect.		
धारा 3 – (i) परिस्थितिजन्य साक्ष्य – अंतिम बार देखे जाने का तथ्य।		
(ii) प्रतिकूल उपधारणा – सर्वोत्तम साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई – प्रभाव।	299	369
Section 3 – (i) Contradiction; when not material – Prosecution version states that there was head injury – Injured eye-witnesses deposed that there was no head injury – Post mortem report indicates injury on lower back side of the head – Deceased was assaulted with axe when moving on motorcycle – Held, it cannot be expected that deceased has to be hit on centre of the head – Contradiction is not material.		
(ii) Non-seizure of vehicle and gold chain of one victim – Effect – Held, where testimony of key witnesses is found consistent, natural and trustworthy, omission of seizure is no ground to discredit them.		
धारा 3 – (i) विरोधाभास कब महत्वपूर्ण नहीं – अभियोजन कथानुसार सिर में चोट थी – आहत चक्षुदर्शी साक्षियों ने कथन दिया कि सिर में कोई चोट नहीं थी – शव परीक्षण प्रतिवेदन सिर के निचले हिस्से में चोट का संकेत देती है – मोटरसाइकिल पर चलते समय मृतक पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया था – अवधारित, यह अपेक्षा नहीं की जा सकती है कि मृतक के सिर के केंद्र पर प्रहार किया गया हो – विरोधाभास महत्वपूर्ण नहीं है।		
(ii) वाहन और एक पीड़ित के सोने की चेन की जप्ती का अभाव – प्रभाव – अवधारित, जहां प्रमुख साक्षियों की साक्ष्य सुसंगत, प्राकृतिक और विश्वसनीय पाई गई हो, जप्ती का अभाव उन्हें अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं होगा।	195	250
Section 3 – (i) Eye witness – Who can be called as?		
(ii) Circumstantial evidence – When can form the basis of conviction – Principles reiterated.		
धारा 3 – (i) चक्षुदर्शी साक्षी – किसे कहा जा सकता है?		
(ii) परिस्थितिजन्य साक्ष्य – दोषसिद्धि का आधार कब बन सकती है – सिद्धांत दोहराए गए।	300	370
Section 3 – See Appreciation of Evidence.		
धारा 3 – देखें साक्ष्य का मूल्यांकन।	309	384
Section 3 – See Appreciation of Evidence.		
धारा 3 – देखें साक्ष्य का मूल्यांकन।	315	393

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 3 – See Sections 34 and 302 of the Indian Penal Code, 1860 and Section 313 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 34 एवं 302 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313	305	378
Section 3 – See Sections 34, 107 and 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 34, 107 एवं 302	304	377
Section 3 – See Sections 55, 366-A and 376 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 55, 366–क एवं 376	306	380
Section 3 – See Sections 201 and 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 201 एवं 302	307	383
Section 3 – See Section 302 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302	197	254
Section 3 – See Sections 300 Exception 4, 302 and 304 Part I of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300 अपवाद 4, 302 एवं 304 भाग 1	140	177
Section 3 – See Sections 302 and 304 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 एवं 304	34	36
Section 3 – See Sections 302 and 304 Part-II of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 302 एवं 304 भाग–2	311	387
Section 3 – See Sections 363 and 366 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 363 एवं 366	142	179
Sections 3 and 8 – (i) Related witness – Credibility – Being related to the deceased does not necessarily mean that they will falsely implicate innocent persons – The testimony of the related witness, if found to be truthful, can be the basis of conviction. (ii) Enmity – If the witnesses are otherwise trustworthy, past enmity by itself will not discredit any testimony – In fact the history of bad blood gives a clear motive.		
धाराएं 3 एवं 8 – (i) हितबद्ध साक्षी – विश्वसनीयता – मृतक से हितबद्ध होने का अर्थ आवश्यक रूप से यह नहीं है कि वे निर्दोष व्यक्तियों को मिथ्या आलिप्त करेंगे – हितबद्ध साक्षी की साक्ष्य यदि सत्यता से युक्त पाई जाती है, दोषसिद्धि का आधार हो सकती है		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(ii) रंजिश – यदि साक्षीगण अन्यथा विश्वसनीय हों, तो पूर्व रंजिश अपने आप में उनकी साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं करती है – वास्तव में पूर्व आपसी रंजिश का इतिहास एक स्पष्ट हेतुक देता है।	194	249
Sections 3, 8 and 9 – (i) Forensic evidence – Withholding of – Effect – Held, when vital forensic evidence is kept away, an adverse inference will have to be drawn against the prosecution.		
(ii) Test identification parade – Evidentiary value of – Effect of presence of police – Held, test identification evidence is not a substantive piece of evidence, but can only be used for corroboration of court statements – Further held, when identifications are done in the presence of police, the resultant communication of identifiers tantamount to statements made to police officers in the course of investigation and fall within the ban of Section 162 CrPC.		
(iii) Conduct of witness – Value of – Held, unnatural conduct of witness make them unreliable.		
धाराएं 3, 8 एवं 9 – (i) फोरेंसिक साक्ष्य – प्रस्तुत न करना – प्रभाव – अभिनिर्धारित, जब महत्वपूर्ण फोरेंसिक साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अभियोजन के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालना होगा।		
(ii) पहचान परेड – साक्ष्यिक मूल्य – पुलिस की उपस्थिति का प्रभाव – अभिनिर्धारित, पहचान परेड सारवान् साक्ष्य नहीं है, अपितु इसका उपयोग मात्र न्यायालयीन साक्ष्य की पुष्टि के लिए किया जा सकता है – आगे अभिनिर्धारित, जब पहचान कार्यवाही पुलिस की उपस्थिति में की जाती है तो पहचान करने वाले व्यक्तियों द्वारा दी गई परिणामी सूचना अनुसंधान के दौरान पुलिस अधिकारियों को दिए गए बयान का प्रभाव रखेगी और द.प्र.सं. की धारा 162 के प्रतिबंध के अधीन होगी।		
(iii) साक्षी का आचरण – मूल्य – अभिनिर्धारित, साक्षी का अप्राकृतिक आचरण उसे अविश्वसनीय बनाता है।	91	104
Sections 3, 8, 10 and 106 – Deceased was newly wedded bride and was returning to her parental home as pillion rider on the scooter with her brother-in-law accused-S – Allegedly, on the way she was ambushed and taken to a sugarcane field by two armed miscreants and shot from close range and looted – Accused-S then drove the scooter to deceased's parental home, informed her father about the incident and returned to his home and informed his brother and father, who are co-accused persons – FIR was lodged by father of deceased against accused persons alleging maltreatment of deceased – Prosecution relied upon motive, last seen, criminal conspiracy and burden of proving facts within knowledge – Held, accused-husband was unhappy with deceased wife for her looks does not provide strong enough motive to conspire to kill her – Accused-S never fled and on being confronted with armed miscreants, chose to not to be valiant and drove down to inform deceased's father; this is a plausible human conduct – Evidence on record does not establish any agreement between accused persons, therefore, conspiracy cannot be inferred – In absence of any acceptable evidence against accused, burden cannot be shifted on accused with aid of Section		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
------------	----------	----------

106 – Several components are missing in the chain of circumstantial evidence; accused persons held, are entitled to acquittal.

धाराएं 3, 8, 10 एवं 106 – मृतका नवविवाहित वधु थी और अपने देवर अभियुक्त-एस के साथ स्कूटर से अपने पैतृक घर लौट रही थी – कथित रूप से रास्ते में दो हथियारबंद बदमाशों द्वारा उसे एक गन्ने के खेत में ले जाया गया और नजदीक से गोली मारकर लूट कारित की – अभियुक्त-एस मृतका के माता-पिता के घर स्कूटर ले गया, उसके पिता को घटना की सूचना दी और अपने घर लौटकर अपने भाई और पिता को सूचित किया, जो सह-अभियुक्त हैं – मृतका के पिता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई और अभियुक्तगण द्वारा मृतका के साथ दुर्व्यवहार का आक्षेप लगाया – अभियोजन ने हेतुक, अंतिम बार साथ देखा जाना, आपराधिक षडयंत्र और ज्ञान के भीतर के तथ्यों को साबित करने के भार पर निर्भरता दर्शायी – अवधारित, अभियुक्त-पति की मृतका पत्नी की सुंदरता से अप्रसन्नता उसे मारने का षडयंत्र रचने के लिए पर्याप्त प्रबल हेतुक उत्पन्न नहीं करती है – अभियुक्त-एस कभी नहीं भागा और सशस्त्र बदमाशों से सामना होने पर उसने कोई बहादुरी नहीं दिखाने का चुनाव किया और मृतक के पिता को सूचित करने के लिए चला गया, यह एक संभाव्य मानव आचरण है – अभिलेख पर आई साक्ष्य अभियुक्तगण के मध्य किसी सहमति को स्थापित नहीं करती है, इसलिए, षडयंत्र का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है – अभियुक्त के विरुद्ध किसी भी स्वीकार्य साक्ष्य के अभाव में धारा 106 की सहायता से अभियुक्त पर सबूत का भार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है – परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला में कई घटक अनुपस्थित हैं, अतः अभियुक्तगण दोषमुक्ति के पात्र हैं।

193 246

Sections 3, 8 and 134 – Non-examination of independent witnesses – Effect of.

– Correction in deposition sheet – In cross-examination the words “not true” were struck off and overwritten as “it is true” – Effect and appreciation.

धाराएं 3, 8 एवं 134 – स्वतंत्र साक्षियों का परीक्षण न कराना – प्रभाव।

– बयान शीट में सुधार – प्रतिपरीक्षण में “गलत है” शब्दों को काट कर “सही है” के रूप में अधिलेखित किया गया – प्रभाव और मूल्यांकन।

**196 (ii) 251
& (iii)**

Sections 3, 21, 118 and 154 – Hostile witness – Credibility – Although witness was declared hostile by the prosecution – During cross-examination, he admits having duly perused the contents of these documents before signing them and was not under any form of police pressure – Witness statement broadly corroborates and strengthens the seizure of contraband substance from the possession of the appellant.

धाराएं 3, 21, 118 एवं 154 – पक्षद्रोही साक्षी – विश्वसनीयता – यद्यपि, अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया – प्रतिपरीक्षण में वह स्वीकार करता है कि हस्ताक्षर करने से पूर्व उसने दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को सम्यक् रूप से परिशीलन कर लिया था और वह किसी भी प्रकार

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
के पुलिस दबाव के अधीन नहीं रहा था – साक्षी के कथन मोटे तौर से समर्थित एवं अपीलार्थी के आधिपत्य से मादक पदार्थ की जप्ती को प्रबलता प्रदान करते हैं।	102 (ii)	118
Sections 3 and 45 – (i) Child witness – Credibility of.		
(ii) Fingerprint – Importance of clarity in process of collection of sample.		
(iii) Fingerprint report – Nature of.		
धाराएं 3 एवं 45 – (i) बाल साक्षी की विश्वसनीयता।		
(ii) अंगुली चिन्ह – एकत्रित करने की प्रक्रिया में स्पष्टता का महत्व।		
(iii) अंगुली चिन्ह प्रतिवेदन की प्रकृति।	254	314
Sections 3 and 45 – See Sections 376 and 506 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 3 एवं 45 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 376 एवं 506।		
	143	180
Sections 3, 59, 60, 106, 114 and 133 – Evidence of accomplices – Accomplices are credible witnesses when the entire circumstance is borne in mind – Test is whether it is safe to convict the accused believing such witnesses.		
धाराएं 3, 59, 60, 106, 114 एवं 133 – सहअपराधी की साक्ष्य – सहअपराधी विश्वसनीय साक्षी हैं जबकि संपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखा जावे – परीक्षण यह है कि क्या ऐसे साक्षियों पर विश्वास कर अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना सुरक्षित है।	90 (iii)	101
Sections 3 and 113-A – See Sections 306 and 498-A of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 3 एवं 113-क – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 306 एवं 498-क।		
	312	389
Sections 3 and 114 – See Sections 154, 156 and 157 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 3 एवं 114 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154, 156 एवं 157।		
	103	120
Sections 3 and 118 – Sexual assault – Veracity of the testimony of disabled witness – Held, testimony of a disabled witness cannot be considered weak or inferior – Court needs to be attentive to the fact that such witness may give evidence in different form – Instantly, prosecutrix was blind, her primary mode of identification of persons around her is sound of their voice – Held, her testimony is entitled to equal weight as that of a prosecutrix who would have been able to visually identify the appellant.		
धाराएं 3 एवं 118 – लैंगिक हमला – दिव्यांग साक्षी की साक्ष्य की सत्यता – अभिनिर्धारित, एक दिव्यांग साक्षी की साक्ष्य को कमजोर या निम्न नहीं माना जा सकता है – न्यायालय को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसा साक्षी अलग स्वरूप में साक्ष्य दे सकता है – हस्तगत मामले में अभियोक्त्री नेत्रहीन थी, अपने आस-पास के व्यक्तियों की पहचान का उसका प्राथमिक तरीका		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
उनकी आवाज थी – अवधारित, उसकी साक्ष्य एक ऐसी अभियोक्त्री के समान महत्व की है जो अभियुक्त को देखकर पहचानने में सक्षम होती।	181 (ii)	229
Sections 3 and 134 – (i) Requirement of examination of all witnesses.		
(ii) Credibility of witness – When he was not believed in respect of one accused, the testimony of the said witness cannot be disregarded in case of another accused.		
धाराएं 3 एवं 134 – (i) समस्त साक्षियों के परीक्षण की आवश्यकता।		
(ii) साक्षी की विश्वसनीयता – जब एक अभियुक्त के संदर्भ में साक्षी विश्वसनीय नहीं है, ऐसे साक्षी की विश्वसनीयता अन्य अभियुक्त के संदर्भ में अमान्य नहीं हो जाती है।	243	305
Sections 3 and 137 – (i) Stranger witness – Reliability of – Stranger took the injured to hospital – Whether adverse inference can be drawn against him on the ground of non-lodging of FIR? Held, no.		
(ii) Cross-examination of witness; importance of – Reiterated.		
(iii) Claim petition – Standard of proof – It is of preponderance of probabilities and not beyond reasonable doubt.		
धाराएं 3 एवं 137 – (i) अपरिचित साक्षी – विश्वसनीयता – एक अपरिचित व्यक्ति घायल को अस्पताल ले गया – क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख न कराने के आधार पर उसके विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है? अभिनिर्धारित, नहीं।		
(ii) साक्षी के प्रतिपरीक्षण का महत्व – पुनरोद्धरित।		
(iii) दावा याचिका – प्रमाण के मानक – यह संभावनाओं की प्रबलता का है न कि युक्तियुक्त संदेह से परे।	130	159
Sections 3 and 137 – Testimony of police witness – It cannot be said as a rule of thumb that the statement of police officer is to be discarded in all circumstances or such statement can be relied upon only when it is corroborated by statement of independent witness.		
धाराएं 3 एवं 137 – पुलिस साक्षी की साक्ष्य – अनुभवसिद्ध नियम के रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि पुलिस अधिकारी का कथन सभी परिस्थितियों में अस्वीकार्य होगा या ऐसा कथन केवल तभी स्वीकार किया जा सकता है जबकि उसे स्वतंत्र साक्षियों के कथनों से समर्थन प्राप्त हो।	151 (i)	188
Sections 3 and 154 – Hostile witness – Hostility of independent witnesses does not by itself discredit evidence of the Investigating Officer unless there is something in cross-examination of Investigating Officer to disbelieve him.		
धाराएं 3 एवं 154 – पक्षद्रोही साक्षी – स्वतन्त्र साक्षियों की पक्ष द्रोहिता मात्र अपने आप में विवेचना अधिकारी की साक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं बनाती है जब तक कि स्वयं विवेचना अधिकारी के प्रतिपरीक्षण में उस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण ना हो।	88*	100

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 6 – See Sections 34, 201, 302, 342, 364 and 365 of the Indian Penal Code, 1860. धारा 6 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 34, 201, 302, 342, 364 एवं 365।	191	244
Section 8 – See Criminal Practice. धारा 8 – देखें आपराधिक प्रथा।	182*	231
Sections 8, 9 and 45 – (i) Identification parade – Evidentiary value – Finding of guilt cannot be based purely on refusal of the accused to undergo an identification parade. (ii) Non-examination of ballistic expert – Effect – There is no inflexible rule which requires the prosecution to examine a ballistics examiner in every case where a murder is alleged to have been caused with the use of a fire arm. धाराएं 8, 9 एवं 45 – (i) पहचान परेड – साक्ष्यिक मूल्य – दोषसिद्धि विशुद्ध रूप से इस पर अवधारित नहीं की जा सकती कि अभियुक्त ने पहचान परेड का सामना करने से इंकार कर दिया। (ii) प्राक्षेपिकी विशेषज्ञ का परीक्षण न कराना – प्रभाव – जहां हत्या आग्नेय अस्त्र के प्रयोग से की जाना आरोपित हो, वहां ऐसा कोई कठोर नियम नहीं है कि प्राक्षेपिकी परीक्षक का परीक्षण कराना अभियोजन के लिए प्रत्येक मामले में आवश्यक हो।	89	101
Sections 8, 45, 59 and 134 – (i) Interested eye-witness – Sole testimony – Evidence of sole eye-witness replete with contradictions and omissions – Being an interested witness, such evidence cannot be made basis for conviction. (ii) Finding of FSL Report – Evidentiary value – FSL report loses its evidentiary value if the accused persons have not been confronted with the finding. धाराएं 8, 45, 59 एवं 134 – (i) हितबद्ध प्रत्यक्ष साक्षी – एकल साक्ष्य – एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी की साक्ष्य जो खंडन एवं लोप से परिपूर्ण है और ऐसा साक्षी हितबद्ध भी है – ऐसी साक्ष्य को दोषसिद्धि का आधार नहीं बनाया जा सकता। (ii) एफ.एस.एल. प्रतिवेदन का निष्कर्ष – साक्ष्यिक मूल्य – अभियुक्तगण परीक्षण में अभियुक्तगण का एफ.एस.एल. प्रतिवेदन के निष्कर्ष से सामना नहीं कराया गया – एफ.एस.एल प्रतिवेदन उसका साक्ष्यिक मूल्य खो देता है।	92	106
Section 25 – See Sections 2(xxix), 41(2), 42(1), 43, 44, 48, 49, 53 and 67 of the N.D.P.S. Act, 1985. धारा 25 – देखें स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धाराएं 2(xxix), 41(2), 42(1), 43, 44, 48, 49, 53 एवं 67।	101	117
Section 25 – See Section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 25 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439।	242	304

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 25 and 26 – See Sections 162, 227 and 228 of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 25 एवं 26 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 162, 227 एवं 228।	73	82
Section 27 – See Sections 8, 18 and 29 of the N.D.P.S. ACT, 1985. धारा 27 – देखें स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धाराएं 8, 18 एवं 29।	150	187
Section 32 – Dying declaration – Evidentiary value of – A dying declaration alone can form the basis of conviction if it is proved to be voluntary and inspires confidence. धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – साक्ष्यिक मूल्य – मृत्युकालिक कथन दोषसिद्धि का एकल आधार हो सकता है यदि यह स्वैच्छिक साबित कर दिया जाए और विश्वसनीय हो।	131	161
Section 32 – Dying declaration – Recording of dying declaration by the executive Magistrate is not necessary in every case – It depends upon the circumstances of each case. धारा 32 – मृत्युकालिक कथन – प्रत्येक प्रकरण में कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा ही मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया जाना आवश्यक नहीं होता है – ऐसा अभिलेखन प्रत्येक प्रकरण की परिस्थिति पर निर्भर होता है।	183	232
Section 32 – Dying declaration; evidentiary value of. धारा 32 – मृत्युकालिक कथन का साक्ष्यिक मूल्य।	184	232
Section 32 – Dying declaration; use of FIR – Reliability of. धारा 32 – मृत्युकालिक कथन के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट का उपयोग – विश्वसनीयता।	185	236
Section 32 – Multiple dying declarations – Appreciation of. धारा 32 – एक से अधिक मृत्युकालिक कथन – मूल्यांकन।	141 (i)	178
Sections 41, 42, 43, 65, 74 and 76 – Cancellation of instrument – Action is in rem or in personam? – Public documents and public record of private documents – Distinction. धाराएं 41, 42, 43, 65, 74 एवं 76 – लिखत का रद्दकरण – कार्रवाई सर्वबंधी है अथवा व्यक्तिबंधी? – लोक दस्तावेज और निजी दस्तावेजों के लोक अभिलेख – विभेद।	271 (ii) & (iii)	332
Sections 45 and 61 – (i) Thumb impression by a literate person – Evidentiary value. (ii) Objection regarding admissibility of document – Not raised before the trial court at the appropriate stage; effect of.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 45 एवं 61 – (i) एक पढ़े-लिखे व्यक्ति द्वारा अंगूठा निशान – साक्ष्यिक मूल्य।		
(ii) दस्तावेज की ग्राह्यता के संबंध में आपत्ति – विचारण न्यायालय के समक्ष युक्तियुक्त स्तर पर नहीं उठाए जाने का प्रभाव।	301	371
Sections 45 and 65 – (i) Photocopy of document – Admissibility as secondary evidence.		
(ii) Expert opinion; veracity of – Normally expert's opinion must be respected – However, expert opinion is not like a gospel truth which needs to be swallowed without examining its truthfulness and veracity.		
धाराएं 45 एवं 65 – (i) दस्तावेज की छायाप्रति – द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्यता।		
(ii) विशेषज्ञ के अभिमत की विश्वसनीयता – सामान्यतया विशेषज्ञों के अभिमत का सम्मान किया जाना चाहिए – तथापि, विशेषज्ञ का अभिमत कोई वेदवाक्य नहीं है जिसे इसकी सत्यता और विश्वसनीयता का परीक्षण किए बिना स्वीकारना आवश्यक है।	136	166
Sections 45 and 73 – Expert evidence – Application filed by the defendant for comparison of signature by handwriting expert was rejected by Trial Court on the ground that there is no admitted document on record – The plaintiff had produced their own handwriting expert's opinion based upon the admitted signature – Effect.		
धाराएं 45 एवं 73 – विशेषज्ञ साक्षी – हस्तलेख विशेषज्ञ से हस्ताक्षर की तुलना करने हेतु प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आवेदन इस आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया गया कि अभिलेख पर कोई स्वीकृत दस्तावेज नहीं था – वादी ने स्वयं की ओर से स्वीकृत हस्ताक्षर पर आधारित हस्तलेख विशेषज्ञ की राय प्रस्तुत की – प्रभाव।	26*	26
Sections 45 and 90 – (i) Expert opinion – Nature of – Expert opinions are not a binding piece of evidence and have to be corroborated with other pieces of evidence.		
(ii) Thirty years old document – Presumption of genuineness.		
धाराएं 45 एवं 90 – (i) विशेषज्ञ की राय की प्रकृति – विशेषज्ञ की राय आबद्धकर साक्ष्य नहीं है और उसका सम्पोषण अन्य साक्ष्य से किया जाना चाहिए।		
(ii) तीस वर्ष पुराना दस्तावेज – असल होने की उपधारणा।	132*	162
Section 68 – Proof of "Will" – Burden is on the propounder of the "Will" to prove that the "Will" was executed in his favour by the testator – Even if the "Will" is not challenged by anybody.		
धारा 68 – वसीयत को साबित किया जाना – वसीयत के प्रस्तावक पर भार होता है कि वह साबित करे कि वसीयतकर्ता द्वारा उसके पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई थी – यहां तक कि यदि वसीयत को किसी के द्वारा चुनौती न भी दी गई हो तब भी।	222 (ii)	279
Section 68 – See Order 41 Rules 23-A and 24 of the Civil Procedure Code, 1908 and Sections 59, 63(b) and 68 of the Succession Act, 1925.		
धारा 68 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 41 नियम 23-क एवं 24 तथा उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धाराएं 59, 63(ख) एवं 68।	58	60

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 65 and 68 – (i) Secondary evidence – Where execution of will was not disputed by the plaintiff and sufficient ground for leading of secondary evidence has been made out.		
(ii) Secondary evidence – Requirement to file application – A party to the <i>lis</i> may choose to file an application but if foundation of leading of secondary evidence is laid, application for permission to lead secondary evidence is not necessary.		
(iii) Proof of Will – At least one of the attesting witnesses is required to be examined to prove attestation.		
धाराएं 65 एवं 68 – (i) द्वितीयक साक्ष्य – जहां वसीयत का निष्पादन वादी द्वारा विवादित नहीं था और द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त आधार बताया गया है।		
(ii) द्वितीयक साक्ष्य – आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता – वाद का कोई पक्ष आवेदन प्रस्तुत करने के विकल्प का चयन कर सकता है लेकिन यदि द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने का आधार स्थापित कर दिया जाता है तब द्वितीयक साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं है।		
(iii) वसीयत का प्रमाण – अनुप्रमाणन को प्रमाणित करने के लिये कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का परीक्षण किया जाना आवश्यक है।	27	26
Section 65-B – Admissibility of electronic record – objection with regard to mode of proof cannot be raised at a later stage, however, where the document itself is not admissible, then it has to be excluded though it might have been brought without any objection.		
धारा 65-ख – इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता – प्रमाण की रीति के संबंध में आपत्ति पश्चातवर्ती प्रक्रम पर नहीं उठाई जा सकती है, हालांकि, जहां दस्तावेज स्वतः अग्राह्य है वहां उसे अपवर्जित कर देना चाहिए यद्यपि उसे किसी आपत्ति के बिना लिया गया हो।	28*	29
Sections 90, 106 and 114 – Adverse inference – Defendant neither appeared as witness and nor cross-examined – No explanation was furnished for this default – Adverse inference must be drawn against defendant.		
– Photocopies of public documents more than 30 years old – Admissibility and reliability.		
धाराएं 90, 106 एवं 114 – प्रतिकूल निष्कर्ष – प्रतिवादी न तो साक्षी के रूप में उपस्थित हुआ और न ही प्रतिपरीक्षित हुआ – इस व्यतिक्रम का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया – प्रतिवादी के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए।		
– 30 वर्ष से अधिक पुराने लोक दस्तावेजों की छायाप्रतियां – ग्राह्यता एवं विश्वसनीयता।		
	133 (ii) & (iii)	163

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 92 and 95 – Exclusion of oral evidence by documentary evidence – Applicability of proviso to section 92 and section 95 – Proviso cannot be applied to nullify the main section.		
धाराएं 92 एवं 95 – दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन – धारा 92 के परंतुक व धारा 95 की प्रयोज्यता – मुख्य धारा को अकृत करने के लिए परंतुक लागू नहीं किया जा सकता है।	186	238
Sections 101, 102 and 106 – Drink and drive – Burden of proof in claim case – Driver was smelling of alcohol in MLC – What was the nature and quantity of alcohol consumed and place where it was consumed are facts within the special knowledge of driver – It would be disproportionately difficult for the insurance company to prove these facts.		
धाराएं 101, 102 एवं 106 – मदिरा पीकर वाहन चलाना – दुर्घटना दावा के मामले में सबूत का भार – एमएलसी के समय चालक से मदिरा की गंध आ रही थी – मदिरा की प्रकृति और मात्रा क्या थी और वह स्थान जहां इसका सेवन किया गया था, चाहन चालक के विशेष ज्ञान के तथ्य हैं – बीमा कंपनी के लिए इन तथ्यों को साबित करना अनुपातहीन रूप से कठिन होगा।	202 (ii)	258
Section 106 – (i) Burden of proving facts especially within knowledge – When arises? (ii) Circumstantial evidence; chain of – Failure of accused to give explanation u/s 313 CrPC – Whether can be used as a link to complete the chain of circumstances?		
धारा 106 – (i) विशेष ज्ञान के तथ्यों को साबित करने का भार – कब उत्पन्न होता है? (ii) परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ियां – धारा 313 द.प्र.सं. के अधीन स्पष्टीकरण देने में अभियुक्त की विफलता – क्या परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने के लिए एक कड़ी के रूप में उपयोग की जा सकती है?	244	305
Section 106 – See Section 302 of the Indian Penal Code, 1860 and Section 157 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 106 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 302 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 157।	310	386
Section 112 – DNA test – Dispute between brother and sister regarding inheritance of property – Whether bar u/s 112 of Evidence Act is applicable?		
धारा 112 – डीएनए परीक्षण – संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में भाई-बहन के बीच विवाद – क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का वर्जन लागू होगा?	302	373
Section 113-A – See Section 306 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 113-क – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 306।	252*	313
Section 113-B – See Section 304-B of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 113-ख – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 304-ख।	250	310

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 114-A – See Sections 376 (2) and 376-D of the Indian Penal Code, 1860. धारा 114—क – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 – धाराएं 376 (2) एवं 376—घ।	144	182
Section 119 – (i) Dumb witness – The obligation of videography of the statement is mandatory. (ii) Effect of non-compliance – Fatal to the prosecution case. धारा 119 – (i) मूक साक्षी – कथनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य है। (ii) अननुपालन का प्रभाव – अभियोजन के मामले के लिए घातक है।	29*	30
FAMILY COURTS ACT, 1984		
कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984		
Section 7(1) Explanation (g) – Jurisdiction – Custody of child – The procedure prescribed by law must be followed by the Family Court while conducting any inquiry – There must be fairness and transparency in inquiry and mandatory procedural requirements should not be overlooked. धारा 7(1) स्पष्टीकरण (छ) – क्षेत्राधिकार – बालक की अभिरक्षा – कुटुम्ब न्यायालय को जांच करते समय विधि द्वारा विहित प्रक्रिया का अवश्यमेव पालन करना चाहिए – ऐसी जांच में निष्पक्षता और पारदर्शिता होना आवश्यक है तथा अनिवार्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को अनदेखा नहीं करना चाहिए।	187	239
Section 10 – Family Court – Trial – Use of Video-Conferencing. धारा 10 – कुटुम्ब न्यायालय – विचारण – वीडियो कान्फ्रेंसिंग का उपयोग।	245	307
FOOD SAFETY AND STANDARDS ACT, 2006		
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006		
Section 97 – See Sections 2, 7 and 16 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. धारा 97 – देखें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धाराएं 2, 7 एवं 16।	107*	127
GENERAL CLAUSES ACT, 1897		
साधारण खण्ड अधिनियम, 1897		
Section 6 – See Section 25 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. धारा 6 – देखें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 25।	39	40
JOTI JOURNAL - 2021		LVI

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 6 – See Sections 2, 7 and 16 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954. धारा 6 – देखें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धाराएं 2, 7 एवं 16।	107*	127
GUARDIANS AND WARDS ACT, 1890		
संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890		
Section 15 – (i) Custody of child – Visitation rights; grant of. (ii) Visitation rights – Place of visit – Whether office of District Legal Services Authority is a suitable place for visit of parent with child?		
धारा 15 – (i) बालक की अभिरक्षा – मुलाकात का अधिकार प्रदान किया जाना। (ii) मुलाकात का अधिकार – मुलाकात का स्थान – क्या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय बच्चे के साथ माता-पिता की मुलाकात के लिए उपयुक्त स्थान है?	246	307
HINDU ADOPTIONS AND MAINTENANCE ACT, 1956		
हिन्दू दत्तक एवं भरण-पोषण अधिनियम, 1956		
Section 20(3) – See Section 125 of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 20(3) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125।		
	13*	11
HINDU MARRIAGE ACT, 1955		
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955		
Sections 9, 13(1)(i-a) and 13(1)(i-b) – (i) Divorce on the ground of cruelty – Only institution of a criminal case per se will not constitute cruelty. (ii) Condonation of cruelty – When a petition u/s 9 of the Hindu Marriage Act for restitution of conjugal rights has been filed. (iii) Divorce on ground of desertion – Desertion is not to be tested by merely ascertaining which party left the matrimonial home first.		
धाराएं 9, 13(1)(i-क) एवं 13(1)(i-ख) – (i) क्रूरता के आधार पर विवाह-विच्छेद – आपराधिक प्रकरण संस्थित किया जाना मात्र क्रूरता गठित नहीं करता है। (ii) क्रूरता का क्षमा किया जाना – जहाँ हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन के लिए याचिका प्रस्तुत कर दी गई हो। (iii) अभित्यजन के आधार पर विवाह-विच्छेद – केवल यह अभिनिश्चित कर कि किस पक्षकार ने दाम्पत्य निवास पहले छोड़ा है, अभित्यजन परीक्षित नहीं किया जा सकता।	303	374

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
<p>Section 13 – (i) Marriage performed by way of affidavit – Validity of. (ii) Whether notaries can notarize affidavit of marriage or divorce? धारा 13 – (i) शपथ-पत्र के द्वारा विवाह सम्पन्न किया गया – वैद्यता। (ii) क्या नोटरी विवाह अथवा विवाह-विच्छेद के शपथ-पत्र को नोटराइज कर सकते हैं?</p>	247	308
<p>Section 13 (1) – (i) Ground of divorce – Mental cruelty – Determination of – Held, result of mental cruelty must be such that it is not possible to continue with the matrimonial relationship. (ii) Ground of divorce – Mental cruelty – Wife made several defamatory complaints against husband to his superior officers – Resultantly, his career progression affected – Wife also made complaints to other authorities and posted defamatory material on other platform which harmed the reputation of husband – Parties were highly educated, wife a faculty in Govt. PG College with PhD degree and husband, an army officer with M.Tech. degree – Held, husband cannot be expected to continue with the matrimonial relationship and it is definite case of cruelty inflicted by wife against husband. धारा 13(1) – (i) विवाह-विच्छेद का आधार – मानसिक क्रूरता – निर्धारण – अभिनिर्धारित, मानसिक क्रूरता का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि वैवाहिक संबंध जारी रखना संभव न हो – सहिष्णुता का स्तर युगल-युगल में भिन्न होगा। (ii) विवाह-विच्छेद का आधार – मानसिक क्रूरता – पत्नी ने पति के विरुद्ध उसके वरिष्ठ अधिकारियों को कई अपमानजनक शिकायतें कीं – परिणामस्वरूप, उसके करियर की प्रगति प्रभावित हुई – पत्नी ने अन्य अधिकारियों को भी शिकायत की और अन्य मंच पर अपमानजनक सामग्री पोस्ट की जिससे पति की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ – पक्षकार उच्च शिक्षित थे, पत्नी पीएचडी डिग्री के साथ शासकीय पीजी कॉलेज में संकाय सदस्य थी और पति एम.टेक. डिग्री के साथ सेना में अधिकारी था – अभिनिर्धारित, पति से वैवाहिक संबंध जारी रखने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और यह पति के साथ पत्नी द्वारा की गई क्रूरता का स्पष्ट मामला है।</p>	188	240
<p>Section 13-B (2) – Divorce by mutual consent – Cooling period – Cooling period should not be waived unless and until there is a strong possibility of rehabilitation of parties. धारा 13-ख (2) – पारस्परिक सहमति से विवाह-विच्छेद – पुनर्विचार अवधि – जब तक पक्षकारों के पुनर्वास की ठोस सम्भावना विद्यमान हो पुनर्विचार अवधि का अधित्याग नहीं करना चाहिए।</p>	134	165
<p>Section 13-B(2) – Divorce – Waive of cooling off period. धारा 13-ख(2) – विवाह-विच्छेद – उपशमन अवधि में छूट दिया जाना।</p>	248	309

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 13-B (2) – Waiver of period – The statutory period mentioned in the section 13-B (2) may be waived by the Court after its satisfaction in case of mutual consent.		
धारा 13-ख (2) – अवधि की छूट – न्यायालय द्वारा आपसी सहमति के प्रकरण में अपनी संतुष्टि के पश्चात् धारा 13-ख (2) में उल्लेखित वैधानिक अवधि में छूट दी जा सकती है।	189	242
Section 26 – See Section 15 of the Guardian and Wards Act, 1890.		
धारा 26 – देखें संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 15।	246	307
HINDU SUCCESSION ACT, 1956		
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956		
– Joint Property – alienation by co-sharer.		
– संयुक्त संपत्ति – सह अंशधारी द्वारा अंतरण।	30*	30
Section 6 – Devolution of interest in coparcenary property – Right of a daughter.		
धारा 6 – सहदायिकी सम्पत्ति में हित का न्यागमन – पुत्री का अधिकार।	31*	30
Section 8 – (i) Dispute as to succession of shares of company – Jurisdiction of Civil Court or NCLT – Held, question of right, title and interest is essentially adjudication of civil rights between the parties – Civil Court has the jurisdiction to entertain such dispute.		
(ii) Succession – Disowning of son by father or family – Effect of – Held, mere disowning of son does not deprive a son any right in property to which he is otherwise entitled to under law.		
धारा 8 – (i) कंपनी के शेयरों के उत्तराधिकार का विवाद – सिविल न्यायालय अथवा एनसीएलटी का क्षेत्राधिकार – अभिनिर्धारित, अधिकार, स्वत्व और हित का प्रश्न वस्तुतः पक्षकारों के मध्य के सिविल अधिकारों का निर्णयन है – ऐसे विवाद पर विचार करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है।		
(ii) उत्तराधिकार – पिता या परिवार द्वारा पुत्र का त्याग करने का प्रभाव – अवधारित, मात्र पुत्र का त्याग करने से पुत्र को उस संपत्ति के किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है जिसका वह अन्यथा विधि अनुसार अधिकारी है।	190	243
INDIAN PENAL CODE, 1860		
भारतीय दण्ड संहिता, 1860		
Sections 34, 107 and 302 – Exhortation; effect of.		
धाराएं 34, 107 एवं 302 – उकसाने का प्रभाव।	304	377
Sections 34, 109, 120B, 149, 302, 364, 365 and 387 – Abduction and murder – Abduction followed by murder in appropriate cases can enable a court to presume that the abductor is the murderer.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 34, 109, 120ख, 149, 302, 364, 365 एवं 387 – अपहरण एवं हत्या – उपयुक्त मामलों में प्रकरण में अपहरण के बाद हुई हत्या न्यायालय को यह उपधारणा करने के लिए समर्थ बनाती है कि अपहरणकर्ता ही हत्यारा है।	90 (ii)	101
Sections 34 and 302 – See Sections 3, 8 and 9 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 34 एवं 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 8 एवं 9।	91	104
Sections 34, 201, 302, 342, 364 and 365 – Murder – Abduction – There should be no interference in conviction when it was proved beyond reasonable doubt that deceased was last seen with the accused and in the course of investigation, ransom letter was also discovered at the instance of accused and dead body of deceased was also found in the room of accused.		
धाराएं 34, 201, 302, 342, 364 एवं 365 – हत्या – अपहरण – जब युक्ति युक्त संदेह से परे यह साबित कर दिया गया हो कि मृतक अंतिम बार अभियुक्त के साथ देखा गया था और अनुसंधान के दौरान मुक्ति धन (फिरौती) संबंधी पत्र भी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी पर प्राप्त किया गया था और मृतक का शरीर भी अभियुक्त के ही कमरे में पाया गया तब ऐसी परिस्थितियों में की गई दोषसिद्धि में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।	191	244
Sections 34, 294, 323 and 506 – See Sections 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va), 18 and 18-A of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.		
धाराएं 34, 294, 323 एवं 506 – देखें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धाराएं 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(1)(अ.क), 18 एवं 18-क।	268	328
Sections 34 and 302 – See Section 313 of the Criminal Procedure Code, 1973 and Appreciation of evidence.		
धाराएं 34 एवं 302 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 एवं साक्ष्य का मूल्यांकन।	305	378
Sections 53 and 302 – Sentence – Power of trial court – On conviction in a case of murder, the trial court has no power to impose imprisonment for remainder of natural life of accused.		
धाराएं 53 एवं 302 – दण्डादेश – विचारण न्यायालय की शक्तियाँ – हत्या से संबंधित प्रकरण में दोषसिद्धि के पश्चात् विचारण न्यायालय को अभियुक्त पर उसके शेष प्राकृतिक जीवन तक का कारावास अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है।	135	165
Sections 55, 366A and 376 – (i) Determination of age – Where the birth certificate from the school is available.		
(ii) Margin of error – There is no straight jacket formula to the effect that in every case, margin of error of two years has to be taken in favour of the accused.		
(iii) Consent of minor – Is immaterial.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(iv) Procuration of minor girl – If a minor girl leaves her house on the enticement by the accused then it cannot be said that the prosecutrix has left her house on her own volition.		
(v) Sentence – For an offence committed prior to POCSO Amendment Act, 2019, if the appellant has been held guilty for the offence u/s 376(1) of the IPC as well as for the offence u/s 4 of POCSO Act, 2012.		
धाराएं 55, 366क एवं 376 – (i) आयु निर्धारण – जहां स्कूल का जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।		
(ii) त्रुटि की सीमा – इस प्रभाव का ऐसा कोई सीधा स्थापित नियम नहीं है कि प्रत्येक प्रकरण में दो वर्ष की त्रुटि की सीमा को आसपास की परिस्थितियों को विचार में लिए बिना अभियुक्त के पक्ष में ही माना जाएगा।		
(iii) अवयस्क की सहमति – अप्रासंगिक है।		
(iv) अवयस्क लड़की का उपापन – यदि अवयस्क लड़की अभियुक्त द्वारा दिए गए प्रलोभन पर अपना घर छोड़ती है तब ये नहीं कहा जा सकता कि अभियोक्त्री ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा है।		
(v) दण्डादेश – पॉक्सो संशोधन अधिनियम, 2019 के पूर्व कारित अपराध के लिए यदि अपीलार्थी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(1) साथ ही पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध पाया गया हो।	306	380
Sections 90 and 376 – Consent to physical relationship – Whether given under misconception of fact or fraudulent promise of marriage – Determination of – Held, misconception of fact u/s 90 IPC must be in proximity of time of occurrence.		
धाराएं 90 एवं 376 – शारीरिक संबंध के लिए सहमति – तथ्य के भ्रम में अथवा विवाह के कपटपूर्ण वचन के अधीन दी गई – निर्धारण – अभिनिर्धारित, भा.दं.सं. की धारा 90 के अधीन तथ्य का भ्रम घटना के संनिक्कट में होना चाहिए।	71 (iv)	75
Sections 107 and 306 – Abetment of suicide – When the abetted follows such course of action which was intended or desired by the abettor, then only conviction of the accused can be held for abetment of the offence but this must be proved beyond reasonable doubt by the prosecution.		
धाराएं 107 एवं 306 – आत्महत्या का दुष्प्रेरण – जब दुष्प्रेरित ऐसी कार्यवाही का अनुसरण करता है जो कि दुष्प्रेरक द्वारा आशयित अथवा प्रभावित थी, केवल तभी अभियुक्त की दोषसिद्धि अपराध के दुष्प्रेरण हेतु की जा सकती है परन्तु अभियोजन द्वारा इसे युक्तियुक्त संदेह से परे अवश्य साबित किया जाना चाहिए।	192	245
Sections 120-B and 302 – Murder – Circumstantial evidence – Application of motive, last seen theory, criminal conspiracy and burden of proof; explained.		
धारा 120-ख एवं 302 – हत्या – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – हेतुक, अंतिम बार साथ देखा जाना, आपराधिक षडयंत्र एवं सबूत के भार के सिद्धांत की प्रयोज्यता समझाई गई।	193	246

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 120B and 420 – Charge u/s 420 IPC – It is not an isolated offence.		
धाराएं 120ख एवं 420 – भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत आरोप – यह एक एकाकी अपराध नहीं है।	32	32
Sections 149 and 302 – See Sections 8, 45, 59 and 134 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 149 एवं 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 8, 45, 59 एवं 134।	92	106
Sections 149 and 302 – See appreciation of evidence.		
धाराएं 149 एवं 302 – देखें साक्ष्य का मूल्यांकन।	33	33
Sections 149 and 302 – See Sections 45 and 65 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 149 एवं 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 45 एवं 65।	136	166
Section 153-A – See Sections 154 and 438 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 153-क – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154 एवं 438।	124	152
Sections 153-A, 295-A and 505 – “Hate speech” and “controversial speech” Distinction between – Applicability of sections 153-A, 295-A and 505 (2) IPC – Analysed and explained.		
धाराएं 153-क, 295-क एवं 505 – “घृणास्पद भाषण” और “विवादास्पद भाषण” – विभेद – धारा 153-क, 295-क और 505 (2) भा.द.सं. की प्रयोज्यता – विश्लेषित एवं समझाई गई।	137 (iii)	168
Sections 153-A and 505 – Promoting class hatred – Facebook post disapprobating governmental inaction cannot be branded as an attempt to promote hatred between different communities.		
धाराएं 153-क एवं 505 – वर्ग के प्रति घृणा को बढ़ावा देना – सरकारी निष्क्रियता की निंदा करने वाली फेसबुक पोस्ट को विभिन्न समुदायों के बीच घृणा को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में ब्रांडेड नहीं किया जा सकता है।	138	171
Section 188 – See Section 195 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 188 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195।	93	108
Sections 192, 193, 463 and 464 – Fabricating false evidence and making false document – Constitution of – Explained.		
धाराएं 192, 193, 463 एवं 464 – मिथ्या साक्ष्य गढ़ना और मिथ्या दस्तावेज रचना – गठन – समझाया गया।	19 (ii)	18

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 193 – See Sections 195(1)(b)(i), 195(1)(b)(ii) and 340 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 193 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 195(1)(ख)(i), 195(1)(ख)(ii) एवं 340।	171	218
Sections 201 and 302 – Culpable homicide when amount to murder.		
धाराएं 201 एवं 302 – आपराधिक मानव वध कब हत्या है।	307	383
Sections 279 and 338 – Punishment – Offence of rash and negligent driving – When sentence of imprisonment may be substituted by sentence of fine?		
धाराएं 279 एवं 338 – दण्ड – उतावलेपन से व उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने का अपराध – कब कारावास का दण्डादेश अर्थदण्ड के दण्डादेश से प्रतिस्थापित किया जा सकता है?	308*	384
Sections 300 Fourthly, 376 (2) and 376-A – (i) Rape and murder – Applicability of Section 300 Fourthly in cases of rape which involves death of victim.		
(ii) Rape and murder – Victim being child aged 2½ years – Considering the age of victim, accused must have known the consequence that his sexual assault will cause her death or such bodily injury as was likely to cause her death.		
(iii) Applicability of section 376 (2) and 376-A IPC as amended by 2013 Amendment Ordinance and 2013 Amendment Act.		
(iv) Death sentence – Imposition in cases based on circumstantial evidence – Held, not impermissible.		
(v) Theory of 'residual doubt' – Applicability in India – Held, such theory does not have any place in cases based on circumstantial evidence.		
धाराएं 300 चतुर्थ, 376 (2) एवं 376-क – (i) बलात्कार और हत्या – बलात्कार के मामलों में जहां पीड़ित की मृत्यु हो जाती है, धारा 300 चतुर्थ का लागू होना।		
(ii) बलात्कार और हत्या – पीड़िता ढाई वर्षीय बच्ची थी – पीड़िता की आयु को देखते हुए अभियुक्त को यह परिणाम ज्ञात होना चाहिए था कि उसके यौन हमले से पीड़िता की मृत्यु हो जाएगी या ऐसी शारीरिक क्षति कारित होगी जिससे उसकी मृत्यु संभाव्य है।		
(iii) 2013 के संशोधन अध्यादेश एवं 2013 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित भा.द.सं. की धारा 376 (2) और 376-क की प्रयोज्यता।		
(iv) परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में मृत्यु दण्ड की प्रयोज्यता – अभिनिर्धारित, इस पर कोई रोक नहीं है।		
(v) 'अवशिष्ट संदेह' का सिद्धांत – भारत में प्रयोज्यता – अभिनिर्धारित, इस सिद्धांत का परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामलों में कोई स्थान नहीं है।	139	172

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 300 Exception 4, 302 and 304 Part I – When culpable homicide is not murder? धाराएं 300 अपवाद 4, 302 एवं 304 भाग एक – आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है?	140	177
Section 302 – See Appreciation of Evidence.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य का मूल्यांकन।	309	384
Section 302 – Circumstantial evidence – Last seen theory – Accused failed to lead any explanation – Conviction upheld.		
धारा 302 – परिस्थितिजन्य साक्ष्य – अंतिम बार साथ देखे जाने का सिद्धांत – अभियुक्त कोई भी स्पष्टीकरण देने में विफल रहा – दोषसिद्धि उचित थी।	310 (i)	386
Section 302 – Murder trial – Motive; absence of – Effect – Where there is direct evidence in the form of trustworthy and reliable eye-witnesses, absence of motive is insignificant.		
धारा 302 – हत्या का मामला – हेतुक के अभाव का प्रभाव – जहां दृढ़ और विश्वसनीय चक्षुदर्शी साक्षियों के रूप में प्रत्यक्ष प्रमाण हों, वहां हेतुक का अभाव महत्वहीन होता है।	196 (i)	251
Section 302 – Murder – Motive – No importance should be given to factum of motive when prosecution is able to prove beyond reasonable doubt the charge of murder against the accused by clear and material evidence.		
धारा 302 – हत्या– हेतुक – जब अभियुक्त के विरुद्ध हत्या के आरोप को अभियोजन स्पष्ट और तात्विक साक्ष्य द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सक्षम हो तब हेतुक को कोई महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।	197	254
Section 302 – Non-recovery of weapon used – Effect of.		
धारा 302 – प्रयुक्त हथियार का जप्त न होना – प्रभाव।	249	310
Section 302 – See Section 3 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3।	195	250
Section 302 – See Section 3 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3।	300	370
Section 302 – See Sections 3 and 8 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 8।	194	249
Section 302 – See Sections 8, 9 and 45 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 302 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 8, 9 एवं 45।	89	101
Section 302 – See Sections 100 and 166 of the Criminal Procedure Code, 1973 and Criminal Trial.		
धारा 302 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 100 एवं 166 तथा आपराधिक विचारण।	70	74

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 302 – See Sections 173 and 190 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 302 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 173 एवं 190।	78	90
Sections 302 and 304 – (i) Murder – Single injury.		
(ii) Motive; absence of – Effect.		
धाराएं 302 एवं 304 – (i) हत्या – एकल चोट।		
(ii) हेतुक का अभाव – प्रभाव।	34	36
Sections 302 and 304 Part-II – (i) Murder or culpable homicide not amounting to murder. – Single assault on head with lathi.		
(ii) Lathi – Nature of – Discussed.		
धाराएं 302 एवं 304 भाग-दो – (i) हत्या अथवा आपराधिक मानव वध जो हत्या नहीं है – लाठी से सिर पर एकल प्रहार।		
(ii) लाठी की प्रकृति – व्याख्या की गई।	35*	37
Sections 302 and 304 Part-II – Murder or Culpable homicide – Determination.		
धाराएं 302 एवं 304 भाग-2 – हत्या या आपराधिक मानव वध – अभिनिर्धारण।		
	311	387
Sections 302, 304 and 498-A – Murder or culpable homicide not amounting to murder – Determination of.		
धाराएं 302, 304 एवं 498-क – हत्या एवं आपराधिक मानववध जो हत्या नहीं है – निर्धारण।		
	141 (ii)	178
Sections 302 and 498-A – See Section 311 of the Criminal Procedure Code, 1973		
धाराएं 302 एवं 498-क – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 311।		
	173*	222
Section 304-B – (i) Dowry death – Presumption when arises?		
(ii) Soon before death – The phrase “soon before” as appearing in section 304-B IPC cannot be construed to mean ‘immediately before’.		
(iii) Regarding law u/s 304-B IPC r/w/s 113-B Evidence Act guiding principles.		
धारा 304-ख – (i) दहेज मृत्यु – उपधारणा कब उत्पन्न होती है?		
(ii) मृत्यु से ठीक पूर्व – वाक्यांश “ठीक पूर्व” जैसा कि धारा 304-ख भा.द.सं. में दर्शित होता है का अर्थान्वयन ‘तुरन्त पहले’ के रूप में नहीं किया जा सकता।		
(iii) धारा 304-ख भा.द.सं. सहपठित धारा 113-ख साक्ष्य अधिनियम के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत।	250	310

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 304-B and 498-A – Dowry death and cruelty – Proof of ingredients of both the offences.		
धाराएं 304-ख एवं 498-क – दहेज मृत्यु एवं क्रूरता – दोनों अपराधों के तत्व साबित किया जाना।	251	313
Sections 304B, 406 and 498A – See Section 389 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 304ख, 406 एवं 498क – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389।	94	111
Sections 304 Part-II and 304-A – Death by negligent act or culpable homicide not amounting to murder – Where accused was playing with fire.		
धाराएं 304 भाग-दो एवं 304-क – उपेक्षापूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु या हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानव वध – जहां अभियुक्त आग से खेल रहा था।	36*	38
Section 306 – See Section 228 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 306 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 228।	238	300
Section 306 – Abetment to suicide – Presumption u/s 113-A when attracted?		
धारा 306 – आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण – धारा 113-ए की उपधारणा कब आकर्षित होगी?	252*	313
Sections 306 and 498-A – Abetment of suicide and cruelty – Independent witness; availability of – Interested witness; appreciation of.		
धाराएं 306 एवं 498-क – आत्महत्या का दुष्प्रेरण और क्रूरता – स्वतंत्र साक्षी की उपलब्धता – हितबद्ध साक्षी का मूल्यांकन।	312	389
Section 323 – Hurt – A case for offence u/s 323 IPC can be established without production of an injury report.		
धारा 323 – उपहति – भा.द.सं. की धारा 323 के अपराध से संबंधित प्रकरण को आहत की चोट संबंधी प्रतिवेदन प्रस्तुत किये बिना भी स्थापित किया जा सकता है।	313	391
Section 324 – Weapon of offence “likely to cause death” – Whether wooden lathi and (police) baton can never fall under the category of such weapon? Held, no – It depends on the manner of use of the wooden lathi and baton.		
धारा 324 – आक्रामक आयुध जिससे “मृत्यु कारित होना संभाव्य हो” – क्या लकड़ी की लाठी और पुलिस का डंडा कभी भी ऐसे हथियार की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं? अभिनिर्धारित, नहीं – यह लकड़ी की लाठी और डंडे के उपयोग के तरीके पर निर्भर करता है।	198 (i)	254
Sections 363 and 366 – Kidnapping – Consent of minor – Effect.		
धाराएं 363 एवं 366 – अपहरण – अवयस्क की सहमति – प्रभाव।	142	179
Section 364-A – Kidnapping for ransom – Essential ingredients explained.		
धारा 364-क – फिरौती के लिए अपहरण – आवश्यक तत्व समझाए गए।	253	314

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 366-A and 506 – Criminal intimidation; ingredients of – Explained. धाराएं 366—क एवं 506 – आपराधिक अभित्रास के आवश्यक तत्व – व्याख्या की गई।	14 (v)	12
Section 376 – Compromise – When consent of minor is immaterial in relation to an offence, no compromise can be accepted despite her consent. धारा 376 – समझौता – जब किसी अपराध के संबंध में अप्राप्तवय की सहमति तत्त्वहीन है तब कोई समझौता उसकी सहमति के पश्चात् भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।	95	111
Section 376 – Sexual offences against women and girls with disability – Guidelines issued to make out criminal justice system more disabled-friendly. धारा 376 – दिव्यांग महिलाओं और बालिकाओं के साथ लैंगिक अपराध – आपराधिक न्याय प्रणाली को दिव्यांगों के लिए और अधिक अनुकूल बनाने के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए।	181 (i)	229
Section 376-D – See Section 319 of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 376—घ – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 319।	292*	361
Sections 376 and 506 – Sexual Assault – Mental sickness of victim – Effect. धाराएं 376 एवं 506 – लैंगिक हमला – पीड़िता की मानसिक रुग्णता – प्रभाव।	143	180
Sections 376 (2) and 376-D – Presumption of absence of consent – Gang rape – Whether such presumption contained in Section 114-A Evidence Act is applicable to the newly inserted section 376-D IPC relating to gang rape? Held, no. धाराएं 376 (2) एवं 376—घ – सहमति के अभाव की उपधारणा – सामूहिक दुष्कर्म – क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 114—क में निहित ऐसी उपधारणा सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित नवीन धारा 376—घ भा.द.सं. पर लागू होती है? अभिनिर्धारित, नहीं।	144	182
Section 379 – See Sections 451 and 457 of the Criminal Procedure Code, 1973. धारा 379 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 451 एवं 457।	86	97
Sections 379 and 411 – See Sections 156 (3), 173 and 190 of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 379 एवं 411 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 156 (3), 173 एवं 190।	72	80
Sections 392 and 397 – Robbery – Question of identity – Mere factum of recovery of some money from the house of the appellant by itself, would not be sufficient to sustain the order of conviction for robbery. धाराएं 392 एवं 397 – लूट – पहचान का प्रश्न – अपीलार्थी के मकान से कुछ धनराशि बरामद होने का तथ्य मात्र अपने आप में, पर्याप्त नहीं होगा कि लूट के लिए दोषसिद्धि के आदेश को स्थिर रखा जाए।	314	392

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 392 and 397 r/w/s 34 – See Section 427 of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 392 एवं 397 सहपठित धारा 34 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 427।	23	23
Sections 396 and 412 – See Sections 3 and 45 of the Evidence Act, 1872. धाराएं 396 एवं 412 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 45।	254	314
Sections 406, 409 and 420 – See Section 154 of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 406, 409 एवं 420 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154।	37	38
Sections 489-B and 489-C – See Sections 162, 227 and 228 of the Criminal Procedure Code, 1973. धाराएं 489-ख एवं 489-ग – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 162, 227 एवं 228।	73	82
Section 498-A – See Appreciation of Evidence. धारा 498-क – देखें साक्ष्य का मूल्यांकन।	315	393
INDIAN SUCCESSION ACT, 1925		
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925		
Section 63 – See Section 9 of the Civil Procedure Code, 1908 and Section 68 of the Evidence Act, 1872. धारा 63 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68।	222	279
Section 281 – See Section 45 of the Evidence Act, 1872. धारा 281 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45।	301	371
INSECTICIDES ACT, 1968		
कीटनाशी अधिनियम, 1968		
Sections 29 and 33 – Limitation for taking cognizance for the offence u/s 17, 18 and 33 u/s 29 of the Insecticides Act, 1968. धाराएं 29 एवं 33 – कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 17, 18 एवं 33 के अपराध जो धारा 29 के अंतर्गत दण्डनीय हैं, के संज्ञान लेने के लिए परिसीमा।	316	394
Sections 29 and 33 – Offences by Companies – If any particular officer is appointed for quality control, under such a case, the Managing Director of the company should not be prosecuted under the Act.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 29 एवं 33 – कंपनियों द्वारा किए गए अपराध – यदि गुणवत्ता नियंत्रण हेतु किसी अधिकारी विशेष को नियुक्त किया जा चुका है तो ऐसी स्थिति में इस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के प्रबंध निर्देशक को अभियोजित नहीं किया जाना चाहिए।	317	395
INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016		
दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016		
Sections 7 and 238A (as amended by Second Amendment Act 26 of 2018) – See Section 18, Articles 62 and 137 of the Limitation Act, 1963.		
धाराएं 7 एवं 238क (2018 के द्वितीय संशोधन अधिनियम 26 द्वारा यथा संशोधित) – देखें परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 18, अनुच्छेद 62 एवं 137।	38	39
INTERPRETATION OF STATUTES:		
संविधियों का निर्वचन:		
– “Association of persons” – Meaning explained – It is necessary that persons band together with some business or commercial object in order to make income or profit.		
– “व्यक्तियों का संघ” – अर्थ समझाया गया – यह आवश्यक है कि व्यक्ति आय या लाभ कमाने के लिए किसी व्यवसाय अथवा वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं।	145*	183
– See Sections 2(xxix), 41(2), 42(1), 43, 44, 48, 49, 53 and 67 of the N.D.P.S. ACT, 1985.		
– देखें स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धाराएं 2(xxix), 41(2), 42(1), 43, 44, 48, 49, 53 एवं 67।	101	117
JUVENILE JUSTICE (CARE AND PROTECTION OF CHILDREN) ACT, 2015		
किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015		
Section 12 – Bail – Where the release is going to defeat “ends of justice” then child in conflict with law should not be released on bail.		
धारा 12 – जमानत – जहां रिहाई से न्याय का उद्देश्य विफल होने की आशंका है वहां ऐसे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को जमानत पर नहीं छोड़ना चाहिए।	255	316
Section 25 – Non-obstante clause – Interpretation of.		
धारा 25 – सर्वोपरि खण्ड का निर्वचन।	39	40
LAND ACQUISITION ACT, 1894		
भू-अर्जन अधिनियम, 1894		
Section 3 – See Sections 20 and 21 of the Specific Relief Act, 1963.		
धारा 3 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएं 20 एवं 21।	272	336
Section 18 – Land acquisition – Determination of compensation – Method of cumulative annual increase; applicability of – It is one of the methods of determining market value, but valuation based on sale deed is normally the safest method.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 18 – भूमि अधिग्रहण – प्रतिकर का निर्धारण – संचयी वार्षिक वृद्धि की पद्धति की प्रयोज्यता – यह बाजार मूल्य निर्धारित करने की एक पद्धति है, परन्तु विक्रय विलेख के आधार पर मूल्यांकन सामान्य रूप से सबसे सुरक्षित पद्धति है।	199*	256
LAND REVENUE CODE, 1959 (M.P.)		
भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.)		
Sections 31, 110 and 178 (1) – See Section 9 of the Civil Procedure Code, 1908 and Section 68 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 31, 110 एवं 178(1) – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9 एवं साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 68।	222	279
Sections 108, 109, 110 and 158(1)(b) – (i) Property belonging to temple – Whether priest can be treated as Inamdar or Muafidar under the Act of 1950 so as to become Bhumiswami under the Code of 1959?		
(ii) Entry in revenue records – Whether State Government by way of executive instructions can order the deletion of name of priest from revenue records?		
(iii) Entry in revenue records – Whether State Government by way of executive instructions can order to insert the name of Collector as manager of temple in revenue records?		
धाराएं 108, 109, 110 एवं 158(1)(ख) – (i) मंदिर की संपत्ति – क्या 1950 के अधिनियम के अधीन पुजारी को इनामदार या मुआफीदार माना जा सकता है जो 1959 की संहिता के अंतर्गत भूमिस्वामी बन सके?		
(ii) राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टि – क्या राज्य सरकार कार्यकारी निर्देशों के द्वारा पुजारी के नाम को राजस्व अभिलेखों से हटाने का आदेश दे सकती है?		
(iii) राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टि – क्या राज्य सरकार कार्यकारी निर्देशों के माध्यम से राजस्व अभिलेखों में मंदिर के प्रबंधक के रूप में कलेक्टर का नाम सम्मिलित करने का आदेश दे सकती है?	318	397
Sections 109 and 110 – (i) Mutation proceedings – Effect of delay.		
(ii) Revenue Courts – Procedure to be followed.		
धाराएं 109 एवं 110 – (i) नामांतरण कार्यवाही – विलम्ब का प्रभाव।		
(ii) राजस्व न्यायालय – पालन की जाने वाली प्रक्रिया।	256*	317
Section 110 – Mutation – Any registered sale deed cannot be set aside by revenue authority on the ground of balance to be paid – Only competent Civil Court can decide the legality of such registered document.		
धारा 110 – नामान्तरण – कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रतिफल भुगतान बकाया होने के आधार पर राजस्व अधिकारी द्वारा अपास्त नहीं किया जा सकता – ऐसे रजिस्टर्ड दस्तावेज की वैधता का निर्धारण मात्र सक्षम अधिकारिता वाले सिविल न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है।	200*	257

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 117 – Khasra Entries – Evidentiary value – On the strength of Khasra entries of certain years, State cannot claim title over the disputed land as it is well settled that an entry in the revenue records is not a document of title.		
धारा 117 – खसरा प्रविष्टियाँ – साक्ष्यिक मूल्य – निश्चित वर्षों की खसरा प्रविष्टियों के बल पर राज्य विवादित भूमि पर स्वत्व का दावा नहीं कर सकता, जैसा कि यह सुस्थापित है कि राजस्व अभिलेखों में की गई प्रविष्टि स्वत्व का दस्तावेज नहीं है।	205 (ii)	261
Section 131 – See Section 9 of the Civil Procedure Code 1908.		
धारा 131 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9।	115	138
Section 165 (7-b) – Leased property – Sale – Whether a lessee has a right to sell?		
धारा 165 (7-ख) – पट्टाकृत संपत्ति – विक्रय – क्या एक पट्टाधारी को विक्रय करने का अधिकार होता है?	257	318
Sections 185 and 190 – Bhumiswami rights – Occupancy tenant in Mahakoshal region. (ii) Limitation – To assail order without jurisdiction.		
धाराएं 185 एवं 190 – (i) भूमिस्वामी अधिकार – महाकौशल क्षेत्र में मौरूसी कृषक। (ii) परिसीमा – क्षेत्राधिकार विहीन आदेश को चुनौती दिए जाने हेतु।	40	42

LIMITATION ACT, 1963

परिसीमा अधिनियम, 1963

Section 3 – Suit for possession – A person claiming a decree has to establish his entitlement and also that his claim is not barred by the laws of limitation.

धारा 3 – आधिपत्य के लिए वाद – आज्ञाप्ति का दावा करने वाले व्यक्ति को अपनी पात्रता और साथ ही दावा परिसीमा विधि से बाधित न होना भी स्थापित करना होता है। **278 (i)** **346**

Section 5 – Condonation of delay – Inordinate delay in filing appeal by the State.

धारा 5 – विलंब क्षमा किया जाना – राज्य द्वारा अपील प्रस्तुत करने में किया गया अत्यधिक विलंब। **259** **319**

Section 5 – Condonation of delay – Whether filing of an application u/s 5 is mandatory?

धारा 5 – विलंब क्षमा किया जाना – क्या विलंब क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया जाना आज्ञापक है? **258** **319**

Section 5 – Steep rise in Covid-19 cases – Period of limitation prescribed under any general or special laws in respect of all judicial or quasi-judicial proceedings, whether condonable or not, have been extended till further orders – Further, periods of limitation for instituting proceedings under Arbitration and Conciliation Act, 1996, Commercial Courts Act, 2015 and Negotiable Instruments Act, 1881 as well as any other laws also extended from 14th March, 2021 till further orders.

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
<p>धारा 5 – कोविड-19 मामलों में तेजी से वृद्धि – सभी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यवाहियों के संबंध में किसी भी सामान्य या विशेष विधि द्वारा निर्धारित परिसीमा काल, चाहे वह क्षमा करने योग्य हो अथवा नहीं, आगामी आदेश तक विस्तारित किया गया – इसके अतिरिक्त माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996, वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के साथ-साथ किसी भी अन्य विधि के अधीन कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु प्राविधित परिसीमा काल भी दिनांक 14 मार्च, 2021 से आगामी आदेश तक विस्तारित कर दिया गया है।</p>	146	183
<p>Section 5 – See Order 41 Rule 3A of the Civil Procedure Code, 1908.</p>		
<p>धारा 5 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 41 नियम 3क।</p>	118*	141
<p>Section 18 – Acknowledgment of liability in writing – Whether entries made in statutory compulsion such as balance sheet would amount to acknowledgment of liability?</p>		
<p>धारा 18 – दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति – क्या सांविधिक बाध्यता जैसे कि वित्तीय स्थिति विवरण में की गई प्रविष्टियां दायित्व की अभिस्वीकृति मानी जाएगी?</p>	319	399
<p>Section 18, Articles 62 and 137 – (i) Limitation to file Application u/s 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.</p>		
<p>(ii) Extension or enlargement of the period of limitation – Facts are required to be pleaded and proved.</p>		
<p>धारा 18, अनुच्छेद 62 एवं 137 – (i) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 7 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि।</p>		
<p>(ii) परिसीमा अवधि में विस्तार अथवा वृद्धि – तथ्यों को अभिवचनित एवं साबित किया जाना आवश्यक है।</p>	38	39
<p>Section 65 – See Sections 58 and 60 of the Transfer of Property Act, 1882.</p>		
<p>धारा 65 – देखें संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धाराएं 58 एवं 60।</p>	59	62
<p>Article 58 – Limitation – Starting point for filing suit for partition.</p>		
<p>अनुच्छेद 58 – परिसीमा – विभाजन के लिये वाद प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रारंभ बिंदु।</p>	260	320
<p>Article 65 – Plea of title and adverse possession.</p>		
<p>अनुच्छेद 65 – स्वत्व और प्रतिकूल कब्जे का अभिवाक्।</p>	41	43
<p>Article 67 – Suit for possession from the tenant after determination of the lease, falls within Article 67 of the Limitation Act.</p>		
<p>अनुच्छेद 67 – किरायेदार से पट्टे का पर्यावसान हो जाने के पश्चात् कब्जे के लिए वाद परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 67 की परिधि में आता है।</p>	2 (iii)	2

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Article 137 – See Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. अनुच्छेद 137 – देखें माध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11।	218	275
M.P. CIVIL SERVICES (CLASSIFICATION, CONTROL AND APPEAL) RULES, 1966 म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966		
Rules 2(f) and 10 – Departmental enquiry – Punishment of censure cannot be imposed on any retired government servant because retired government servant is not included in the definition of Government Servant as defined in Rule 2(f). नियम 2(च) एवं 10 – विभागीय जांच – सी.सी.ए. नियम के नियम 10 के अंतर्गत परिनिंदा का दण्ड किसी सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता है क्योंकि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी नियम-2(च) में परिभाषित शासकीय कर्मचारी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं है।	270	331
M.P. MINERALS (PREVENTION OF ILLEGAL MINING, TRANSPORTATION AND STORAGE) RULES, 2006 मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियम, 2006		
Rule 18 – See Sections 156 (3), 173 and 190 of the Criminal Procedure Code, 1973. नियम 18 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 156 (3), 173 एवं 190।	72	80
M.P. MINOR MINERAL RULES, 1996 मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, 1996		
Rule 53 – See Sections 451 and 457 of the Criminal Procedure Code, 1973. नियम 53 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 451 एवं 457।	86	97
M.P. POLICE REGULATIONS: म.प्र. पुलिस विनियमन:		
Regulation 634 – See Sections 154, 156 and 200 of the Criminal Procedure Code, 1973. विनियम 634 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154, 156 एवं 200।	123	151
MADHYA BHARAT LAND REVENUE AND TENANCY ACT, 1950 मध्य भारत भू-राजस्व एवं काश्तकारी अधिनियम, 1950		
Section 2 – See Sections 108, 109, 110 and 158(1)(b) of the Land Revenue Code, 1959 (M.P.).		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 2 – देखें भू-राजस्व संहिता, 1959 (म.प्र.) की धाराएं 108, 109, 110 एवं 158(1)(ख)।	318	397
MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR CITIZENS ACT, 2007 माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा संरक्षण अधिनियम, 2007		
Sections 3, 4 and 23 – See Sections 17 and 36 of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005.		
धाराएं 3, 4 एवं 23 – देखें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धाराएं 17 एवं 36।	155	194
MINES AND MINERALS (DEVELOPMENT AND REGULATION) ACT, 1957 खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957		
Sections 4, 21, 22 and 23A – See Sections 156 (3), 173 and 190 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 4, 21, 22 एवं 23क – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 156 (3), 173 एवं 190।	72	80
Section 21 – See Sections 451 and 457 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 21 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 451 एवं 457।	86	97
MOTOR VEHICLES ACT, 1988 मोटरयान अधिनियम, 1988		
Sections 2(30) and 147(1) – Motor Insurance – Owner – When any motor vehicle is under possession of a person or corporation under a valid agreement then such person or corporation is called the owner of the vehicle.		
धाराएं 2(30) एवं 147(1) – वाहन का बीमा – स्वामी – जब कोई मोटरयान एक वैधानिक अनुबंध के अंतर्गत किसी व्यक्ति या निगम के आधिपत्य में होता है, तब ऐसे व्यक्ति या निगम को उस वाहन का स्वामी कहा जाता है।	201	257
Section 50 – Transfer of hypothecated vehicle – When become complete.		
धारा 50 – वित्तपोषित वाहन का अंतरण – कब पूर्ण होता है।	42	44
Section 128 – Contributory negligence – Tripling on Motorcycle – Presumption of contributory negligence cannot be raised.		
धारा 128 – योगदायी उपेक्षा – मोटरसायकल पर तीन सवारी – अंशदायी उपेक्षा की उपधारणा नहीं की जा सकती है।	261	321

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 140 and 166 – (i) Assessment of income – A stereotypical or myopic approach, should not be adopted but realities of life should be taken into account.		
(ii) Permanent disability – Determination of – As a typist/data entry operator, full functioning of his hands was essential to earn his livelihood – The extent of his permanent disability was assessed at 89% – Looking to the circumstances of the case, Supreme Court assessed permanent disability at 65%.		
धाराएं 140 एवं 166 – (i) आय का आंकलन – एक रूढ़िवादी या अदूरदर्शी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए वरन् जीवन की वास्तविकताओं को विचार में लेना चाहिए।		
(ii) स्थाई अयोग्यता – निर्धारण – एक टाइपिस्ट/डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में हाथों की पूर्ण क्रियाशीलता उसकी आजीविका अर्जन के लिए आवश्यक थी – उसकी स्थाई अयोग्यता का निर्धारण 89 प्रतिशत तक विस्तारित किया गया – प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्थाई अयोग्यता का निर्धारण 65 प्रतिशत पर किया।	96	112
Sections 147, 185, 203 and 204 – Drink and drive – Exclusion of liability of insurance company – Whether presence of alcohol in excess of 30 mg per 100 ml of blood is indispensable requirement to enable the insurance company to invoke exclusion clause? Held, no.		
धाराएं 147, 185, 203 एवं 204 – मदिरा पीकर वाहन चलाना – बीमा कंपनी के दायित्व का अपवर्जन – क्या प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल की उपस्थिति बीमा कंपनी द्वारा अपवर्जन खण्ड लागू करने के लिए अनिवार्य आवश्यकता है? अभिनिर्धारित, नहीं।	202 (i)	258
Section 147(1) – Fitness certificate – Vehicle driven without fitness certificate – Insurance company should be exonerated from its liability – Principle of “Pay and recover” should be applied.		
धारा 147(1) – ठीक हालत में होने का प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) – वाहन ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) के बिना चलाया गया – बीमा कंपनी को उसके दायित्व से उन्मुक्त किया जाना चाहिए – “भुगतान करे और वसूले” का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए।	43*	45
Sections 147 (1) r/w/s 2 (30) and 157 – Whether insurance company would be liable in case of an accident involving a vehicle hired by State Corporation under an agreement?		
धाराएं 147 (1) सहपठित धाराएं 2 (30) एवं 157 – क्या राज्य निगम द्वारा अनुबंध के तहत किराये पर लिए गए वाहन से होने वाली दुर्घटना के मामले में बीमा कम्पनी दायित्वधीन होगी?	320	401
Section 147 (1) r/w/s 39, 56 and 84(a) – (i) Fitness Certificate – Requirement – Not dependent upon the terms and conditions of the Insurance Company, but it is the requirement of law for using the vehicle in accordance with law.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(ii) Absence of fitness certificate – Vehicle was not having the fitness certificate on the date of accident thus, violating the terms and conditions of the insurance policy – Insurance company is not jointly and severely liable to make payment of compensation.		
(iii) Pay and recover – Insurance Company shall be liable to make payment of the compensation amount with liberty to recover the same from the owner.		
धारा 147 (1) सहपठित धाराएं 39, 56 एवं 84(क) – (i) फिटनेस प्रमाणपत्र – आवश्यकता – बीमा कंपनी के नियमों और शर्तों पर निर्भर नहीं है, अपितु विधि के अनुसार वाहन का उपयोग करने के लिए विधिक आवश्यकता है।		
(ii) फिटनेस प्रमाणपत्र का अभाव – दुर्घटना तिथि पर वाहन का फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं था परिणाम स्वरूप बीमा पॉलिसी के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन हुआ और तब बीमा कंपनी प्रतिकर का भुगतान करने के लिए संयुक्ततः और पृथकतः दायी नहीं होगी।		
(iii) भुगतान करो एवं वसूलो – बीमा कंपनी इस स्वतंत्रता के साथ प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है कि वह भुगतान की गई राशि मालिक से वसूल कर सकेगी।		
	97	113
Sections 147 (1) and 157 – Theft of vehicle – Liability of insurance company – Where insurance company compensate the owner for theft.		
धाराएं 147 (1) एवं 157 – वाहन की चोरी – बीमा कंपनी का दायित्व – जहां बीमा कंपनी वाहन स्वामी को चोरी के लिए प्रतिकर प्रदान कर देती है।	262	321
Section 149 (2) (a) (ii) – (i) Driving license – Absence of endorsement – Effect – Driving license of the driver did not bear the endorsement of transport vehicle – Insurance Company exonerated by the tribunal – Held, no requirement to get separate endorsement to drive transport vehicle of LMV class [<i>Mukund Dewangan v. Oriental Insurance Co. Ltd., 2017 ACJ 2011 (SC)</i> relied on].		
(ii) Liability of Insurance Company – Insurance Company is jointly and severally liable to pay compensation amount along with owner and driver.		
धारा 149 (2) (क) (ii) – (i) चालन अनुज्ञप्ति – पृष्ठांकन का अभाव – प्रभाव – चालक के चालन अनुज्ञप्ति पर वाणिज्यिक वाहन का पृष्ठांकन नहीं था परिणामस्वरूप अधिकरण द्वारा बीमा कंपनी को मुक्त किया गया – अभिनिर्धारित, एल.एम.व्ही. वर्ग के वाणिज्यिक वाहन के चालन हेतु पृथक पृष्ठांकन प्राप्त किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। [<i>मुकुन्द देवांगन विरुद्ध ओरियंटल इश्योरेंस कंपनी लिमि., 2017 ए.सी.जे. 2011 (एस.सी.)</i> अवलंबित]		
(ii) बीमा कंपनी का दायित्व – मालिक एवं चालक के साथ, बीमा कंपनी प्रतिकर का भुगतान करने के लिए संयुक्ततः एवं पृथकतः दायी है।	98	114

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 149(2)(a)(ii) – Liability of owner – Driver has a fake or invalid driving licence. धारा 149(2)(क)(ii) – स्वामी का दायित्व – चालक के पास फर्जी या अवैध अनुज्ञप्ति का होना।	44	45
Section 163-A – Negligence – Claim u/s 163-A – Negligence or default of the owner need not to be pleaded or established. धारा 163-क – उपेक्षा – धारा 163-क के अंतर्गत दावा – स्वामी की उपेक्षा या दोष का अभिवचन करने या उसे स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है।	45	46
Section 166 – Accident claim – Defence – Insurance Company – In absence of any cogent evidence on record, plea of false implication of vehicle involved in the accident taken by Insurance Company for its defence, cannot be accepted. धारा 166 – दुर्घटना दावा – बचाव – बीमा कम्पनी – अभिलेख पर किसी निश्चायक साक्ष्य के अभाव में बीमा कम्पनी द्वारा अपने बचाव हेतु दुर्घटना में वाहन को झूठा शामिल किये जाने का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता है।	99	116
Section 166 – Compensation – Death of unborn child – For the loss of 7 month foetus in a road accident by the woman, at least ₹ 2,50,000/- should be awarded by the tribunal as compensation in such type of death. धारा 166 – प्रतिकर – अजन्मे बच्चे की मृत्यु – एक सड़क दुर्घटना में महिला को 7 माह के भ्रूण की हानि पर अधिकरण को कम से कम ₹ 2,50,000 /- प्रतिकर के रूप में अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए।	147	184
Section 166 – Compensation – Permanent total disability – (i) Loss of future prospects – Whether compensation can be awarded under the head of loss of future prospects in cases of permanent disability? (ii) Loss of future prospects – Deduction towards personal expenses. (iii) Award of expenses for caregiver. (iv) Loss of amenities and loss of expectation of life. धारा 166 – प्रतिकर – स्थायी पूर्ण निःशक्तता – (i) भविष्य की संभावनाओं की हानि – क्या स्थायी निःशक्तता के मामलों में भविष्य की संभावनाओं की हानि के शीर्ष में प्रतिकर दिया जा सकता है? (ii) भविष्य की संभावनाओं की हानि – व्यक्तिगत खर्चों की कटौती। (iii) देखभाल करने वाले व्यक्ति के लिए खर्च दिलाया जाना। (iv) सुविधाओं की हानि और जीवन की अपेक्षा की हानि।	48	49

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 166 – Compensation; determination of – Permanent disability – Whether MACT can give direction for continued maintenance of prosthetic limbs of the claimant in perpetuity?		
धारा 166 – प्रतिकर का निर्धारण – स्थायी निर्योग्यता – क्या मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण दावाकर्ता के प्रोस्थेटिक अंगों के निरंतर रखरखाव के लिए निर्देश दे सकता है?	321	402
Section 166 – Consortium – Extent.		
धारा 166 – साहचर्य – विस्तार।	46	47
Section 166 – Contributory negligence – Appreciation of.		
धारा 166 – योगदायी उपेक्षा का मूल्यांकन।	47	48
Section 166 – (i) Contributory negligence – Pillion rider – In a case of composite negligence, pillion rider of the vehicle cannot be held liable for any contributory negligence.		
(ii) As per circular issued by Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA), package policy covers the risk of pillion riders on two wheelers also.		
धारा 166 – (i) अंशदायी उपेक्षा – पिछली सीट पर सवार व्यक्ति – किसी मिश्रित उपेक्षा के मामले में, वाहन की पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को किसी अंशदायी उपेक्षा हेतु जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।		
(ii) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार पैकेज पालिसी, दोपहिया वाहनों में पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के जोखिम को भी सुरक्षा प्रदान करती है।	100	116
Section 166 – Contributory negligence – Pillion rider – Only sleeping by pillion rider itself does not come under the purview of contributory negligence.		
धारा 166 – योगदायी उपेक्षा – पीछे बैठा सवार – दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे सवार का सो जाना मात्र योगदायी उपेक्षा की श्रेणी में नहीं आता है।	263	322
Section 166 – Determination of compensation – Income of deceased – Deduction – Income of deceased means 'gross income minus statutory deductions'.		
धारा 166 – प्रतिकर का निर्धारण – मृतक की आय – कटौती – मृतक की आय से तात्पर्य है "वैधानिक कटौतियों को छोड़कर सकल आय"।	203*	260
Section 166 – Motor accident – Determination of compensation – Death claim – Whether self-employed deceased is entitled to future prospects? Held, yes.		
धारा 166 – मोटरयान दुर्घटना – प्रतिकर का निर्धारण – मृत्यु दावा – क्या स्वनियोजित मृतक भी भविष्य की संभावना प्राप्त करने का अधिकारी है? अभिनिर्धारित, हाँ।	204*	261
Section 166 – Notional income – Determination – In a case of labourer's death, daily wages shown in circular/notification issued by the Labour Officer of the concerned district for the relevant period i.e. the date of accident should be taken note by the tribunal for assessment of notional income.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धारा 166 – काल्पनिक आय – अवधारणा – श्रमिक की मृत्यु के मामले में काल्पनिक आय के निर्धारण हेतु अधिकरण को तत्समय अर्थात् दुर्घटना दिनांक को संबंधित जिले के श्रम अधिकारी द्वारा जारी परिपत्र/अधिसूचना में दर्शाये गये दैनिक वेतन को विचार में लिया जाना चाहिए।	148	185
Section 166 – Substitution of legal representatives – Application filed under Order 22 Rule 3 of CPC in a claim petition should not be dismissed on hyper technical ground for non-filing of delay condonation application.		
धारा 166 – विधिक प्रतिनिधियों का प्रतिस्थापन – एक क्लेम याचिका में प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 22 नियम 3 सि.प्र.सं. को विलंब क्षमा किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किये जाने जैसे अति-तकनीकी आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।	264	323
Sections 166(1)(a), (b) and 168 – (i) Claim for personal injuries – Right of legal representative after death of claimant.		
(ii) Just compensation – Considerable factor.		
धाराएं 166(1)(क), (ख) एवं 168 – (i) व्यक्तिगत क्षतिपूर्ति का दावा – दावाकर्ता की मृत्यु के उपरांत विधिक प्रतिनिधियों का अधिकार।		
(ii) युक्तियुक्त प्रतिकर – विचार योग्य कारक।	322	403
Section 166(1)(c) – Claim petition – Legal representative – Major son of deceased is also included in the term of Legal representative and he is also entitled for compensation.		
धारा 166(1)(ग) – दावा याचिका – विधिक प्रतिनिधि – मृतक का वयस्क पुत्र भी विधिक प्रतिनिधि की श्रेणी में आता है और वह भी प्रतिकर पाने का अधिकारी है।	265	323
Sections 166 and 168 – (i) Compensation – Death cases – Loss of consortium and loss of love and affection.		
(ii) Loss of consortium – Whether loss of consortium refers only to spousal consortium?		
धाराएं 166 एवं 168 – (i) प्रतिकर – मृत्यु के मामले – साहचर्य की हानि एवं प्रेम व स्नेह की हानि।		
(ii) साहचर्य की हानि – क्या साहचर्य की हानि मात्र पति/पत्नी के साहचर्य को संदर्भित करती है?	49	51
Sections 166, 168 and 173 – See Sections 3 and 137 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 166, 168 एवं 173 – देखे साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 137।	130	159

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
------------	----------	----------

Section 168 – (i) Death of housewife – Calculation of income – There cannot be fixed approach to calculate the notional income of a housewife.

(ii) Death claim – Future prospects in case of notional income – No rational distinction can be drawn with respect to the granting of future prospects merely on the basis that their income was not proved, particularly when the Court has determined their notional income.

धारा 168 – (i) गृहिणी की मृत्यु – आय की गणना – गृहिणी की काल्पनिक आय की गणना की कोई स्थाई पद्धति नहीं हो सकती।

(ii) मृत्यु दावा – काल्पनिक आय के मामले में भविष्य की संभावना – जहां आय प्रमाणित नहीं होती है वहां इस आधार पर भविष्य की संभावना का लाभ प्रदान करने में कोई युक्तिसंगत भेद नहीं किया जा सकता है, विनिर्दिष्टतः जहां न्यायालय काल्पनिक आय विचार में लेता है।

149 186

Section 173 – Pay and Recover – When insurance company is absolved of its liability because of breach of policy.

धारा 173 – भुगतान करें और वसूले – जब पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन के कारण बीमा कंपनी को अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया गया हो।

50 53

MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956 (M.P.)

नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (म.प्र.)

Section 401 – Determination of title – Burden of proof – Plaintiff in possession since long time, various permissions granted in favour of him by the State Authorities – The plaintiffs having established a high degree of probability in their favour, the onus had shifted on the defendants to prove the contrary, which they failed to discharge.

– Non-issuance of notice u/s 401 – Effect – Objection as to non-issuance of notice u/s 401 of the M.P. Municipal Corporation Act, lost significance in the wake of the Corporation having been issued notice u/s 80 of the CPC.

धारा 401 – स्वत्व का निर्धारण – सबूत का भार – वादी लंबे समय से आधिपत्य में है, राज्य प्राधिकारियों द्वारा वादी के पक्ष में विभिन्न अनुमतियाँ प्रदत्त की गईं – वादीगण द्वारा अपने पक्ष में उच्च श्रेणी की संभाव्यता स्थापित की गई है, प्रतिकूलतः प्रमाणित करने का उत्तरदायित्व प्रतिवादीगण पर अंतरित होता है जिसे पूर्ण करने में वे असफल रहे।

– धारा 401 के अंतर्गत सूचना-पत्र जारी न करना – प्रभाव – मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 401 के अंतर्गत सूचना-पत्र जारी न किए जाने की आपत्ति अपना महत्व उस समय खो देती है जबकि निगम को सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत सूचना पत्र जारी किया गया।

205 (i) 261

& (iii)

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
MUSLIM WOMEN (PROTECTION OF RIGHTS ON MARRIAGE) ACT, 2019		
मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019		
Sections 3, 4 and 7 – (i) Offence of pronouncement of triple talaq under the Act of 2019 – Applicability of – Held, such offence can only be committed by Muslim husband.		
(ii) Anticipatory bail – Whether anticipatory bail can be granted for offence punishable under the Act of 2019? Held, yes.		
धाराएं 3, 4 एवं 7 – (i) 2019 के अधिनियम के अधीन तीन तलाक की घोषणा का अपराध – प्रयोज्यता – अभिनिर्धारित, ऐसा अपराध मात्र एक मुस्लिम पति द्वारा ही कारित किया जा सकता है।		
(ii) अग्रिम जमानत – क्या 2019 के अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध में अग्रिम जमानत दी जा सकती है? अभिनिर्धारित, हाँ।	129	157
NATIONAL INVESTIGATION AGENCY ACT, 2008		
राष्ट्रीय अनुसंधान एजेन्सी अधिनियम, 2008		
Sections 11, 13, 16 and 22 – See Section 167 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 11, 13, 16 एवं 22 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167।		
	74	83
N.D.P.S. ACT, 1985		
स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985		
Sections 2(xxix), 41(2), 42(1), 43, 44, 48, 49, 53 and 67 – Confessional statement under NDPS Act – Admissibility of – Officers who are invested with the powers u/s 53 of the NDPS Act are “Police Officers” within the meaning of section 25 of the Evidence Act – Statement recorded u/s 67 of the NDPS Act cannot be used as a confessional statement.		
धाराएं 2(xxix), 41(2), 42(1), 43, 44, 48, 49, 53 एवं 67 – एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत संस्वीकृति कथन – ग्राह्यता – वे अधिकारीगण जिनमें धारा 53 एनडीपीएस अधिनियम की शक्तियाँ निहित की गई हैं वे साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 की परिभाषा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी हैं – एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत अभिलिखित कथनों का उपयोग संस्वीकृति कथन के रूप में नहीं किया जा सकता।	101	117
Sections 8, 15, 29, 53 and 67 – See Section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 8, 15, 29, 53 एवं 67 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439।		
	242	304
Sections 8, 18 and 29 – NDPS Act – Framing of charge – Relevant materials.		
धाराएं 8, 18 एवं 29 – एनडीपीएस अधिनियम – आरोप विरचना – सुसंगत विषयवस्तु।		
	150	187

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 8, 20, and 25 – See Section 457 of the Criminal Procedure Code, 1973		
धाराएं 8, 20 एवं 25 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 457।	180	228
Sections 8, 21(b) and 50 – Personal Search – Right of accused – As per Section 50 of NDPS Act, the accused must be apprised by the person concerned regarding his right to get searched before Gazetted Officer or Magistrate.		
धाराएं 8, 21(ख) एवं 50 – व्यक्तिगत तलाशी – अभियुक्त का अधिकार – एनडीपीएस अधिनियम की धारा 50 के अनुसार अभियुक्त को संबंधित व्यक्ति द्वारा निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा कि उसे राजपत्रित अधिकारी अथवा मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी का अधिकार है।		
	151 (ii)	188
Sections 15 and 42 – Conviction – Appeal – There should be acquittal in case of total non-compliance of section 42 because total non-compliance of section 42 is impermissible.		
धाराएं 15 एवं 42 – दोषसिद्धि – अपील – धारा 42 के सम्पूर्ण अननुपालन के प्रकरण में दोषमुक्ति होना चाहिए क्योंकि धारा 42 का सम्पूर्ण अननुपालन अनुज्ञेय नहीं है।		
	206	263
Section 20 – Seizure of contraband – Non-recovery of vehicle and failure to establish ownership of vehicle – Effect.		
धारा 20 – प्रतिषिद्ध सामग्री की जप्ती – वाहन की बरामदगी न होना और वाहन के स्वामित्व को स्थापित करने में विफलता – प्रभाव।		
	51 (iii)	54
Sections 20(b) and 35 – Presumption of culpable mental state.		
धाराएं 20(ख) एवं 35 – आपराधिक मनः स्थिति की उपधारणा।	323	405
Section 20(ii)(c) – See Section 378 of the Criminal Procedure Code, 1973 and Sections 3, 21, 118 and 154 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 20(ii)(ग) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 और साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3, 21, 118 एवं 154।	102	118
Sections 21 and 32-B – Quantum of sentence – Offence relating to commercial quantity under NDPS Act.		
धाराएं 21 एवं 32-ख – दण्ड की मात्रा – एनडीपीएस अधिनियम के अधीन व्यावसायिक मात्रा का अपराध।	152	190
Sections 22, 28 and 29 – See Sections 167 and 439(2) of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 22, 28 एवं 29 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 167 एवं 439(2)।	170	216

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 36A (4) [as inserted by (Amendment) Act of (9 of 2001)] – See Section 167(2), Proviso (a), Explanation I (as inserted by Act 45 of 1978) of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 36क (4) [(संशोधन) अधिनियम 2001 के 9 के द्वारा यथा अन्तःस्थापित] – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167(2), परन्तुक (क) स्पष्टीकरण। (1978 के अधिनियम सं. 45 के द्वारा यथा अन्तःस्थापित)।	76	87
Section 37 – See Section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 37 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439।	179	227
Sections 41 to 44 and 53 – See Sections 154, 156 and 157 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 41 से 44 एवं 53 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 154, 156 एवं 157।	103	120

NEGOTIABLE INSTRUMENTS ACT, 1881

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881

Sections 118, 138 and 139 – Presumption and rebuttal – Presumptions u/s 118 and 139 of Negotiable Instruments Act cannot be rebutted just by recording of statement u/s 313 of CrPC by the accused as such statement is not substantive evidence of defence.

धाराएं 118, 138 एवं 139 – उपधारणा और खंडन – परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 118 एवं 139 की उपधारणाओं का खंडन अभियुक्त द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत कथन मात्र अभिलिखित करवाकर नहीं किया जा सकता क्योंकि धारा 313 के अंतर्गत किये गये कथन बचाव की सारभूत साक्ष्य नहीं है।

104 123

Sections 118 and 139 – (i) Presumption – Once the signature of an accused on the cheque/negotiable instrument are established, then these 'reverse onus' clauses become operative – In such a situation, the obligation shifts upon the accused to discharge the presumption imposed upon him.

(ii) Compensation – There needs to be a consistent approach towards awarding compensation and unless such special circumstances exist, the Courts should uniformly levy fine up to twice the cheque amount along with simple interest @ 9% per annum.

धाराएं 118 एवं 139 – (i) उपधारणा – एक बार चेक/परक्राम्य लिखत पर अभियुक्त के हस्ताक्षर सिद्ध हो जाएं तब 'रिवर्स ओनस' भाग क्रियाशील हो जाता है – ऐसी स्थिति में उपधारणा के खण्डन का दायित्व अभियुक्त पर आ जाता है।

(ii) प्रतिकर – प्रतिकर दिलाये जाने की दिशा में एक सुसंगत दृष्टिकोण होना चाहिए और जब तक कि विशेष परिस्थितियाँ न हो न्यायालयों को समान रूप से 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ चेक के दो गुने तक राशि जुर्माना करना चाहिए।

105 124

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 138 – (i) Dishonour of cheque – If any Magistrate presumes on the basis of evidence during inquiry or trial that he has no jurisdiction to try the case then in such a situation proceeding of the case must be stayed and case must be submitted with a brief report to Chief Judicial Magistrate u/s 322 CrPC.		
(ii) Dishonour of cheque – Proceeding cannot be stopped in a case of Section 138 NI Act u/s 258 CrPC – Court of Magistrate has no power to review or recall order of issuance of process.		
धारा 138 – (i) चेक अनादरण – यदि कोई मजिस्ट्रेट जांच या विचारण के समय साक्ष्य के आधार पर यह उपधारणा करता है कि उसे विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है तो ऐसी स्थिति में वह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 322 के अंतर्गत कार्यवाही को अनिवार्य रूप से स्थगित करते हुए संक्षिप्त प्रतिवेदन के साथ प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेगा।		
(ii) चेक अनादरण – धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण की कार्यवाही धारा 258 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नहीं रोकी जा सकती – मजिस्ट्रेट न्यायालय को आदेशिका जारी करने के आदेश का पुनर्विलोकन करने या ऐसे आदेश को वापस बुलाने की शक्ति नहीं है।	208	264
Section 138 – See Section 25 of the Contract Act, 1872.		
धारा 138 – देखें संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 25।	284	351
Section 138 – See Section 389 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 138 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389।	207*	264
Section 141 – Company – Two private individuals are not included in the term “other association of individuals” – Thus, Section 141 of N.I. Act is not applicable to the individuals.		
धारा 141 – कंपनी – “व्यक्तियों का कोई संगम” शब्दावली में दो निजी व्यक्ति शामिल नहीं हैं – इसलिये परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है।	106	127
Section 147 – See Section 320 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धारा 147 – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 320।	293	362
NOTARIES ACT, 1952		
नोटरी अधिनियम, 1952		
Sections 2(d) and 8 – See Section 13 of the Hindu Marriage Act, 1955.		
धाराएं 2(घ) एवं 8 – देखें हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13।	247	308

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
------------	-------------	-------------

POWERS OF ATTORNEY ACT, 1882

मुख्तारनामा अधिनियम, 1882

Section 1A – See Order 3 Rule 1 of the Civil Procedure Code, 1908.

धारा 1क – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 3 नियम 1। 4 5

**PRE-CONCEPTION AND PRE-NATAL DIAGNOSTIC TECHNIQUES
(PROHIBITION OF SEX SELECTION) ACT, 1994**

**गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध)
अधिनियम, 1994**

Section 27 – Offence of pre-natal sex determination and female foeticide – Bail; entitlement for – Held, gravity of offence and its impact on society along with strong prima facie case disentitle accused to be released on bail – No leniency should be granted in such cases.

धारा 27 – प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण और कन्या भ्रूण हत्या के अपराध – जमानत की पात्रता – अभिनिर्धारित, अपराध की गंभीरता और समाज पर इसके प्रभाव के साथ-साथ ठोस प्रथम दृष्टया मामला अभियुक्त को जमानत पर रिहा करने का पात्र नहीं बनाते हैं – ऐसे मामलों में कोई उदारता नहीं की जानी चाहिए। 209 266

Section 28(1) – Cognizance of offence – Unless the complaint is signed and presented by the officer authorized or appropriate authority, the Court cannot take cognizance.

धारा 28(1) – अपराध का संज्ञान – जब तक समुचित अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर कर परिवाद प्रस्तुत नहीं किया जाता न्यायालय ऐसे परिवाद पर संज्ञान नहीं ले सकता है।

18* 18

PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

Sections 7, 13(1) (d) and 13(2) – (i) Illegal gratification – Trap case – Procedure to be adopted.

(ii) Benefit of doubt – Circumstances under which money and article are recovered, is not sufficient to convict the accused when the substantive evidence in the case is not reliable.

धाराएं 7, 13(1)(घ) एवं 13(2) – (i) अवैध पारितोषण – ट्रैप प्रकरण – आवश्यक प्रक्रिया।

(ii) संदेह का लाभ – परिस्थितियाँ जिनके अंतर्गत राशि एवं वस्तुयें अभिग्रहीत किए गए अभियुक्त को दोषसिद्ध किए जाने हेतु पर्याप्त नहीं है जबकि प्रकरण में तात्त्विक साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हो।

153 192

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Section 12 – Bribe giver – FIR – When any complainant pays the bribe money to any public servant for any favourable order and the public servant after accepting bribe money, neither passes order in favour of complainant nor returns the bribe money then in such cases, an offence must be registered against such complainant/bribe giver also by the police u/s 12 of the Act.		
धारा 12 – रिश्वत देने वाला– प्रथम सूचना रिपोर्ट – जब कोई शिकायतकर्ता किसी लोक सेवक से अपने पक्ष में आदेश पारित करने के लिये रिश्वत राशि लोकसेवक को प्रदान करता है और ऐसा लोक सेवक रिश्वत राशि लेने के पश्चात ना तो उसके पक्ष में आदेश पारित करता है और ना ही रिश्वत राशि वापिस करता है तब ऐसे प्रकरणों में पुलिस द्वारा रिश्वत देने वाले शिकायतकर्ता के विरुद्ध भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाना चाहिए।	210	267
Section 13(1)(d) – See Sections 7 and 13 of the Prevention of Corruption (Amendment) Act, 2018.		
धाराएं 13(1)(घ) – देखें भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धाराएं 7 एवं 13।	52	56
Sections 13(1)(d), (2) and 19 – Sanction for prosecution – Where investigation has been completed and charge sheet has been filed.		
धाराएं 13(1)(घ), (2) एवं 19 – अभियोजन के लिए स्वीकृति – जब अन्वेषण पूर्ण हो गया हो और अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जा चुका हो।	20*	21
Sections 13(1)(d), 13(1)(e) and 13(2) – See Sections 195(1)(b)(i), 195(1)(b)(ii) and 340 of the Criminal Procedure Code, 1973.		
धाराएं 13(1)(घ), 13(1)(ङ) एवं 13(2) – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धाराएं 195(1)(ख)(i), 195(1)(ख)(ii) एवं 340।	171	218
Section 13(1)(e) – Preliminary Enquiry – Permissibility – In cases relating to acquiring disproportionate assets to known sources of income, before registering F.I.R., enquiry is not only permissible but also desirable to ascertain the commission of cognizable offence.		
धारा 13 (1) (ङ) – प्रारंभिक जाँच – अनुज्ञेयता – आय के ज्ञात स्रोतों से अनुपातहीन संपत्ति अर्जन के प्रकरणों में प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किये जाने के पूर्व संज्ञेय अपराध का किया जाना सुनिश्चित करने के लिये प्राथमिक जांच न केवल अनुज्ञेय बल्कि आवश्यक भी होती है।	211	268
Section 19 – (i) Binding Precedent – Effect of <i>obiter dicta</i> of the Supreme Court. (ii) Permissibility of – Examination of sanctioning authority through video conferencing.		
धारा 19 – (i) बाध्यकारी पूर्व न्याय – उच्चतम न्यायालय के इतरोक्ति के रूप में दिए गए अभिनिश्चय का प्रभाव।		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(ii) मंजूरी प्राधिकारी के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षण की अनुज्ञेयता।	266	324
PREVENTION OF CORRUPTION (AMENDMENT) ACT, 2018 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018		
Sections 7 and 13 – Operation – Purely prospective and not retrospective.		
धाराएं 7 एवं 13 – प्रवर्तन – शुद्ध रूप से भविष्यलक्षी हैं न कि भूतलक्षी।	52	56
PREVENTION OF FOOD ADULTERATION ACT, 1954 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954		
Sections 2, 7 and 16 – Repeal of 1954 Act by 2006 Act – Effect of – Whether prosecution under 1954 Act could continue even after repeal thereof by 2006 Act? Held, Yes – In view of Section 97 of 2006 Act r/w/s 6 of General Clauses Act, 1897, prosecution and punishment under 1954 Act for pending cases are protected.		
धाराएं 2, 7 एवं 16 – 2006 के अधिनियम द्वारा 1954 के अधिनियम का निरसन – प्रभाव – क्या 1954 के अधिनियम के अधीन अभियोजन 2006 के अधिनियम द्वारा उसके निरसन के बाद भी जारी रह सकता है? अभिनिर्धारित, हां – 2006 के अधिनियम की धारा 97 व साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के द्वारा लंबित मामलों के लिए 1954 के अधिनियम के अधीन अभियोजन और दण्ड संरक्षित है।	107*	127
Section 16 – Compliance of Rule 32(e) – When product has barcode there is sufficient compliance.		
धारा 16 – नियम 32(ई) का अनुपालन – जहां वस्तु में बारकोड है, वहां पर्याप्त अनुपालन है।	53*	56
PREVENTION OF FOOD ADULTERATION RULES, 1955 खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955		
Rule 32(e) – See Section 16 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954.		
नियम 32(ई) – देखें खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 16।	53*	56
PREVENTION OF MONEY LAUNDERING ACT, 2002 धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002		
Sections 2(v), 2(w), 17 and 17(1A) – Freezing of Bank account – Legality – When the power is available under the special enactment, the question of resorting to the power under the general law does not arise.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 2(फ), 2(ब), 17 एवं 17(1क) – बैंक खाते पर रोक – वैधता – जहाँ विशेष अधिनियम के तहत शक्ति उपलब्ध हो तब सामान्य अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता।	212	269
PROBATION OF OFFENDERS ACT, 1958 अपराधी परीक्षा अधिनियम, 1958		
Sections 3, 4 and 6 – Benefit of probation – Provisions of the Act of 1958 – Applicability of – When minimum mandatory sentence is provided in the statute.		
धाराएं 3, 4 एवं 6 – परीक्षा का लाभ – 1958 के अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता – जब संविधि में न्यूनतम अनिवार्य दण्ड का प्रावधान हो।	154*	193
PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012		
Sections 4 and 42 – See Sections 55, 366A and 376 of the Indian Penal Code, 1860.		
धाराएं 4 एवं 42 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 55, 366क एवं 376।	306	380
Section 6 – See Sections 300 Fourthly, 376 (2) and 376-A of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 6 – देखें भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धाराएं 300 चतुर्थ, 376 (2) एवं 376-क।	139	172
Section 6 – Sexual offences – Age of prosecutrix – Assessment of – Held, in absence of any positive evidence with regard to the age of prosecutrix on the date of occurrence, benefit of doubt has to be given to accused.		
धारा 6 – लैंगिक अपराध – अभियोक्त्री की आयु – आंकलन – अभिनिर्धारित, घटना दिनांक को अभियोक्त्री की आयु के संबंध में किसी भी सकारात्मक साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए।	71 (i)	75
Sections 7 and 8 – Sexual offences – Sole testimony – Conviction can be based on the sole testimony of the victim, if it found to be reliable and trustworthy.		
धाराएं 7 एवं 8 – लैंगिक अपराध – एकमात्र साक्ष्य – केवल पीड़ित की एकमात्र साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है यदि वह दृढ़ एवं विश्वसनीय पाई जावे।	108	128
Section 42-A – See Section 20 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.		
धारा 42-क – देखें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 20।	109	129

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES RULES, 2012		
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012		
Rule 7(2) – See Sections 7 and 8 of the Protection of Children From Sexual Offences Act, 2012.		
नियम 7(2) – देखें लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धाराएं 7 एवं 8।	108	128
PROTECTION OF WOMEN FROM DOMESTIC VIOLENCE ACT, 2005		
घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005		
Sections 19 and 36 – (i) Right of a woman to secure a residence order in respect of a shared household cannot be defeated by simple expedient of securing an order of eviction by adopting summary procedure under Senior Citizens Act, 2007.		
(ii) Allowing Senior Citizens Act, 2007 to have an overriding force and effect in all situations, irrespective of competing entitlements of a woman to a right in a shared household within the meaning of Domestic Violence Act, 2005, would defeat object and purpose which Parliament sought to achieve in enacting latter legislation.		
(iii) In the event of a conflict between special Acts, dominant purpose of both statutes would have to be analyzed to ascertain which one should prevail over the other.		
धाराएं 19 एवं 36 – (i) साझा गृहस्थी के सम्बंध में एक महिला के निवास आदेश को सुरक्षित करने के अधिकार को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 के अधीन संक्षिप्त प्रक्रिया अपनाकर निष्कासन का आदेश प्राप्त करने के साधारण उपाय द्वारा परास्त नहीं किया जा सकता है।		
(ii) समस्त परिस्थितियों में घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत साझा गृहस्थी में महिला का अधिकार होते हुए वरिष्ठ नागरिक अधिनियम, 2007 को अधिरोही बल और प्रभाव दिया जाना उस उद्देश्य तथा प्रयोजन को परास्त करेगा जो संसद द्वारा पश्चातवर्ती विधान को बनाने में तलाशा गया है।		
(iii) विशेष अधिनियमों के मध्य मत भिन्नता की स्थिति में कौन किस पर अधिरोही प्रभाव रखेगा यह पता लगाने के लिए दोनों अधिनियमों के प्रभावी प्रयोजन का विश्लेषण किया जाना चाहिये।		
	155	194
REGISTRATION ACT, 1908		
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908		
Section 17 – See Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956.		
धारा 17 – देखें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6।	31*	30
Sections 17 and 49 – Unregistered sale agreement – Admissibility in evidence – Suit is filed for recovery of money and not for specific performance of the contract – Agreement could be considered in evidence for collateral purpose.		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
धाराएं 17 एवं 49 – अपंजीकृत विक्रय अनुबंध – साक्ष्य में ग्राह्यता – वाद धन के वसूली हेतु प्रस्तुत किया गया था ना कि संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु – अनुबंध सम्पार्श्विक प्रयोजन के लिए साक्ष्य में विचार में लिया जा सकता है।	156	199
Sections 17(1) and 17(2) – Compromise decree; registration of.		
धाराएं 17(1) एवं 17(2) – समझौता आज्ञापति का रजिस्ट्रीकरण।	7*	7
Sections 17(1) and 17 (2)(vi) – Consent/compromise decree – Consent decree related to the subject-matter of the suit is not required to be registered u/s 17(2)(vi) and is covered by exclusionary clause.		
धाराएं 17(1) एवं 17 (2)(vi) – सहमति/समझौता आज्ञापति – वाद की विषयवस्तु से संबंधित समझौता आज्ञापति का पंजीयन धारा 17(2)(vi) के अन्तर्गत आवश्यक नहीं है और अपवर्जनात्मक खण्ड द्वारा आच्छादित है।	157*	200

RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES ACT, 2016

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016

Sections 2(r), 2(s) and 20 – (i) Scheme of disability under 2016 Act – Explained.

(ii) Right of persons with disabilities – Principle of reasonable accommodation – Discussed.

(iii) Grant of facility of scribe in competitive examination.

धाराएं 2(द), 2(घ) एवं 20 – (i) 2016 के अधिनियम के अधीन विकलांगता की योजना – स्पष्ट की गई।

(ii) दिव्यांगजनों के अधिकार – युक्तियुक्त आवासन का सिद्धांत – चर्चा की गई।

(iii) प्रतियोगी परीक्षा में लेखक की सुविधा प्रदान किया जाना।

267 325

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES (PREVENTION OF ATROCITIES) ACT, 1989

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989

Section 3(1)(r) – (i) Offence of intentional insult or intimidation with intent to humiliate a member of SC/ST in any place within public view – Ingredients of – Explained.

(ii) “Any place within public view” – Meaning of – Explained – Held, a private building or lawn where public is present or have access may also be a place within public view.

धारा 3(1)(द) – (i) सार्वजनिक दृश्यता के किसी भी स्थान पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य को साशय अपमानित अथवा अभित्रस्त करने का अपराध – आवश्यक घटक – समझाए गए।

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
(ii) "सार्वजनिक दृश्य का कोई स्थान" – अर्थ – समझाया गया – अभिनिर्धारित, एक निजी भवन या लॉन जहां लोग उपस्थित हों अथवा उनकी पहुंच हो, सार्वजनिक दृश्यता का स्थान हो सकता है।	158	200
Sections 3(1)(r), 3(1)(s), 3(2)(va), 18 and 18-A – (i) Offence under Act, 1989 – Nature of – Whether the offences of IPC which are bailable in nature and allegation thereof if made u/s 3(2)(va) of the Act of 1989 will also be considered as bailable?		
(ii) Anticipatory bail under the Act of 1989 – When the offences are bailable in nature.		
(iii) Whether direction regarding arrest issued by the Supreme court in <i>Arnesh Kumar v. State of Bihar and anr., (2014) 8 SCC 273</i> are applicable to the offences committed under the Act of 1989?		
धाराएं 3(1)(द), 3(1)(घ), 3(1)(अ.क), 18 एवं 18-क – (i) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अपराध की प्रकृति – क्या भा.द.सं. के अपराध जो कि जमानतीय प्रकृति के हैं और यदि अधिनियम 1989 की धारा 3(2)(अ.क) के अंतर्गत उनके आक्षेप लगाए गए हों तब क्या उन्हें भी जमानतीय के रूप में विचार में लिया जाएगा?		
(ii) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अग्रिम जमानत – जब अपराध जमानतीय प्रकृति हैं।		
(iii) क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में <i>अर्नेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273</i> के प्रकरण में जारी दिशा-निर्देश अधिनियम 1989 के संबंध में प्रयोज्य है?	268	328
Section 3(2)(v) – See Sections 3 and 118 of the Evidence Act, 1872 and Section 376 of the Indian Penal Code, 1860.		
धारा 3(2)(अ) – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 3 एवं 118 और भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 376।	181	229
Sections 18 and 18-A – A pre-arrest bail may be directed by the Court under its inherent power in cases where no <i>prima facie</i> material exists for arresting a person under the Act.		
धाराएं 18 एवं 18-क – इस अधिनियम के अंतर्गत जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु प्रथम दृष्टया तथ्य प्रतीत नहीं होते हैं वहां न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों के अंतर्गत गिरफ्तारी पूर्व जमानत निर्देशित की जा सकती है।	324	406
Section 20 – (i) Non-obstante clauses – Interpretation – Where two enactments contain conflicting non-obstante clauses, provisions of latter enactment will prevail over the former.		
(ii) Offences involving SC and ST (Prevention of Atrocities) Act, 1989 as well as POCSO Act, 2012 – Special Court constituted under which Act is competent to try such offences? Held, Special Court constituted under POCSO Act, 2012 shall conduct trial of such offences.		
धारा 20 – (i) सर्वोपरि खण्ड – निर्वचन – जहां दो अधिनियमों में परस्पर विरोधी सर्वोपरि खण्ड हों, वहां पश्चातवर्ती अधिनियम के प्रावधान पूर्ववर्ती अधिनियम पर प्रभावी होंगे।		

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
------------	-------------	-------------

(ii) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन अपराध – किस अधिनियम के अधीन गठित विशेष न्यायालय ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए सक्षम है? अभिनिर्धारित, ऐसे अपराधों का विचारण लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अधीन गठित विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा।	109	129
---	-----	-----

SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

Sections 14 and 31 – Agricultural land – Applicability of the Act – Provisions of Act of 2002 are not applicable on agricultural land.

धाराएं 14 एवं 31 – कृषि भूमि – अधिनियम का लागू होना – अधिनियम, 2002 के प्रावधान कृषि भूमि पर प्रभावशील नहीं हैं।

159 202

Section 18 – Debt – Status of guarantor or mortgagor who has mortgaged his property to secure repayment of loan.

धारा 18 – ऋण – प्रत्याभूतिदाता या बंधककर्ता, जिसने ऋण के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने हेतु अपनी संपत्ति को गिरवी रखा है, की प्रास्थिति।

54 57

SERVICE LAW:

सेवा विधि:

– Adverse remarks against subordinate judicial officer.

– अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध प्रतिकूल टिप्पणी।

269 330

– (i) Departmental enquiry – Whether enquiry officer can put his own questions to the witnesses or cross-examine them?

(ii) Departmental enquiry and criminal proceedings – Whether delinquent employee should be exonerated – Where after investigation, investigating agency do not find adequate material to launch criminal prosecution?

– (i) विभागीय जाँच – क्या जाँच अधिकारी साक्षियों से स्वयं प्रश्न पूछ सकता है अथवा उनका प्रतिपरीक्षण कर सकता है?

– (ii) विभागीय जाँच और आपराधिक कार्यवाही – क्या जहाँ अन्वेषण उपरांत अनुसंधान एजेंसी को आपराधिक प्रकरण चलाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं मिलती हो, वहाँ अपचारी कर्मचारी को उन्मुक्त कर दिया जाना चाहिए?

55 57

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
– See Rules 2(f) and 10 of the M.P. Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966.		
– देखें म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 2(च) एवं 10।		
	270	331
SPECIFIC RELIEF ACT, 1963		
विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963		
Section 10 – Specific performance of contract – Nature of relief.		
धारा 10 – संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन – अनुतोष की प्रकृति।	325	407
Sections 10, 31 and 34 – See Sections 8, 11 and 16 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and Sections 41, 42, 43, 65, 74 and 76 of the Evidence Act, 1872.		
धाराएं 10, 31 एवं 34 – देखें माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धाराएं 8, 11 एवं 16 तथा साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 41, 42, 43, 65, 74 एवं 76।		
	271	332
Section 16 (c) – Specific Performance – Delay – Delay cannot be a sole ground for dismissing a suit for specific performance.		
धारा 16 (ग) – विनिर्दिष्ट अनुपालन – विलंब – विनिर्दिष्ट अनुपालन का कोई दावा विलंब के एकमात्र आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता।		
	213	270
Sections 20 – (i) Agreement to sale – As per agreement vendor need to obtain ceiling permission from competent authority which was not obtained – Vendee entitled to decree of specific performance.		
(ii) Delay in court proceedings – Effect – Once a suit for specific performance has been filed, any delay as a result of the Court process cannot be put against the plaintiff as a matter of law in decreeing specific performance.		
धाराएं 20 – (i) विक्रय के लिए अनुबंध – अनुबंध के अनुसार विक्रेता के लिए आवश्यक था कि वह सक्षम प्राधिकारी से अधिकतम सीमा संबंधी अनुमति प्राप्त करे, जो प्राप्त नहीं की गई – क्रेता विनिर्दिष्ट अनुपालन की आज्ञाप्ति प्राप्त करने का अधिकारी है।		
(ii) न्याय प्रक्रिया में विलंब – प्रभाव – एक बार जब विनिर्दिष्ट अनुपालन का वाद दायर कर दिया गया हो, तो न्यायालय प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप विलंब, विनिर्दिष्ट पालन की आज्ञाप्ति पारित करने में विधि के विषय के रूप में वादी के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।		
	160	203
Sections 20, 16(c) and 22(1)(b) – Proof of readiness and willingness – Necessary even in the absence of the defence.		
धाराएं 20, 16(ग) एवं 22(1)(ख) – इच्छुक एवं तत्पर होना प्रमाणित किया जाना – प्रतिरक्षा प्रस्तुत न किये जाने पर भी आवश्यक है।		
	56	59

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
Sections 20 and 21 – Specific performance of agreement to sale – Property acquired by State during pendency of suit – Effect of decree in such suit.		
धाराएं 20 एवं 21 – विक्रय अनुबंध का विनिर्दिष्ट अनुपालन – वाद लंबन के दौरान राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहित की गई – ऐसे वाद में आज्ञा का प्रभाव।	272	336
Section 34 – See Section 9, Order 7 Rule 1 and Order 22 Rules 4 and 11 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 34 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 9, आदेश 7 नियम 1 एवं आदेश 22 नियम 4 एवं 11।	223	281
Section 34 – Will – Declaration – Relief of declaration based on Will should not be granted in favour of such plaintiff who kept mum for 15 years about Will.		
धारा 34 – वसीयत – घोषणा – किसी वसीयत के संबंध में 15 वर्षों तक चुप रहने वाले वादी के पक्ष में ऐसी वसीयत के आधार पर घोषणा का अनुतोष प्रदान नहीं करना चाहिए।	214*	271
Sections 34 and 38 – Suit for injunction simpliciter – No declaration of title sought for – Maintainability of – Where defendant admitted peaceful possession of plaintiff, previous suit of defendant for declaration of title and recovery of possession failed, plaintiff not raising any issues as to his title, suit for injunction simpliciter is maintainable.		
धाराएं 34 एवं 38 – मात्र निषेधाज्ञा का वाद – स्वत्व घोषणा की वांछा नहीं की गई – वाद की पोषणीयता – जहां प्रतिवादी ने वादी के शांतिपूर्ण आधिपत्य को स्वीकार किया, स्वत्व घोषणा और आधिपत्य वापसी का प्रतिवादी का पूर्व वाद विफल रहा, वादी ने अपने स्वत्व का कोई प्रश्न नहीं उठाया, मात्र निषेधाज्ञा का वाद प्रचलनशील है।	215	271
Sections 34 and 38 – Suit for injunction simpliciter; maintainability of.		
धाराएं 34 एवं 38 – मात्र व्यादेश के वाद की पोषणीयता।	326	407
Section 38 – Permanent injunction to restrain defendants from interfering in possession – Defendants did not dispute the title over suit property – Possessory title of plaintiffs established – Held, plaintiffs entitled to permanent injunction.		
धारा 38 – प्रतिवादीगण को कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए शाश्वत व्यादेश – प्रतिवादीगण ने वादोक्त संपत्ति के स्वत्व पर विवाद नहीं किया – वादीगण का आधिपत्य के आधार पर स्वत्व स्थापित – अवधारित, वादीगण शाश्वत व्यादेश के अधिकारी हैं।	133 (i)	163
Section 38 – Relevance of possession in a bare suit for injunction.		
धारा 38 – मात्र व्यादेश के वाद में कब्जे की सुसंगतता।	57*	60
Section 38 – See Order 7 Rule 11 of the Civil Procedure Code, 1908.		
धारा 38 – देखें सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का आदेश 7 नियम 11।	6*	7

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
STAMP ACT, 1899		
स्टाम्प अधिनियम, 1899		
Sections 33, 35 and 38 – Insufficiently stamped document; impounding of – Whether such document be returned to the party who has chosen not to place reliance upon the document in evidence?		
धाराएं 33, 35 एवं 38 – अपर्याप्त रूप से स्टाम्पित दस्तावेज का परिबद्ध किया जाना – क्या ऐसा दस्तावेज उस पक्षकार को लौटाया जा सकता है जिसने साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने का विकल्प चुना हो?	273*	337
Section 35 – See Sections 8 and 11 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.		
धारा 35 – देखें माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धाराएं 8 एवं 11।	217*	274
Section 35 – See Sections 17 and 49 of the Registration Act, 1908.		
धारा 35 – देखें परिसीमा अधिनियम, 1908 की धाराएं 17 एवं 49।	156	199
Section 35, Schedule 1-A and Article 5(3)(i) – (i) Nature of document.		
(ii) Registered document – Determination of stamp duty – Whether Court can look into insufficiency of stamp duty?		
धारा 35, अनुसूची 1-ए एवं अनुच्छेद 5(3)(i) – (i) दस्तावेज का स्वरूप।		
(ii) पंजीकृत विलेख – स्टाम्प शुल्क का निर्धारण – क्या न्यायालय स्टाम्प शुल्क की अपर्याप्तता पर विचार कर सकती है?	274	338
Sections 49 and 50 – Refund of stamp duty – When permissible?		
धाराएं 49 एवं 50 – स्टाम्प शुल्क की वापसी – कब अनुज्ञेय है?	275*	339
SUCCESSION ACT, 1925		
उत्तराधिकार अधिनियम, 1925		
Sections 59, 63(b) and 68 – Will – Relevant circumstance – Unexplained, unusual and abnormal features about the document – Inferences.		
धाराएं 59, 63(ख) एवं 68 – वसीयत – सुसंगत परिस्थिति – दस्तावेज से संबंधित अस्पष्टीकृत, अस्वाभाविक एवं असामान्य लक्षण – अनुमान।	58 (i)	60
Section 63 – See Sections 65 and 68 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 63 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 65 एवं 68।	27	26
Section 281 – See Sections 45 and 61 of the Evidence Act, 1872.		
धारा 281 – देखें साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धाराएं 45 एवं 61।	301	371
JOTI JOURNAL - 2021		XCV

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
THE RIGHT TO FAIR COMPENSATION AND TRANSPARENCY IN LAND ACQUISITION, REHABILITATION AND RESETTLEMENT ACT, 2013		
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013		
Section 3 – See Sections 20 and 21 of the Specific Relief Act, 1963 and Section 3 of the Land Acquisition Act, 1894.		
धारा 3 – देखें विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धाराएं 20 एवं 21 तथा भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 3।	272	336
TRANSFER OF PROPERTY ACT, 1882		
संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882		
Sections 58 and 60 – (i) Permissive possession of the suit property cannot be termed as “adverse possession”.		
(ii) Title cannot be acquired on the basis of unregistered sale deed.		
(iii) Right to redeem the suit property.		
धाराएं 58 एवं 60 – (i) वादग्रस्त संपत्ति पर अनुमत आधिपत्य “प्रतिकूल-आधिपत्य” नहीं हो सकता है।		
(ii) अपजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर स्वत्व अर्जित नहीं किया जा सकता है।		
(iii) संपत्ति के मोचन कराने का अधिकार।	59	62
Sections 58(c) and 63A – Mortgage by conditional sale – Claim for redemption.		
धाराएं 58(ग) एवं 63क – सशर्त विक्रय द्वारा बंधक – मोचन के लिए दावा।	327	409
Section 105 – See Section 12 of the Accommodation Control Act, 1961 (M.P.).		
धारा 105 – देखें स्थान नियंत्रण अधिनियम, 1961 (म.प्र.) की धारा 12।	216	273
Section 107 – See Sections 8, 11 and 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.		
धारा 107 – माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धाराएं 8, 11 एवं 34।	112	132
Sections 114 and 114-A – See Sections 8, 11, 17 and 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.		
धाराएं 114 एवं 114-क – देखें माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धाराएं 8, 11, 17 एवं 34।	111*	131

ACT/ TOPIC	NOTE NO.	PAGE NO.
------------	----------	----------

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT, 1967

विधि विरुद्ध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967

Section 43-D – See Section 167 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 43-घ – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167। 74 83

Section 43-D – See Section 439 of the Criminal Procedure Code, 1973.

धारा 43-घ – देखें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439। 179 227

WILD LIFE (PROTECTION) ACT, 1972

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972

Sections 9 and 51 – Offence of capture or seizure of wild life – When made out? Held, offence is made out only when it is committed in respect of wild life specified in Schedules I to IV of the Act.

धाराएं 9 एवं 51 – वन्य प्राणी को पकड़ने या जप्त करने का अपराध – कब गठित होगा? अवधारित, अपराध तभी गठित होगा जब यह अधिनियम की अनुसूची I से IV में निर्दिष्ट वन्य प्राणी के संबंध में कारित किया जाता है। 161* 204

WORDS AND PHRASES:

शब्द एवं पद:

– See Sections 2(xxix), 41(2), 42(1), 43, 44, 48, 49, 53 and 67 of the N.D.P.S. Act, 1985.

– देखें स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धाराएं 2(xxix), 41(2), 42(1), 43, 44, 48, 49, 53 एवं 67। 101 117

PART – II A (GUIDELINES)

- | | |
|--|-----|
| 1. Guidelines regarding grant of bail in offences of sexual violence. | 130 |
| 2. Guidelines to be followed while dealing with application u/s 156(3) CrPC. | 205 |
| 3. Guidelines for Criminal Courts while considering bail applications at the stage of filing of chargesheet. | 340 |

PART – III (CIRCULARS/NOTIFICATIONS)

- | | |
|---|---|
| 1. Notification dated 06.04.1992 of the Excise Department, Government of Madhya Pradesh empowering officers of the Excise department under various provisions of Madhya Pradesh Excise Act, 1915. | 4 |
| 2. Notification dated 29.06.2019 of the Commercial Tax Department, Govt. of Madhya Pradesh regarding reduction in Stamp Duty chargeable on the instruments of partition executed in favour of family members. | 1 |

3.	Notification dated 29.06.2019 of the Commercial Tax Department, Govt. of Madhya Pradesh regarding reduction in Stamp Duty chargeable on the instruments of gift executed in favour of family members.	1
4.	Notification dated 29.06.2019 of the Commercial Tax Department, Govt. of Madhya Pradesh regarding reduction in Stamp Duty chargeable on the instruments of sale executed under Article 25 & transfer of lease under Article 62 of Schedule 1-A.	2
5.	Notification dated 29.06.2019 of the Commercial Tax Department, Govt. of Madhya Pradesh regarding amendment in stamp duty on the instruments executed by a person to include the name of his wife and/or his/her daughter(s) as co-owner.	2
6.	Notification dated 07.09.2021 of the Law and Legislative Affairs Department, Government of Madhya Pradesh regarding Amendment in Madhya Pradesh Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994.	3
7.	Notification dated 21.10.2021 of the Law and Legislative Affairs Department, Government of Madhya Pradesh Amending Madhya Pradesh Family Court Rules, 2002.	5
8.	Notification dated 30.11.2021 of the Law and Legislative Affairs Department, Government of Madhya Pradesh Amending Madhya Pradesh Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994.	6

PART – IV

(IMPORTANT CENTRAL/STATE ACTS & AMENDMENTS)

1.	Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.	1
2.	Medical Termination of Pregnancy (Amdnment) Rules, 2021	57
3.	The Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2021.	47
4.	The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Act, 2021.	49
5.	The Madhya Pradesh Civil Court (Amendment) Act, 2021.	29
6.	The Madhya Pradesh Excise (Amendment) Act, 2021.	55
7.	The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021.	27
8.	Transgender Persons (Protection of Rights) Rules, 2020.	31

NOMINAL INDEX OF CASES INCLUDED IN PART II

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
A. Subramanian and anr. v. R. Panerselvam	(2021) 3 SCC 675 (Three Judge Bench)	215	271
A.R. Madana Gopal Etc. v. M/s. Ramnath Publications Pvt. Ltd. and anr.	AIR 2021 SC 1886	213	270
Aarti Sahu (Smt.) v. Ankit Sahu	ILR (2020) MP 2171	61	64
Abdul Khuddus v. H.M. Chandiramani (Dead) By L.Rs. and ors.	AIR 2021 SC 4321	279	347
Abdul Razzak v. State of M.P.	2020 CriLJ 4318	36*	38
Abhilasha v. Parkash and ors.	AIR 2020 SC 4355 (Three Judge Bench)	13*	11
Ajay Nogare v. State of Madhya Pradesh	2021 (3) Crimes 137 (MP)	287	357
Ajay Pratap Verma v. The State of Madhya Pradesh	2021 (1) ANJ (MP) 274	180	228
AKC and SIG Joint Venture Firm and ors. v. Western Coalfields Ltd. and ors.	2021 (3) MPLJ 185	224	286
Alka Khandu Avhad v. Amar Syamprasad Mishra and anr.	2021 (1) ANJ (SC) 232	106	127
Aman Lohia v. Kiran Lohia	AIR 2021 SC 1748	187	239
Aman Preet Singh v. C.B.I.	AIR 2021 SC 4154	286	354
Amar Nath Chaubey v. Union of India and ors.	2021 CriLJ 709 (Three Judge Bench)	125	154
Amar Singh v. Vimla	2021 (3) Crimes 120 (MP)	288	357
Amish Devgan v. Union of India and ors.	(2021) 1 SCC 1	137	168
Amyra Dwivedi (Minor) through Her Mother, Pooja Sharma Dwivedi v. Abhinav Dwivedi and anr.	(2021) 4 SCC 698	246	307
Anil Bhardwaj v. Hon'ble High Court of Madhya Pradesh and ors.	AIR 2020 SC 4971	120	144
Anil Patel and ors. v. State of M.P. and ors.	ILR (2020) MP 746	268	328
Anil Patel v. State of M.P.	ILR (2020) MP 482	12	10
Aniruddh Khehuriya v. State of M.P.	ILR (2020) MP 2880	175	223
Anita Sharma and ors. v. New India Assurance Company Ltd. and anr.	(2021) 1 SCC 171	130	159
Anjali Brahmawar Chauhan v. Navin Chauhan	AIR 2021 SC 2880	245	307
Anversinh alias Kiransinh Fatesinh Zala v. State of Gujarat	2021 CriLJ 917 (Three Judge Bench)	142	179
Anwar Ali and anr. v. State of Himachal Pradesh	(2020) 10 SCC 166 (Three Judge Bench)	70	74

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Arcelor Mittal Nippon Steel India Ltd. v. Essar Bulk Terminal Ltd.	AIR 2021 SC 4350	276	343
Arif Khan v. State of M.P. and anr.	ILR (2020) MP 1460	95	111
Arif Masood v. State of M.P.	2021 CriLJ 504 (DB)	124	152
Arun v. State of M.P.	ILR (2020) MP 1921 (DB)	88*	100
Aruna Oswal v. Pankaj Oswal and ors.	(2020) 8 SCC 79	190	243
Asfaq Khan v. State of M.P.	ILR (2021) MP 343	231	294
Ashish Wadhwa v. Smt. Nidhi Wadhwa	ILR (2020) MP SN 13	68*	69
Ashok Ahirwar v. State of M.P. and anr.	2021 CriLJ 2945 (M.P.)	238	300
Ashok Kumar v. Babulal Sahu and ors.	ILR (2020) MP 941	1	1
Ashok s/o Nemichand Patni v. Gyan w/o Late Dr. Indra Bhargav	2021 (4) MPLJ 176	282	349
Asset Reconstruction Company (India) Ltd. v. Bishal Jaiswal and anr.	(2021) 6 SCC 366 (Three Judge Bench)	319	399
B. Santoshamma v. D. Sarala	2020 SCC OnLine SC 756	325	407
Babulala Vardharji Gurjar v. Veer Gurjar Aluminium Industries Pvt. Ltd. and anr.	AIR 2020 SC 4668	38	39
Bajranga (dead) by L.Rs. v. State of M.P. and ors.	2021 (2) MPLJ 491 (Three Judge Bench)	219*	276
Balasore Alloys Limited v. Medima LLC	AIR 2020 SC 5127 (Three Judge Bench)	113	135
Balveer Singh Bundela v. State of M.P.	ILR (2020) MP 1216	24*	24
Bangalore Club v. Commissioner of Wealth Tax and anr.	2021 (2) MPLJ 6 (Three Judge Bench)	145*	183
Batsiya and ors. v. Ramgovind and ors.	AIR 2021 MP 153	281	348
Beyond Malls LLP v. Lifestyle International Pvt. Ltd. and anr.	ILR (2020) MP 2650 (DB)	166	214
Bhagwat Sharan (Dead) thr. L.Rs. v. Purushottam and ors.	ILR (2020) MP 1795 (SC)	62	65
Bhagwati Stone Crusher (M/s.) v. Sheikh Nizam Mansoori	ILR (2020) MP SN 14	80*	93
Bharat Sanchar Nigam Ltd. and anr. v. M/s. Nortel Networks India Pvt. Ltd.	AIR 2021 SC 2849	218	275
Bharti Arya v. Rakesh Arya	AIR 2021 MP 61	134	165
Bheem alias Prakash v. State of Madhya Pradesh	2021 (1) ANJ (MP) 300 (DB)	183	232
Bhima Razu Prasad v. State Rep. by Deputy Superintendent of Police, CBI/SPE/ ACU-II	AIR 2021 SC 2090	171	218

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Bhimrao Ramchandra Khalate (Deceased) through L.Rs. v. Nana Dinkar Yadav (Tanpura) and anr.	AIR 2021 SC 3939	327	409
Bikramjit Singh v. State of Punjab	(2020) 10 SCC 616 (Three Judge Bench)	74	83
Biraji alias Brijraji and anr. v. Surya Pratap and ors.	(2020) 10 SCC 729 (Three Judge Bench)	65*	67
Boota Singh and ors. v. State of Haryana	2021 (1) ANJ (SC) 387	206	263
Branch Manager, National Insurance Co. Ltd. v. Laxmi Bai and ors.	2021 ACJ 1398	263	322
Bundela Singh Lodhi v. State of M.P.	2021 (2) MPLJ 323	247	308
Chaman Lal v. State of Himachal Pradesh	2021 CriLJ 646 (Three Judge Bench)	143	180
Chanchal Tiwari and ors. v. Union of India and ors.	AIR 2020 MP 182	110	131
Chandrakanta Tiwari v. New India Assurance Co. Ltd. and anr.	2020 ACJ 2552 (Three Judge Bench)	45	46
Charansingh v. State of Maharashtra and ors.	AIR 2021 SC 1620	211	268
Chintels India Ltd. v. Bhayana Builders Pvt. Ltd.	AIR 2021 SC 1014 (Three Judge Bench)	114	136
Chunthuram v. State of Chhattisgarh	(2020) 10 SCC 733 (Three Judge Bench)	91	104
Committee of Creditors of Amtek Auto Ltd. through Corporation Bank v. Dinkar T. Venkatasubramanian and ors.	(2021) 4 SCC 457	220	276
Compack Enterprises India Pvt. Ltd. v. Beant Singh	(2021) 3 SCC 702	165	213
Dalbir Singh v. State (NCT of Delhi) and anr.	(2020) 8 SCC 125	174*	223
Deccan Paper Mills Company Ltd. v. Regency Mahavir Properties and ors.	(2021) 4 SCC 786 (Three Judge Bench)	271	332
Deepak Prajapati v. State of Madhya Pradesh	2021 CriLJ 4229	306	380
Devendra Gupta v. Manoj Kumar Yogi and anr.	2021 ACJ 2046	261	321
Devilal and ors. v. State of Madhya Pradesh	AIR 2021 SC 2479 (Three Judge Bench)	185	236
Devkaran v. State of M.P.	2020 CriLJ 3264 (DB)	92	106
Dhanpat v. Sheo Ram (Deceased) through L.Rs. and ors.	AIR 2020 SC 2666	27	26
Dharmesh @ Dharmendra @ Dharmo Jagdishbhai @ Jagabhai Bhagubhai Ratadia and anr. v. The State of Gujarat	2021 (3) Crimes 171 (SC)	296	366

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Dilip Singh v. State of M.P. and anr.	(2021) 2 SCC 779	128*	156
Dipakbhai Jagdishchandra Patel v. State of Gujarat and anr.	2020 (3) Crimes 250 (SC)	73	82
Dipika Shukla v. Ashish Shukla	2021 (4) MPLJ 195 (DB)	303	374
Dr. Naresh Kumar Mangla v. Smt. Anita Agarwal and ors.	2021 (1) Crimes 105 (SC) (Three Judge Bench)	85*	97
Dr. Rajdeep Kapoor v. Mohd. Sarwar Khan and anr.	2021 (2) MPLJ 452	256*	317
Fakhruddin Ismail Mansori and ors. v. State of M.P.	2021 CriLJ 4319 (DB)	307	383
Ferrodous Estates (Pvt.) Ltd. v. P. Gopirathnam (Dead) and ors.	AIR 2020 SC 5041	160	203
Fide Ali v. Zaffar Hussain	AIR 2021 MP 8	156	199
G.R. Ananda Babu v. State of Tamil Nadu and anr.	2021 (1) Crimes 135 (SC) (Three Judge Bench)	84*	96
Ganesh v. State Represented by its Inspector of Police	AIR 2020 SC 5019 (Three Judge Bench)	108	128
Gauri Shankar v. State of Punjab	(2021) 3 SCC 380	135	165
Girraj v. Kiranpal and anr.	(2021) 6 SCC 205	240	302
Godhan Singh and anr. v. Sanjay Kumar Singhai and ors.	ILR (2020) MP SN 4	10*	9
Gokul v. State of M.P.	2020 CriLJ 2713	29*	30
Gurdev Singh v. State of Punjab	2021 (1) ANJ (SC) 325	152	190
Gulshan v. State of Uttar Pradesh and ors.	AIR 2021 SC 4318	292*	361
Gumansinh alias Lalo alias Raju Bhikhabhai Chauhan and anr. v. State of Gujarat	AIR 2021 SC 4174	312	389
Gurmeet Singh v. State of Punjab	AIR 2021 SC 2616	251	313
Guru Dutta Pathak v. State of Uttar Pradesh	AIR 2021 SC 2257	196	251
Gurcharan Singh and ors. v. Angrez Kaur and anr.	(2020) 10 SCC 250	7*	7
H.S. Goutham v. Rama Murthy and anr.	(2021) 5 SCC 241 (Three Judge Bench)	225	287
Hari Krishna Mandir Trust v. State of Maharashtra and ors.	(2020) 9 SCC 356	8	8
Hari Om alias Hero v. State of Uttar Pradesh	2021 CriLJ 1062 (Three Judge Bench)	254	314
HDFC Ergo General Insurance Co. Ltd. v. Mukesh Kumar and ors.	AIR 2021 SC 4010	321	402

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Hemraj and ors. v. Kallu Khan	2021 (4) MPLJ 158	283	351
High Court of Judicature at Madras Represented by its Registrar General v. M.C. Subramaniam and ors.	(2021) 3 SCC 560	167*	215
Hindustan Unilever Limited v. State of Madhya Pradesh	(2020) 10 SCC 751 (Three Judge Bench)	107*	127
Hirdesh Sahu v. State of Madhya Pradesh	2021 (3) Crimes 135 (MP)	290	359
Hitesh Verma v. State of Uttarakhand and anr.	(2020) 10 SCC 710 (Three Judge Bench)	158	200
Hyat Mohd. Shoukat v. State of M.P.	ILR (2020) MP 2174	77	89
IFFCO Tokio General Insurance Company Ltd. v. Pearl Beverages Ltd.	AIR 2021 SC 2277 (Three Judge Bench)	202	258
In Re : Expeditious Trial of Cases Under Section 138 of N.I. Act 1881	AIR 2021 SC 1957 (Five Judge Bench)	208	264
In Re Cognizance for Extension of Limitation	2021 Law Suit SC 295 (Three Judge Bench)	146	183
In Reference (Suo Motu) v. The State of M.P. and ors.	Unreported (DB)	121	145
In Reference (Suo Motu) v. Union of India and ors.	Unreported (DB)	119	141
Indal Singh v. State of M.P. and ors.	ILR (2021) MP 890	235	298
Indra Devi v. State of Rajasthan and anr.	2021 (3) Crimes 141 (SC)	289	358
Iqbal Basith and ors. v. N. Subbalakshmi and ors.	(2021) 2 SCC 718 (Three Judge Bench)	133	163
Jagesh v. State of M.P.	2020 CriLJ 3493	21	21
Jagmohan Jadon v. State of M.P.	AIR 2020 MP 163	9	9
Jasoda and ors. v. Mahesh and ors.	2021 ACJ 1256	203*	260
Jaya Chakravarti v. State of M.P. and ors.	ILR (2021) MP 901	233	296
Jayamma and anr. v. State of Karnataka	AIR 2021 SC 2399 (Three Judge Bench)	184	232
Jayant etc. v. State of Madhya Pradesh	2020 (4) Crimes 485 (SC)	72	80
Jeetan Prasad Kushwah v. Vinay Kumar Singh and ors.	AIR 2020 MP 116	59	62
Jhallu Mann Singh Rathore v. Mani Ram Mangal Singh and ors.	AIR 2021 (NOC) 477 (MP)	214*	271
Jose v. Johnson	(2020) 3 SCC 780	57*	60
Joydeep Majumdar v. Bharti Jaiswal Majumdar	(2021) 3 SCC 742 (Three Judge Bench)	188	240
Jugut Ram v. State of Chhattisgarh	(2020) 9 SCC 520 (Three Judge Bench)	35*	37

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Jumani Begam v. Ram Narayan and ors.	2020 ACJ 2148 (SC)	47	48
K. Akbar Ali v. K. Umar Khan and ors.	AIR 2021 SC 1114	117*	140
K. Prakash and anr. v. State of Karnataka	2021 CriLJ 2153	168	215
K.G. Shanti v. United India Insurance Co. Ltd. and ors.	(2021) 5 SCC 511	269	330
Kalabhai Hamirabhai Kachhot v. State of Gujarat	AIR 2021 SC 2327	195	250
Kamla @ Sarla Yadav v. State of M.P.	2021 (2) MPLJ 305	230*	294
Kamla Bai and ors. v. Prem Bai and ors.	2021 (3) MPLJ 143	260	320
Kapil Agarwal and ors. v. Sanjay Sharma and ors.	(2021) 5 SCC 524	234	297
Karulal and ors. v. State of M.P.	ILR (2020) MP 2524 (SC) (Three Judge Bench)	194	249
Kaushik Chatterjee v. State of Haryana and ors.	(2020) 10 SCC 92 (Three Judge Bench)	69	69
Kavita Balethiya and ors. v. Santosh Kumar and anr.	2020 ACJ 2077	43*	45
Khokan alias Khokhan Vishwas v. State of Chhattisgarh	2021 CriLJ 1324	140	177
Khusi Ram and ors. v. Nawal Singh and ors.	AIR 2021 SC 1117	157*	200
Kirpa Ram (deceased) through L.Rs. and ors. v. Surendra Deo Gaur and ors.	2021 (2) MPLJ 77 (SC) (Three Judge Bench)	115	138
Kirti and anr. etc. v. Oriental Insurance Company Ltd.	AIR 2021 SC 353 (Three Judge Bench)	149	186
Kuldeep Choudhary @ Kuldeep Yadav and anr. v. State of M.P.	2021 (1) ANJ (MP) 233 (DB)	136	166
Lachhmi Narain Singh (D) through L.Rs. and ors. v. Sarjug Singh (Dead) through L.Rs. and ors.	AIR 2021 SC 3873	301	371
Lakhvir Singh and ors. v. State of Punjab and anr.	(2021) 2 SCC 763	154*	193
Lalan D. @ Lal and anr. v. Oriental Insurance Company Ltd.	(2020) 9 SCC 805 (Three Judge Bench)	48	49
Lokesh Solanki v. State of M.P.	ILR (2020) MP 1212	17	17
Lakshman Singh v. State of Bihar (Now Jharkhand)	2021 (3) Crimes 98 (SC)	313	391
M. Ravindran v. Intelligence Officer, Directorate of Revenue Intelligence	AIR 2020 SC 5245	76	87
M. Sampat v. State of Chhattisgarh	(2021) 6 SCC 201	323	405
M.P. Housing Board, Gwalior v. Shanti Devi and ors.	ILR (2021) MP 938	259	319
JOTI JOURNAL - 2021			CIV

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
M/s. Cheminova India Ltd. and anr. v. State of Punjab and anr.	2021 (3) Crimes 186 (SC)	316	394
M/s. Cheminovo India Ltd. and anr. v. State of Punjab and anr.	2021 (3) Crimes 182 (SC)	317	395
M/s EXL Careers and anr. v. Frankfinn Aviation Services Private Limited	AIR 2020 SC 3670 (Three Judge Bench)	5	6
M/s. Bandekar Brothers Pvt. Ltd. and anr. v. Prasad Vassudev Keni, Etc.	AIR 2020 SC 4247 2020 (3) Crimes 409 (SC)	19	18
M/s. Kalamani Tex and anr. v. P. Balasubramanian	2021 (1) Crimes 202 (SC) (Three Judge Bench)	105	124
Madan Mohan Singh v. Ved Prakash Arya	(2021) 5 SCC 456	216	273
Madhav v. State of Madhya Pradesh	2021 CriLJ 3902	297*	367
Madhuri Kumawat v. Abhinav Kumawat	2021 (3) MPLJ 156	248	309
Maheshwar Tigga v. State of Jharkhand	(2020) 10 SCC 108 (Three Judge Bench)	71	75
Mangala Waman Karandikar (D) Tr. L.Rs. v. Prakash Damodar Ranade	AIR 2021 SC 2272	186	238
Manjeet Singh v. State of Haryana and ors.	AIR 2021 SC 4274	291	360
Manoj Kumar Goyal v. State of M.P. and ors.	ILR (2020) MP 522	37	38
Manoj Yadav v. State of M.P.	ILR (2021) MP 777	236	298
Maya and ors. v. Kok Singh and ors.	2021 ACJ 1187	201	257
Miss "A" v. State of Uttar Pradesh and anr.	AIR 2020 SC 4903 (Three Judge Bench)	15	15
Mukesh Kumar v. Kulvinder Singh (dead) through L.Rs. Jaspreet Kaur and ors.	2021 (3) MPLJ 448	273*	337
Mukesh Rathore v. State of M.P. and anr.	2020 CriLJ 4094	18*	18
Mukesh Singh v. State (Narcotic Branch Delhi)	AIR 2020 SC 4794 (5 Judge Bench)	103	120
Murali v. State Represented by Inspector of Police	(2021) 1 SCC 726 (Three Judge Bench)	127	156
N. Vijayakumar v. State of Tamil Nadu	2021 CriLJ 1353 (Three Judge Bench)	153	192
N.N. Global Mercantile Pvt. Ltd. v. Indo Unique Flame Ltd. and ors.	(2021) 4 SCC 379 (Three Judge Bench)	217*	274
Nagabhushan v. State of Karnataka	2021 CriLJ 1606	141	178
Nand Ram (D) through L.Rs. and ors. v. Jagdish Prasad (D) through L.Rs.	AIR 2020 SC 1884	2	2
Narendra v. State of M.P. and anr.	2021 (1) MPLJ 563	159	202
Naresh Kumar v. Kalawati and ors.	2021 (1) ANJ (SC) 353	131	161

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Narsamma and ors. v. A. Krishnappa (dead) through L.Rs.	AIR 2020 SC 4178 (Three Judge Bench)	41	43
Nathu Singh v. State of Uttar Pradesh and ors.	(2021) 6 SCC 64 (Three Judge Bench)	229	292
Naveen Singh v. State of Uttar Pradesh and anr.	(2021) 6 SCC 191	298	367
Nazir Mohamed v. J. Kamala and ors.	2021 (4) MPLJ 46 (SC)	278	346
Neetu Kumar Nagaich v. State of Rajasthan and ors.	AIR 2020 SC 5267 (Three Judge Bench)	78	90
Netaji Achyut Shinde (Patil) and anr. v. State of Maharashtra	AIR 2021 SC 1655 (Three Judge Bench)	169	216
New Indian Assurance Company Ltd. v. Somwati and ors.	(2020) 9 SCC 644	49	51
Nirmala Kothari v. United India Insurance Co. Ltd.	AIR 2020 SC 1193	44	45
OPTO Circuit India Ltd. v. Axis Bank and ors.	2021 CriLJ 1636	212	269
Oriental Insurance Company Limited v. Kahlon alias Jasmail Singh Kahlon (deceased) Through His Legal Representative Narinder Kahlon Gosakan and anr.	AIR 2021 SC 3913	322	403
Pankaj Verma alias Nikhil v. State	2020 (3) Crimes 126 (Del.)	23	23
Pappu Deo Yadav v. Naresh Kuma and ors.	2020 ACJ 2695	96	112
Parmal Singh (dead) through L.Rs. and ors. v. Ghanshyam and anr.	2020 (2) MPLJ 132	30*	30
Parminder Kaur @ P.P. Kaur @ Soni v. State of Punjab	(2020) 8 SCC 811 (Three Judge Bench)	14	12
Parvat Singh and ors. v. State of Madhya Pradesh	(2020) 4 SCC 33	33	33
Parvez Noordin Lokhandwalla v. State of Maharashtra and anr.	(2020) 10 SCC 77	82	94
Parvinder Kansal v. State of NCT of Delhi and anr.	AIR 2020 SC 4044 (Three Judge Bench)	22	22
PASL Wind Solutions Private Limited v. GE Power Conversion India Private Limited	AIR 2021 SC 2517 (Three Judge Bench)	162	207
Patan Jamal Vali v. State of Andhra Pradesh	AIR 2021 SC 2190	181	229
Patricia Mukhim v. The State of Meghalaya	2021 (1) ANJ (SC) 299	138	171
Prabhulal Rajak v. Vijay Kumar Sharma and ors.	2020 ACJ 2765	98	114
Pradeep Sharma v. State of M.P.	2021 CriLJ 560	150	187
Prakash Chandra Chandil v. Arun Singhal and ors.	AIR 2020 MP 157	6*	7

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Prakash Gupta v. Securities and Exchange Board of India	2021 (3) Crimes 107 (SC)	293	362
Pramila v. State of Uttar Pradesh	AIR 2021 SC 3781	305	378
Pramod Yadav v. The State of Madhya Pradesh and ors.	(unreported) (DB)	109	129
Pratap v. State of M.P.	ILR (2020) MP 1490	86	97
Prathvi Raj Chauhan v. Union of India and ors.	2021 (3) Crimes 28 (SC) (Three Judge Bench)	324	406
Pravat Chandra Mohanty v. State of Odisha and anr.	(2021) 3 SCC 529	198	254
Praveen Kunwar and anr. v. Vishwajeet Singh and ors.	AIR 2020 MP 110	26*	26
Pravin Kumar v. Union of India and ors.	(2020) 9 SCC 471 (Three Judge Bench)	55	57
Preet Pal Singh v. The State of Uttar Pradesh and anr.	2020 (3) Crimes 147 (SC)	94	111
Pruthviraj Jayantibhai Vanol v. Dinesh Dayabhai Vala and ors.	2021 (3) Crimes 93 (SC)	309	384
Pushpa Bai and ors. v. Kunjlal and ors.	2020 ACJ 2479	100	116
R. Natarajan and anr. v. The State of Tamil Nadu	2021 (3) Crimes 1 (SC)	315	393
Radha Dahiya v. Rajesh Kesharwani and ors.	2021 ACJ 1490	264	323
Radheshyam v. Kamla Devi and ors.	AIR 2021 MP 162	302	373
Radheshyam and anr. v. Rajendra and ors.	2021 ACJ 808	147	184
Raghav Gupta v. State (NCT of Delhi) and anr.	2020 (3) Crimes 408 (SC) (Three Judge Bench)	53*	56
Rahna Jalal v. State of Kerala and anr.	(2021) 1 SCC 733 (Three Judge Bench)	129	157
Rahul Pandey v. State of M.P. and ors.	2021 CriLJ 3572	285*	353
Rahul S. Shah v. Jinendra Kumar Gandhi and ors.	AIR 2021 SC 2161 (Three Judge Bench)	163	209
Rahul Sharma and anr. v. National Insurance Company Ltd. and ors.	AIR 2021 SC 2255 (Three Judge Bench)	204*	261
Rahul v. State of Haryana	2021 CriLJ 2100	197	254
Raja Bhaiya Singh v. State of M.P.	ILR (2021) MP 119	237	300
Rajendra @ Rajappa and ors. v. State of Karnataka	2021 CriLJ 3063	239	301
Rajendra Kumar Agrawal v. Anil Kumar and anr.	ILR (2020) MP 2462	274	338

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Rajendra Singh Pawar and ors. v. State of M.P. and ors.	2021 (2) MPLJ 100	123	151
Rajesh alias Sarkari and anr. v. State of Haryana	AIR 2020 SC 5561 (Three Judge Bench)	89	101
Rajesh Dhiman v. State of Himachal Pradesh	2020 (4) Crimes 382 (SC) (Three Judge Bench)	67	68
Rajjan Khan v. State of Madhya Pradesh	AIR 2021 SC 3598	314	392
Rajkumar Goyal v. Municipal Corporation, Gwalior	ILR (2021) MP 48	226	290
Rajni Puruswani and anr. v. State of M.P.	ILR (2020) MP 1477	83	96
Raju alias Surendar Nath Sonkar v. State of Madhya Pradesh	2021 CriLJ 688	151	188
Rakesh and anr. v. State of U.P. and anr.	AIR 2021 SC 3233	249	310
Ram Sahu (dead) through L.Rs. v. Vindo Kumar Rawat and ors.	2021 (2) MPLJ 55	116	138
Ram Vijay Singh v. State of Uttar Pradesh	2021 CriLJ 2805	243	305
Ramdev Baba Developers and Builders Pvt. Ltd. Vardha v. Asad Khan	AIR 2021 (NOC) 462 (MP)	200*	257
Ramesh and ors. v. Laxmi Bai	AIR 2021 MP 56	118*	141
Ramesh Bhavan Rathod v. Vishanbhai Harabhai Makwana Makwana (Koli) and anr.	AIR 2021 SC 2011 (Three Judge Bench)	178	226
Ramjilal @ Munna and ors. v. State of M.P.	ILR (2020) MP SN 9	11*	10
Ramniwas v. State of M.P.	ILR (2021) MP 757	242	304
Ranjit @ Bhaiyu Mohite v. Smt. Nandiya Singh and ors.	ILR (2020) MP 727	222	279
Ratanlal v. State of M.P.	2021 (1) ANJ (MP) 248 (DB)	144	182
Ratilal v. State of Madhya Pradesh	2021 CriLJ 4299 (DB)	311	387
Rattan Singh and ors. v. Nirmal Gill and ors. etc.	AIR 2021 SC 899	132*	162
Raveen Kumar v. State of Himachal Pradesh	AIR 2020 SC 5375 (Three Judge Bench)	102	118
Rekha Sengar v. State of Madhya Pradesh	(2021) 3 SCC 729 (Three Judge Bench)	209	266
Reliance General Ins. Co. Ltd. v. Karibai and ors.	2021 ACJ 1818	262	321
Rizwan Khan v. The State of Chhattisgarh	2020 (3) Crimes 441 (SC) (Three Judge Bench)	51	54
Rohtas and anr. v. The State of Haryana	2020 (1) Crimes 352 (SC)	25*	25

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
S. Kasi v. State through the Inspector of Police Samaynallur Police Station Madurai District	AIR 2020 SC 2921 (Three Judge Bench)	16	16
S.D. Containers Indore v. M/s. Mold Tek Packaging Ltd.	ILR (2021) MP 163 (SC) (Three Judge Bench)	228	291
S. Natarajan v. Sama Dharman	(2021) 6 SCC 413	284	351
Sachin Vishnu Prasad Namdeo v. State of Madhya Pradesh	2021 CriLJ 2129 (DB)	191	244
Sandeep v. State of Haryana	AIR 2021 SC 4105	304	377
Sanjay Kumar Rai v. State of Uttar Pradesh and anr.	AIR 2021 SC 2351 (Three Judge Bench)	172*	222
Sapna and ors. v. Mangilal and anr.	2021 ACJ 957	148	185
Saravanan v. State Represented by the Inspector of Police	AIR 2020 SC 5010 (Three Judge Bench)	75	86
Saroj Chand v. Premwati and anr.	2021 (3) MPLJ 103	257	318
Sartaj Singh v. State of Haryana and anr. etc.	AIR 2021 SC 1513 (Three Judge Bench)	126	155
Satbir Singh and anr. v. State of Haryana	2021 CriLJ 2609	250	310
Sayyed Ayaz Ali v. Prakash G. Goyal and ors.	2021 (3) MPLJ 302 (SC)	221	277
Sesh Nath Singh and anr. v. Baidyabati Sheoraphuli Co-operative Bank Ltd. and anr.	AIR 2021 SC 2637	258	319
Shaik Ahmed v. State of Telangana	2021 CriLJ 3028	253	314
Shakuntala Shukla v. State of Uttar Pradesh and anr.	AIR 2021 SC 4384	295	365
Shanmugam v. State by Inspector of Police, Tamil Nadu	(2021) 5 SCC 810 (Three Judge Bench)	310	386
Shatrughna Baban Meshram v. State of Maharashtra	(2021) 1 SCC 596 (Three Judge Bench)	139	172
Shivaji Chintappa Patil v. State of Maharashtra	(2021) 5 SCC 626	244	305
Shivakumar and ors. v. Sharanabasappa and ors.	AIR 2020 SC 3102 (Three Judge Bench)	58	60
Shivcharan v. State of Madhya Pradesh	2021 CriLJ 1772	192	245
Shri Ram Sahu (Dead) through L.Rs. and ors. v. Vinod Kumar Rawat and ors.	ILR (2021) MP 4 (SC)	164	212
Shriram General Ins. Co. Ltd. v. Pappu and ors.	ILR (2020) MP 453	50	53
Shriram General Insurance Co. Ltd. v. Asha Devi and ors.	2021 ACJ 1649	265	323
Shubhalaya Villa (M/s) and ors. v. Vishandas Parwani and ors.	ILR (2020) MP 1704	64	66

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Smt. S. Vanitha v. The Deputy Commissioner, Bengaluru Urban District and ors.	2021 (1) Crimes 53 (SC) (Three Judge Bench)	155	194
Somasundaram alias Somu v. State Rep. by the Deputy Commissioner of Police	AIR 2020 SC 3327 (Three Judge Bench)	90	101
Srihari Hanumandas Totala v. Hemant Vithal Kamar and ors.	AIR 2021 SC 3802	277	344
Stalin v. State represented by the Inspector of Police	2020 (3) Crimes 447 (SC) (Three Judge Bench)	34	36
State of Kerala v. Mahesh	AIR 2021 SC 2071	177	225
State of M.P. and anr. v. Smt. Betibai (Dead) through Her L.Rs. and anr.	ILR (2020) MP 2826	205	261
State of M.P. and anr. v. Vishnu Prasad Maran and anr.	2021 (3) MPLJ 90	270	331
State of M.P. SPE Lokayukta, Jabalpur v. Ravi Shankar Singh and ors.	ILR (2020) MP 2663 (DB)	266	324
State of M.P. v. Ramant Singh	2021 (1) ANJ (MP) 356 (DB)	182*	231
State of Madhya Pradesh and anr. v. M/s. Supratech Hospital Pvt. Ltd. and anr.	AIR 2021 MP 122	275*	339
State of Madhya Pradesh and ors. v. Pujari Utthan Avam Kalyan Samiti and anr.	AIR 2021 SC 4245	318	397
State of Madhya Pradesh v. Yogendra Singh Jadon and anr.	2020 (3) Crimes 119 (SC)	32	32
State of Uttar Pradesh v. Jail Superintendent (Ropar) and ors.	AIR 2021 SC 1678	176	224
Sudhir Kumar alias S. Baliyan v. Vinay Kumar G.B.	AIR 2021 SC 4303	280*	348
Sugandhi (Dead) by L.Rs. and anr. v. P. Rajkumar Represented by his Power Agent Imam Oli	(2020) 10 SCC 706	66*	67
Sukhbir v. Ajit Singh	AIR 2021 SC 2622	272	336
Sukhwinder Singh v. Jagroop Singh and anr.	AIR 2020 SC 4865	56	59
Sumeti Vij v. M/s. Paramount Tech Fab Industries	2021 (1) ANJ (SC) 254	104	123
Sunil Kumar alias Sudhir Kumar and anr. v. State of Uttar Pradesh	(2021) 5 SCC 560	232	295
Surajdeo Mahto and anr. v. The State of Bihar	2021 (3) Crimes 190 (SC) (Three Judge Bench)	299	369
Surajmal and ors. v. State of M.P.	ILR (2021) MP 135	210	267
Surendra Kumar and anr. v. State of U.P.	AIR 2021 SC 2342 (Three Judge Bench)	193	246

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
Surendra Kumar Bhilawe v. New India Assurance Co. Ltd.	2020 ACJ 1904 (SC)	42	44
Surendran v. Sub-Inspector of Police	2021 (3) Crimes 19 (SC) (Three Judge Bench)	308*	384
Suresh Kesharwani and anr. v. Roop Kumar Gupta and anr.	ILR (2020) MP 1955	63	65
Suresh Kukreja v. State of M.P. and anr.	2021 CriLJ 2998 (Three Judge Bench)	241	303
Suresh Shah v. Hipad Technology	(2021) 1 SCC 529	111	131
Surinder Singh Deswal v. Virender Gandhi and anr.	2021 (1) ANJ (SC) 411	207*	264
Swati Singh Parmar v. Vinay Pratap Singh	2021 (1) ANJ (MP) 313	189	242
T.V. Ramakrishna Reddy vs. M. Mallappa and anr.	AIR 2021 SC 4293	326	407
Tara Chandra v. State of U.P.	2021 CriLJ 3267	252*	313
The State of Kerala v. K. Ajith and ors.	2021 (3) Crimes 51 (SC)	294	363
The State rep. by the D.S.P. v. Tr. N. Seenivasagan	2021 (1) ANJ (SC) 244	81	93
Titty Alias George Kurian v. Deputy Range Forest Officer	(2021) 1 SCC 812	161*	204
Tofan Singh v. State of Tamil Nadu	AIR 2020 SC 5592 (Three Judge Bench)	101	117
U.P. State Road Trans. Corpn. v. National Insurance Co. Ltd. and ors.	2021 ACJ 2282	320	401
Union Bank of India v. Rajat Infrastructure Private Limited and ors.	(2020) 3 SCC 770	54	57
Union of India v. Ashok Kumar Sharma and ors.	AIR 2020 SC 5274	87	98
Union of India v. K.A. Najeeb	(2021) 3 SCC 713 (Three Judge Bench)	179	227
Union Public Service Commission v. Bibhu Prasad Sarangi and ors.	(2021) 4 SCC 516	227	290
United India Insurance Co. Ltd. v. Arti and ors.	2020 ACJ 2463	99	116
United India Insurance Co. Ltd. v. Satinder Kaur and ors.	2020 ACJ 2131 (SC) (Three Judge Bench)	46	47
United India Insurance Co. Ltd. v. Vinod and ors.	2020 ACJ 2641	97	113
V.N. Krishna Murthy and anr. v. Ravikumar and ors.	(2020) 9 SCC 501 (Three Judge Bench)	3	3

CITATION	REPORTED IN	NOTE NO.	PAGE NO.
V. N. Patil v. K. Niranjana Kumar and ors.	(2021) 3 SCC 661	173*	222
Ved and anr. v. State of Haryana and anr.	AIR 2021 SC 2056	199*	256
Venigalla Koteswaramma v. Malampati Suryamba and ors.	(2021) 4 SCC 246 (Three Judge Bench)	223	281
Venishankar v. Smt. Siyarani and ors.	ILR 2020 MP 1144	40	42
Venkatesan Balasubramanian v. Intelligence Officer, D.R.I. Bangalore	2021 CriLJ 978 (Three Judge Bench)	170	216
Vidya Drolia and ors. v. Durga Trading Corporation	(2021) 2 SCC 1 (Three Judge Bench)	112	132
Vijay and anr. v. State of M.P.	2020 CriLJ 4136	28*	29
Vijay Singh v. State of M.P. and ors.	ILR (2020) MP 1959	79	92
Vijendra Kumar Kaushal v. Union of India and ors.	ILR (2020) MP 399 (DB)	52	56
Vikash Kumar v. Union Public Service Commission and ors.	(2021) 5 SCC 370 (Three Judge Bench)	267	325
Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma and ors.	AIR 2020 SC 3717 (Three Judge Bench)	31*	30
Vinita Shukla (Smt.) v. Kamta Prasad and anr.	ILR (2020) MP 447	4	5
Vivek Singh v. State of M.P. and ors.	2020 CriLJ 2893 (MP) (DB)	20*	21
X v. State of M.P.	ILR (2021) MP 966	255	316
X v. State of Uttar Pradesh	AIR 2020 SC 4826	39	40
Yashwardhan Raghuvanshi v. District and Sessions Judge and anr.	2021 LawSuit (MP) 64	60	63
Yogesh v. State of Haryana	(2021) 5 SCC 730	300	370
Zaid Pathan and ors. v. State of M.P.	2021 (1) Crimes 251	93	108
Zarina Begum v. State of Madhya Pradesh through P.S. E.O.W.	2021 LawSuit (MP) 265	122	147